Friday, 22 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit 17-7-92
Fumigated On 24-1-84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 10–शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1968/1 अग्रहायण,1890 (शक)

No. 10—Friday, November 22, 1968/Agrahayans 1, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
271 राज्यों द्वारा चलाई गई लाटरियां	Lotteries floated by States	1569-1573
273 मानव बलि	Human Sacrifices ...	1573-1579
274 बड़ौदा जिले के सावली तालुक के अमरपुरा गांव में एक हरिजन लड़के की पीटे जाने से मृत्यु	Beating to Death of a Harijan Boy in Amrapura Village in Savli Taluqa of Baroda District	1579-1584

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.		
272 इन्द्रप्रस्थ भवन में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों की शिकायतें	Complaints from Employees of Offices Located in Indraprastha Bhavan ...	1584-1585
275 छोटी सदरी स्वर्णकांड की जांच	Inquiry into Chooti Sadri Gold Scandal ...	1585
276 चण्डीगढ़ स्थित सम्पत्तियों का देय किराया	Rent dues for properties in Chandigarh ...	1585-1586
277 देश में विघटन की प्रवृत्तियां	Tendencies of Disintegration in the country	1586
278 आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam ..	1586-1587
279 कार्मिक संघों की मान्यता को समाप्त किया जाना	De-recognition of Employees Unions ..	1587
280 पेट्रोल पम्पों की खराब मशीनें	Defective petrol pump machines	1588

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
281 सितम्बर, 1968 में प्रधान मंत्री की कानपुर यात्रा	P.M.'s Visit to Kanpur during September, 1968	1588 1589
282 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	Council of Scientific and Industrial Research	1589
283 केरल में नये जिलों का बनाया जाना	Formation of New Districts in Kerala ...	1589
284 19 सितम्बर, 1968 को पुलिस की ज्यादतियों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन की टिप्पणियां	A.R.C. Chairman's comments on police Excesse on 19th September, 1968 ..	1590
285 छात्र समितियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandu submitted by students Committees	1590–1591
286 दिल्ली विश्वविद्यालय में अशांति	Unrest in Delhi University ...	1591
287 राष्ट्रीय शिक्षा संस्था	National Institute of Education	1591–1592
288 प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन	Reports of the Administrative Reforms Commission	1592
289 बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों पर मुकदमें	Prosecution of non-Gazetted Employees of Bihar	1592–1593
290 पालम में संसद् सदस्यों द्वारा राजनयिक विश्राम कक्ष (डिप्लोमैटिक लांज) का प्रयोग	Use of Diplomatic Lounge by Members of Parliament at Palam	1593
291 उड़िया भाषी लोगों के लिये रक्षोपाय	Safeguards for Oriya Speaking People ..	1593–1594
292 बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यापकों का ज्ञापन	Memo from teachers of Bombay University	1594

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
293 पंजाब में गिल मंत्रिमंडल द्वारा स्वविवेकानुदानों का वितरण	Distribution of Discretionary Grants by the Gill Ministry in Punjab	1594–1595
294 भारत में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in India ...	1595–1596
295 हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Himachal Pradesh	1596–1597
296 राष्ट्रीय संग्रहालयों सम्बन्धी समिति	Committee on National Museums	1597
297 आसाम में पकड़े गये हथियार और गोला बारुद	Arms and Ammunitions Unearthed in Assam	1597–1598
298 शिक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन	Frequent Changes in the System of Education	1598
299 छोटा नागपुर और संथाल परगनों में युवक होस्टल	Youth Hostels in Chotanagpur and Santhal Paraganas	1598–1599
300 कलकत्ता आसाम अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं	Calcutta–Assam Inland Water Transport Facilities – ...	1599
अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.		
1667 लाहौल और स्पीति में किया गया प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenditure incurred on Lahaul and Spiti	1599
1668 उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक तथा योजना व्यय	Administrative and Plan Expenditure on Border Districts of U.P.	1599–1600
1669 संयुक्त परामर्श व्यवस्था (मशीनरी) में परमाणु उर्जा विभाग का प्रतिनिधित्व	Representation of Atomic Energy Establishment in Joint Consultative Machinery	1600
1670 विद्यार्थियों को भारत सरकार के यात्रा-अनुदान	Government of India Passage grants to Students	1600–1601
1671 पारादीप पत्तन	Paradeep Port ...	1601–1602

1672 राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में चोरी — Theft in National Museum, New Delhi ... 1602–1604

1673 केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलाजी संस्थान मैसूर — Central Food Technological Research Institute Mysore 1604–1605

1674 केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलाजी अनुसंधान संस्था, मैसूर — Central Food Technological Research Institute Mysore 1605-1606

1675 दिल्ली पुलिस द्वारा एक गलत शव का दाह संस्कार — Cremation of a wrong body by Delhi Police 1606

1676 सरकारी कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र — Resignation by Government Servants ... 1606

1677 आंध्र-उड़ीसा सीमा — Andhra Orissa Boundary 1606–1607

1678 पाठ्य पुस्तकों के लिये केन्द्रीय अनुदान — Central Grant for Text Books 1607-1608

1679 मैसूर में पुरातत्वीय सर्किल — Archaeological Circle in Mysore 1607–1608

1680 अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को पीटा जाना — Beating of Railway Employees at Ambala Cantt. Railway Station 1608

1681 वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक की खरीद — Purchase of Book written by Chairman of Scientific and Technical Terminology Commission 1608

1682 पुलिस द्वारा रेलवे कर्मचारियों पर लाठी और गोली चलाई जाना — Lathi-charge and firing by Police on Railway Employees 1609

1683 हड़ताल के दिन रेलवे स्टेशनों पर घटनायें — Incidents at Railway Stations on Strike Day 1609–1610

1684 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड उद्योग — Plywood Industry in the Andaman and Nicobar Islands ... 1610–1611

1685	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार नई दिल्ली में धान का गबन	Misappropriation of cash in A.I.C.C. Staff Consumers Co-operative Stores, New Delhi	1611
1686	दिल्ली में एक लड़की द्वारा आत्महत्या	Suicide committed by Delhi Girl	1611–1612
1687	देहरादून में भारत विरोधी गतिविधियां	Anti Indian Activities in Dehradun ...	1612
1688	जम्मू तथा काश्मीर जन सम्मेलन	J.& K. People's Convention	1612-1613
1689	भारतीय फुटबाल टीम के पास निषिद्ध वस्तुएं	Contraband Articles in Possession of Indian Football Team	1613–1614
1690	दिल्ली की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Delhi projects ..	1614-1615
1691	पालम हवाई अड्डे पर चोरी	Theft at Palam Airport	1615–1616
1692	उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की की सहायता	Assistance to freedom fighters in U.P. ...	1616
1693	खुफिया, तंजीम	Khufia Tanzim	1616
1694	जामिया मिलियां दिल्ली से बरामद दस्तावेज	Documents recovered from Jamia Millia, Delhi	1617
1695	रांची और पटना में लाठी चार्ज	Lathi charge at Ranchi and Patna	1617
1696	तटीव नौवहन के लिये यात्री जहाज	Passenger ships for Coastal Shipping ...	1617–1618
1697	अन्दमान और निकोबार द्वीपों/लक्कदीव द्वीप के लिये तटीय नौवहन	Shipping Service to Andaman and Nicobar Islands/Laccadives	1618

1698 लक्का दीव के लिये विमान सेवा और पोर्टब्लेयर हवाई अड्डा (अन्दमान द्वीप) में अन्तर्राज्यीय बिमान उड़ानें — Air Service to Laccadive Island and Inter State Flights at Port Blair Airport (Andaman) 1619

1699 अन्तर्देशीय जलपरिवहन — Inland Water Transport 1619

1700 भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता उन्मूलन अभियान — Campaign to Eradicate Corruption and immorality 1619–1620

1701 पौढ़ी गढ़वाल के अध्यापकों की पदावनति — Reversion of Teachers of Pauri Garhwal ... 1620

1702 मानहानि के मामले की जांच — Investigation into Defamation case... ... 1620

1703 सरकारी गैर-सरकारी और पब्लिक स्कूलों में असमानता — Imequality in Government Private and Public Schools ... 1621

1704 धनबाद के खनन डिप्लोमा के छात्रों द्वारा हड़ताल — Strike by Mining Diploma Student of Dhanbad 1621

1705 मुंगेर के निकट मुठभेड़ — Clash near Monghyr 1622

1706 केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का चयन — Selection of I.A.S. Officers of U.P. Cadre for Central Government Service .. 1622

1707 दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले शिक्षक — Teachers working under Delhi Administration 1623

1708 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल — Central Government Employees Strike .. 1623

1709 दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग — Hindi as Medium of Examination in Delhi University 1623–1624

1710 उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में से कटौती	Deducation from the salaries of School Teachers in U.P.	1624
1711 होटल और मोटल उद्योग के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ	UN experts for Development of Hotels and Motels Industry	1624-1625
1712 मद्रास में माओवादी दल	Maoist party in Madras ..	1625-1626
1713 दिल्ली महानगर परिषद् के लिये विशेष दर्जा	According of Special Status to Delhi Metropolitan Council	1626
1714 दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	1626
1715 सरकारी क्षेत्र के होटलों का प्रबन्ध	Management of Public Sector Hotels ..	1626–1627
1716 विद्यार्थियों के लिये विभिन्न सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध न होना	Lack of Information to Students about various Facilities	1627–1628
1717 इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	1628–1629
1718 भारत पर्यटन विकास निगम	India Tourism Development Corporation	1629–1631
1719 केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation	1631–1632
1720 अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को रोजगार देना	Absorption of Qualified Engineers...	1632–1633
1721 उत्तर प्रदेश सरकार के बर्खास्त कर्मचारियों की पुर्नियुक्ति	Reinstatement of Discharged U.P. Government Employees	1633
1722 भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की पास-बुकों को कब्जे में लेना	Seizure of pass books of IAS IPS Officers	1633–1634

1723	ओलम्पिक खेलों में भारत का भाग लेना	India's participation in Olympics	1634
1724	सैनिक स्कूल में छात्र-वृत्तियां	Scholarships in Sainik School	1634–1635
1725	दिल्ली में नेहरू की मूर्ति	Nehru's Statue in Delhi	1635
1726	बेरोजगार इंजीनियरों के लिये रोजगार	Jobs for unemployed Engineers	1635–1636
1727	19 सितम्बर 1968 को सरकारी सम्पति का नष्ट किया जाना	Destruction of Government property on 19th September, 1968	1636
1728	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये हिन्दी आशुलिपिकों के पद आरक्षित करना	Reservation of Posts of Hindi Stenographers for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1636
1729	राष्ट्रीय शिक्षा संस्था	National Institute of Education	1637
1730	गजेटियर तैयार करना	Preparation of Gazetteers	1637–1638
1731	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली, के किराये पर लगने वाले कमरे	Occupancy in Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	1633
1732	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान	Aircraft for I.A.C.	1638–1639
1733	गांधी विद्या मन्दिर गनपतराय र सीवासिया कालेज, चर्खी दादरी	Grant to Gandhi Vidya Mandir, Ganpatrai Rasiwasia Collge, Charkhi Dadri ...	1639
1734	कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Calicut Airport	1639–1640
1735	चौथी योजना में पारादीप पत्तन के लिये धन की व्यवस्था	Amount allotted for paradeep Port during Fourth Plan	1640

1736	उड़ीसा में आर्थिक महत्व के राष्ट्रीय राजपथ तथा सड़कों के निर्माण के लिये नियत धन राशि	Construction of National Highways and Roads of economic importance in Orissa	1640-1641
1737	उड़ीसा में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in Orissa	1641-1642
1738	पारादीप पत्तन पर सामान्य माल रखने का स्थान	General Cargo Berth at Paradeep Port	1642
1739	बिहार में गंडक पुल	Gandak Bridge in Bihar	1642-1643
1740	केरल में पृथक मुस्लिम बहुल जिले की मांग	Demand for Separate Muslim Majority District in Kerala	1643
1741	गिल मंत्रिमंडल द्वारा राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाये जाना	Instution of Criminal cases agains Political Opponents by Gill Ministry	1643-1644
1742	पंजाब में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का पद बनाया जाना	Creation of Post of a High Court Judge in Punjab	1644
1743	पंजाब में लाटरी	Lottery in Punjab ..	1644-1645
1744	बिहार में नक्सलबाड़ी जैसी गड़बड़	Naxalbari Type Activities in Bihar.. ...	1645
1745	दिल्ली में समाचारपत्रों के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी प्रहार	Lathi Charge by the Police on Press Employees in Delhi	1646
1746	डालर यात्री चैकों की जालसाजी	Racket in Dollar Travellers' Cheques ...	1646-1647
1747	आसाम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस	Central Reserve Police in Assam	1647
1748	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology	1647

1749 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायक — Assistants in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology 1647–1648

1750 रांची जिले में पुस्तकों के लिये अनुदान का वितरण — Disbursement of Book Grants in Ranchi District – ... 1648

1751 भारतीय इंजीनियर सेवा का संवर्ग — Cadre of the Indian Service of Engineers ... 1648

1752 कांग्रेस के लिये धन का जबर्दस्ती इकट्ठा किया जाना — Forciable Collection of Funds for Congress 1648–1649

1753 उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या — Murder of Harijans in U.P. 1649

1754 गुजरात की यात्रा करने वाले पर्यटक — Tourists visiting Gujarat 1649–1650

1755 गुजरात में पर्यटन केन्द्र — Tourist Centres in Gujarat 1650

1757 विदेशी हथियारों और गोला बारूद का बरामद होना — Recovery of Foreign Arms and Ammunitions 1650–1651

1758 नागाओं तथा मिजों लोगों के साथ मुठभेड़ — Clashes with Nagas and Mizos 1651

1759 पाकिस्तानी जासूस — Pakistani Spies 1651

1760 भारत में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी तथा चीनी गुप्तचर — Pakistani and Chinese spies arrested in India 1652

1761 पर्यटन से आय — Earnings from Tourism 1652

1762 अहमदाबाद हवाई अड्डा — Ahmedabad Airport – 1653

1763 दिल्ली के दुकानदारों द्वारा आन्दोलन — Agitation by Delhi Shopkeepers .. 1653

1764	केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्था द्वारा सूर्य ताप से पानी गरम करने के सस्ते हीटर का आविष्कार	Invention of Cheap Solar Water Heater by Central Building Research Institute ...	1654
1765	भारतीय नर्तक मंडली को पुरस्कार	Prize to Indian Dance Troupe	1655
1766	गोहाटी में दंगों की जांच रिपोर्ट	Enquiry Report on Gauhati Riots	1655
1767	बिहार सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi to Bihar Government Offices ...	1655–1656
1768	वाराणसी में बावतपुर हवाई अड्डा	Babatpur Aerodrome at Varanasi ... —	1656
1769	गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल उद्योग	Hotel Industry in Private Sector	1656–1657
1770	अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह	Consultation with State Governments Before promulgation of ordinance ...	1657
1771	उत्तर प्रदेश में बहगाई (इस्लामपुर) सड़क	Behgai Islampur Road in U.P.	1657–1658
1772	आसाम में गैर सरकारी सेनाओं का गठन	Raising of Private Senas in Assam	1658
1773	अमरीका तथा ब्रिटेन में बस गये भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists settled in USA and UK. --	1658–1659
1774	बम्बई तथा अन्य स्थानों में माओं साहित्य	Mao Literature in Bombay and other Places	1659
1775	कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी	Calcutta Tramway Company — ...	1659–1660
1776	अमरीकन अकादमी, वाराणसी	American Academy Varanasi ...	1660–1661

1777	रांची और हतिया में उपद्रवों के बारे में दयाल आयोग का प्रतिवेदन	Report of Dayal Commission on Ranchi and Hatia Riots	1661
1778	दिल्ली में पोलीटेक्निक के छात्रों को छात्र वृत्तियां देना	Grant of Scholarships to Polytechnic Students in Delhi	1661-1662
1779	पोलीटेक्निकों में बैचलर आफ टेक्नोलोजी के लिये सुविधायें	Facilities for B. Tech. in Polytechnics ..	1662
1780	श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक नारे	Prop Pakistani Slogans tn Srinagar.. ..	1662-1663
1781	प्रधान मंत्री द्वारा दक्षिण अमरीका का दौरा	P.M.s visit to South America ..	1663
1782	गांधी ग्राउन्ड में आग	Fire in Gandhi Ground ..	1663
1783	होटलों के विकास के लिये ऋण	Loans for Development of Hotels ...	1663-1664
1784	उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी आदेश	Official Orders of U.P. Government ..	1664
1785	उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल	Junior High Schools in U.P.	1664-1665
1786	उत्तर प्रदेश में जेलें	Jails in Uttar Pradesh	1665
1787	क्राइसिस इन इण्डिया नामक पुस्तक में अपमानजनक लेख	Derogatory Article in a Book entitled Crisis in India ..	1665
1788	वृद्धावस्था को रोकने के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on Preventation of Old Age ...	1665-1666
1789	उत्तर प्रदेश में नर बलि	Human Sacrifices in U.P.	1666
1790	शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार तालिका की सिफारिशें	Recommendations of Advisory Panel on Education ..	1666

1791	आंध्र प्रदेश में छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports in Andhra Pradesh	1667
1792	छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports	1667
1793	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Projects	1668
1794	सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Government Officials	1668-1669
1795	उत्तर प्रदेश में सोनाई में पुलिस चौकी	Police post at Sonai in U.P.	1669-1670
1796	1972 की जनगणना के लिये प्रबन्ध	Arrangements for 1972 Census	1670
1797	सी. आई. आर. एम. के लिये सहायता	Assistance to C.I.R.M.	1670
1798	स्नेहक तेलों को व्यापारिक आधार पर पुनः उपयोग के योग्य बनाने वाले संयंत्र की स्थापना	Establishment of a Commercial Reclamation Plant	1670-1671
1799	घटिया मिट्टी के तेल का प्रयोग	Use of Inferior Kerosone Oil ...	1672
1800	पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies	1672
1801	मामलों की जांच तथा निपटान के लिये प्रक्रिया को सरल बनाना	Simplification of Procedure for investigation and Finalisation of cases ...	1672-1673
1802	ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी से जहाज खरीदने की शर्तें	Terms for purchases of ships from U.K. and West Germany	1673
1803	नेहरू बाल पुस्तकालय	Nehru Library of Children's Books...	1674
1804	गोआ बन्दरगाह का विकास	Development of Goa Port	1674-1675
1805	चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध अभियान	Campaign against Punjab Cadre Officers by Chandigarh Administration ...	1675

अता.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1806 प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रोत्साहन	Incentives to Teachers of Elementary ...	1675–1676
1807 विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ देना	Drop Outs of Students in Primary Classes	1676–1677
1808 विमान यात्रियों को उनका सामान दिये जाने में विलम्ब	Delay in Delivery of Luggage to Air Passengers	1677
1809 कोचीन पत्तन के लिये ड्रैजर	Dredger for Cochin Port	1677–1678
1810 पर्यटक केन्द्रों में भिखमंगे	Beggars at Tourist Centres	1678
1811 रत्नाकर शिपिंग तथा एपीजे शिपिंग सम्बन्धी सुखतनगर समिति का प्रतिवेदन	Report of Sukhatankar Committee on Ratnakar Shipping and Appejay Shipping	1679
1812 पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों के किराये	Fare rates of Public Buses in West Bengal	1679
1813 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कर्मचारियों को आवास की सुविधायें	Accommodation Facility to CSIR Employees	1679–1680
1814 केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की गुप्त निधि	Secret Funs of Central Intelligence Bureau	1680
1815 उत्तर प्रदेश में भूमि आन्दोलन	Land Agitation in Uttar Pradesh	1681
1816 साहोर में नागा शिविर	Naga Camp in Sahor	1681
1817 राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के लिये संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठकें	Meetings of Consultative Committees of Members of Parliament for States under President's Rule	1682–1683

1818 अराजपत्रित कर्मचारी संघ बिहार से पत्र	Letter from Non-Gazetted Employees, Federation, Bihar ... –	1683
1819 राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेव ानिवृत्ति की आयु	Retirement age of Government Employees	683–1684
1820 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को विशेष वेतन का दिया जाना	Grant of Special pay to officers of an India Service	1684
1821 न्यायालयों में विदेशियों के विरुद्ध लम्बित मुकदमे	Cases Pending against Foreigner in Courts	1684–1685
1822 प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोग शाला जोरहाट	Regional Research Projects Jorhat	1685
1823 तिरुपति के निकट हवाई पट्टी	Air strip near Thirpathi	1685–1686
1824 पश्चिमी बंगाल राजनीतिक पीड़ितों के लिये गृह	Home for Political sufferers in West Bengal	1686
1825 आनन्द मार्ग	Anand Marg	1686–1687
1826 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of M.Ps. during Strike by Central Government Employees on 19.9.68 ...	1687
1827 चार्टर उड़ाने	Charter Flights	1687–1688
1828 पश्चिम बंगाल में श्रमिक अशांति	Labour unrest in West Bengal	16 8
1829 बम्बई-कोचीन विमान सेवा	Bombay Cochin Air Service	1689
1830 उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ द्वारा ाम हड़ताल	General Strike by U.P. Secondary School Teachers Association	1689

अत. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1831 केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, लखनऊ द्वारा भेषजों का विकास	Development of Drugs by Central Drug Research Institute, Lucknow	1689-1690
1832 खेलकूद कांग्रेस	Sports Congress ..	1690
1833 19 सितम्बर, 1968 को घायल हुए पत्रकार	Journalists wounded on 19th September, 1968	1690-1691
1834 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board for Education	1691
1835 भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में भाग लेने वाले आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर लगाई गई आयु सम्बन्धी पाबन्दी	Age Restrictions imposed on E.C.Os. for competing IAS IPS Examinations ...	1691-1692
1836 केरल में तैनात सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस	Central Reserve Police stationed in Kerala	1692-1693
1838 कलकत्ता पत्तन पर कार्य करने वाले कर्मचारी	Employees workings at Calcutta Port	1693-1694
1839 पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order in Punjab	1694
1840 नेपाल में पर्यटन के विकास के लिये सहायकता	Assistance for development of Tourism in Nepal	16 4-1695
1841 दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनायें	Kidnapping of Girls in Delhi	1695
1842 सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार	Government Servant's Right to Strike	1695
1843 एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज़ के पास विदेशी पार-पत्रों का होना	Possession of foreign Passports by an International Racketeer ...	1695-1696

1844	डिब्रूगढ विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Dibrugarh University	1696–1697
1845	हरिजनों को मारा पीटा जाना	Beating up of Harijans	1697
1846	रूमानिया से माल वाहक जहाज	Cargo Ships from Rumania ...	1697–1698
1847	पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के समय सेवाओं का पुर्नियतन	Re-allocation of Services on Reorganisation of Punjab Haryana and Himachal Pradesh	1698–1699
1848	आसाम में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ	Pak Intrusions in Assam	1699
1849	कलकत्ता में फुटबाल स्टेडियम का निर्माण	Construction of Football Stadium at Calcutta	1699
1850	आसाम में पहाड़ी क्षेत्रों नागालैंड तथा मिजो जिलों में ईसाई	Christians in Hill areas of Assam, Nagaland and Mizo District	1699–1700
1851	शक्तिशाली विमान मार्ग निगरानी राडार व्यवस्थाएं	High Power Air Route Surveillance Radar Systems	1700–1701
1852	पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप	Allegation Against West Bengal Government Officials	1701
1853	सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व	Representation of Minroity Communities in Public employment	1701–1702
1854	भारत में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञ	Scientific and Techlologists in India ..	1702
1855	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission ...	1702–1703
1856	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायक तथा अधिकारी	Assistants and Officers in Central Secretariat Service	1703

1857 उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में यात्रा के लिये टिकट खरीदने में कठिनाई	Difficulty for getting tickets for travel in U.P. Roadways Buses ...	1703
1858 कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार	Improvement in service conditions of Employees	1704
1859 शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी में काम	Work in Hindi in Education Ministry ..	1704–1705
1860 पब्लिक स्कूलों को सहायता	Assistance to Public Schools ...	1705
1861 बम्बई में हिल्टन होटल	Hilton Hotel at Bombay	1705–1706
1862 वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों का ब्रिटेन को प्रव्रजन	Migration of Scientific and Technical Personnel to Great Britain ..	1706
1863 प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल	Demonstration Multi-purposes Schools ...	1706-1707
1864 प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल, मैसूर	Demonstration Multi purpose School, Mysore	1707–1708
1865 महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी संस्मरण लेख	Excerpts Relating to Mahatma Gandhi's Life	1708
1866 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	Scientific and Technical Terminology Commission	1708
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1709–1711
टर्की के जरिये पाकिस्तान को अमरीकी पैटन टैंकों का बेचा जाना	Sale of American Patton tanks to Pakistan through Turkey	1709
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1712-1713
सदस्य की रिहाई	Release of Member	1713
(श्री अर्जुन सिंह भदौरिया)	(Shri Arjun Singh Bhadoria)	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	1714–1715
बाढ़ की स्थिति संबंधी प्रस्ताव के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 Re. Motion on Flood Siluation	1715–1716
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1716
24वां प्रतिवेदन	Twenty-Fourth Report	1716
मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक 1968	Madras State (Alteration of Name) Bill 1968	1716
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	1716
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	1717
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	1717
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. Salve	1718
श्री अजमल खां	Shri H. Ajmal Khan	1719
श्री आर. एस. अरुमुगम	Shri R.S. Arumugam	1720
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ... –	1720
डा० वी. के. आर. वी. राव	Dr. V.K.R.V. Rao	1721
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	1721
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya	1722
श्री ए. श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	1722
श्री रा. ढो. भण्डारे	Shri R.D. Bhandare ... –	1722
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	1723
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ... –	1723
श्री वी. कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	1724
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan .. –	1725
खंड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	1775–1726
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	1725

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 39वें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion Re: Thirty-Ninth Report of Committee on Private Members Bills and Resolutions	1726
39वां प्रतिवेदन	Thirty-Ninth Report	1726
जम्मू और काश्मीर की स्थिति सम्बन्धी संकल्प जारी	Resolution Re. Status of Jammu and Kashmir-Contd.	1726
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	1727
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi.. ..	1732
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J Malhotra	1734
श्री चं. चु. देसाई	Shri C.C. Desai	1736
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	1738
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	1739
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	1741
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	1741
दिल्ली के अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Delhi Teachers	1741
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Dal Gupta	1741
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	1743

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 22 नवम्बर 1968/1 अग्रहायण, 1890 (शक)
Friday, November 22, 1968/Agrahayana 1, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा चलाई गई लाटरियां

+

*271. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री म० सुदर्शन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रा० की० अमीन :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य कितने हैं जो इस समय लाटरियां चला रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जब कि अधिकाधिक राज्य लाटरियां चला कर साधन जुटाने का विचार कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में इस तरीके से साधन जुटाने के प्रति सामान्य क्षोभ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बातों पर ध्यान दिया है और क्या इस मामले पर विचार किया है;

(घ) क्या लाटरियां चलाने के संवैधानिक औचित्य के बारे में अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) क्या राज्यों द्वारा साधन जुटाने के लिये लाटरी चलाने की प्रणाली को रोकने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पांच राज्य, अर्थात् हरियाणा, केरल, मद्रास, पंजाब तथा राजस्थान ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राजस्व बढ़ाने के इस तरीके के विरुद्ध समाचार पत्रों में क्षोभ व्यक्त किया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) संविधान के अधीन राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लाटरियां अनुसूची VII की सूची I (संघ-सूची) की प्रवृष्टि 40 से सम्बन्धित हैं ।

(ङ) जी नहीं, किन्तु एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य में उस राज्य की पूर्व सहमति के बिना चलाई गई लाटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क में संशोधन करने का विचार है ।

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that complaints have been received against certian States including Punjab regarding mis-appropriation and irregularities in lotteries floated by them ? Are the Government in a position to take any action against them and if not what are the reasons therefor ? Why the Government hesitate to take steps to ban this lottery system adopted by States for raising their funds, which is like gambling and speculation, where as individual gamblers and speculators are arrested for such activities ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated in the reply to main question that resentment has been expressed against this method of raising revenue by State Governments. But to take a decision for floating a lottery is a State subject and we cannot interfere in it.

The question of laying down a policy in this regard was discussed at a very high level and it was decided that the rights of any State Government should not be curtailed by force and decision to float or not float a lottery was left on the descrition of the State Governments. A ban on the sale of lottery tickets outside the State has been imposed.

Shri Prem Chand Verma : It appears from the reply given by the hon. Minister that due to some lacuna in our Constitution the Government hesitate to take action to ban these lotteries Keeping in view this fact will the Government take some step to ban these lotteries ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already made the Constitutional position very clear in the reply to the main question.

श्री रा० की० अमीन : मैं समझता हूँ कि सरकार के सोचने का तरीका अस्पष्ट हैं । कुछ राज्य लाटरी चला रहे हैं और कुछ नहीं । इसी प्रकार कुछ स्थानों में घुड़ दौड़ बन्द करदी गई हैं तथा कुछ स्थानों में उसकी अनुमति है । मद्यनिषेध के बारे में भी यही स्थिति है ।

समूचे देश के लिये सरकार एक सामान्य नीति क्यों नहीं अपनाती है ? यदि कुछ राज्यों को धन जुटाने के लिये लाटरी चलाने की अनुमति दी जाती है, तो केन्द्र स्वयं भी लाटरी चला कर धन क्यों नहीं जुटाती है ? सरकार सामाजिक आचरण के लिये एक ही तरह की नीति क्यों नहीं अपनाती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राज्य सरकारों की नीतियों के नियमन के लिये हम अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। अपनी नीतियों का हम नियमन कर सकते हैं। इस मामले में भी हम राज्य सरकारों की नीति का नियमन नहीं करना चाहते हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : इस मामले में व्यक्त किये गये क्षोभ का मैं स्वागत करता हूं। चूंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं, अतः सरकार को धन जुटाने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। जब लोग जीवन की अनेक विलासिताओं पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, तो एक रुपये का लाटरी का टिकट खरीदना साधारण बात है। तमिलनाड़ु के 10 प्रतिशत लोग लाटरी से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वे राजकोष के लिये धन देते हैं। चूंकि मन्त्री महोदय ने स्वयं बताया है कि सरकार लाटरी के मामले में राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का नियमन करेगी अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसके लिये कोई कानून बनायेगी और क्या यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों में परस्पर अनुचित प्रति स्पर्धा न हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं बता चुका हूं कि एक राज्य बिना दूसरे राज्य की सहमति के उस राज्य में टिकट न बेचें। यदि राज्य इस मामले में परस्पर सहमत हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वीरभद्र सिंह : क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लाटरियों के अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी लाटरी चलाती हैं, जिन्हें राज्य सरकारों से स्वीकृति मिलनी चाहिए और यदि हां, तो इन लाटरियों का नियमन करने का भी सरकार का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन लाटरियों को चलाने के लिये राज्य सरकारों को अनुमति देनी पड़ती है। अतः लाटरियों का नियमन करना राज्यों के क्षेत्राधिकार में है, न कि केन्द्रीय सरकार के ?

श्री रंगा : राज्यों के लिये धन जुटाने के लिये लाटरी चलाने की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता के बारे में मतभेद है और केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्यों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती है। इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार स्वयं अपनी लाटरी जारी न करके अपने को इस प्रतियोगिता से दूर रखेगी क्योंकि कुछ राज्य सरकारें संसाधन जुटाने के लिये यह तरीका अपना चुकी हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय भारत सरकार का विचार ऐसे मामलों में पड़ने का नहीं है।

Shri Achal Singh : Do the Central Government like the idea of floating lotteries for raising revenues ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of liking or disliking about it. When State Governments propose to adopt such methods, we see how far we can regulate it. We do not interfere in matter which do not require our control. The Delhi Administration has also sought our permission to float a lottery and we are considering this matter.

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether the Central Government get any share out of the income accrued from these lotteries and if not will the Government ban these lotteries ?

Shri Vidya Charan Shukla : Central Government do not get anything out of it.

I have already answered the second part of the question.

श्री चेंगलराया नायडू : प्राय: निर्धन लोग धनी बनने के लिये लाटरी के टिकट खरीदते हैं। जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कानूनी अनुमति दे दी है कि वे निर्धन जनता को लूटें, तो क्या वह अस्पताल, शिक्षा संस्था आदि चलाने वाली परोपकारी संस्थाओं को भी लाटरी चलाने का अधिकार देने पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना अनुचित है कि इन लाटरियों में हमारा हाथ है। इस सम्बन्ध में केवल यह कहा जा सकता है कि हमने उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं।

श्री चेंगलराया नायडू : परोपकारी संस्थाओं को ये लाटरियां चलाने की अनुमति देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि लाटरी चलाने के लिये राज्य सरकारों की अनुमति अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री धीरेन्द्र गोयल : पंजाब में लाटरी के धन के गोलमाल के बारे में गम्भीर शिकायतें हैं। चूंकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन है, अत: क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पंजाब में राष्ट्रपति शासन के कारण ये शिकायतें पैदा नहीं हुई हैं। कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और स्थानीय प्रशासन उनके बारे में जांच कर रहा है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : समझ में नहीं आता कि लाटरियों के बारे में इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। लाटरी अपने आप में बुरी नहीं है। यहां लोक सभा में भी बैलट के द्वारा अनेक बातों के बारे में निर्णय किया जाता है। निर्वाचन में भी निर्णय न हो सकने पर लाटरी डालकर निर्णय किये जाने की व्यवस्था है। अत: क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

मानव बलि

+

***273. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ राज्यों से धार्मिक कार्यों के लिए मानव बलि देने की पुरातन प्रथा के पुनः चालू होने के बारे में सरकार को कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को ऐसे तीन मामलों राजस्थान के उदयपुर जिले, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में से प्रत्येक में एक के बारे में सूचना मिली है।

(ख) राज्य सरकारों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन शीघ्र जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ताकि ऐसे घृणित अपराधों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर शीघ्रता से मुकदमा चलाया जा सके। ऐसे अपराधों के मूल कारणों का पता लगाने के लिये भी उनसे अनुरोध किया गया है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी इस देश में इस प्रकार की नृशंस हत्याएं की जाती हैं। राजस्थान में क्या हुआ था ? 21 मई को मदरा गांव में एक ठेकेदार के आदेश से पांच व्यक्तियों ने एक बालक की हत्या की थी और उसका रक्त नींव में छिड़का गया था। थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जाने पर भी पुलिस ने कई सप्ताह तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस को इस मामले की जांच करने में कितना समय लगेगा ? जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं? सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की हैं और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार को किस ढंग से कार्यवाही करने के लिये कहने का है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह ठीक है कि यह खेदजनक घटना है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच कार्य पूरा हो गया है और मामला न्यायालय को सौंप दिया गया है। अब मामला निर्णय के लिये न्यायालय के समक्ष है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जांच पूरी होने में कितना समय लगा तथा इतना अधिक समय क्यों लगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : ऐसा लगता है कि प्रधान मन्त्री ने सान्त्वना के रूप में उस लड़के के परिवार को 1,000 रुपये दिये हैं, जैसे कि एक बारह वर्षीय लड़के का मूल्य केवल इतना ही हो। उस लड़के के परिवार को पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह मुआवजे का प्रश्न नहीं है। यह केवल सहानुभूति है। माननीय सदस्य को इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Three cases of human sacrifice have come to light. It shows that we still believe in superstitions. So far as the incidents in Rajasthan is concerned it has been alleged that Rajasthan Government is not dealing with it with a firm hand.

An incident of human sacrifce has also been reported in Deoria. The statements given by the Governor and the Chief Secretary of Uttar Pradesh about this incident are contradictory. It is apprehended that the Administration under the President Rule in Uttar Pradesh trying to hush the matter. May I know whether the hon. Minister get these cases investigated by the Central Government or through an Agency of the Central Government?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि मुझे विश्वास हो जाय कि राष्ट्रपति-शासन वाले राज्यों में जांच नहीं की जा रही है तो मैं अवश्य हस्तक्षेप करूंगा। अन्य राज्यों में जांच में यदि विलम्ब हो रहा होगा तो मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करूंगा। यदि मुझ से सामान्य प्रश्न के बारे में जांच करने के लिये कहा जाये तो इस मामले में बहुत कुछ कहा जा सकता है। जहां तक देश में अन्धविश्वास का सम्बन्ध है, हमें इसके विरुद्ध संघर्ष करना है और इसे दूर करना है। प्रकाश में आये मामलों से ही संतोष कर लेना काफी नहीं है। ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं जो प्रकाश में न आये हों। इसीलिये हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस समस्या के मूल कारणों का पता लगा कर उसे हल करने का प्रयत्न करें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यह अच्छी बात है कि मन्त्री महोदय को ऐसी घटनाओं के बारे में चिन्ता है। आज मानव जीवन के मूल्य बहुत कुछ बदल गये हैं किन्तु अब भी इस प्रकार की जघन्य घटनाएं होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। इनके क्या कारण हैं ? उन्हें किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : किये जा सकने वाले उपायो के बारे में मैं बता चुका हूं।

श्री हेम बरुआ : उदयपुर में इस घृणित हत्या का विवरण 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था और वह बहुत भयानक था। हमारे देश से इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उन्होंने अपने लाभ के लिये इन उत्पीड़क लोगों को निरीह लोगों और निरीह बालकों की हत्या करने दी है। इस निरीह बालक की इसलिये हत्या की गई थी कि ठेकेदार को अपने काम में लाभ हो सके और उसकी अर्थ-लोलुपता शान्त हो सके। राज्य सरकार ने घृणित रूप में इस बालक की हत्या करने वाले ठेकेदार और उसके साथियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई

हैं और यह भयानक चक्र चल रहा है। क्या सरकार निरीह और गरीब लोगों की हत्या के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने, उन्हें जनता के सामने कोड़े मारने और आवश्यक हो, तो फांसी भी देने के लिये तैयार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही हमें उनके साथ कानून के अन्तर्गत कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और कानून के अन्तर्गत जो भी कर सकें, करना चाहिए यदि हम देखते हैं कि कानून अपूर्ण अथवा कुछ उदार है, तो मैं समझता हूं कि हमें इसपर अवश्य विचार करना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा कि हत्यारों में परम्परागत अंधविश्वास है लेकिन सरकार की ओर से निष्क्रियता की परम्परा है।

श्री क० नारायण राव : माननीय मन्त्री द्वारा बताये गये मामलों से एक रोचक बात पता चलती है कि तीनों घटनाएं उत्तर भारत में हुई हैं, जहां पर जनसंघ आगे बढ़ रहा है... (**अन्तर्बाधा**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे इस प्रकार के प्रश्न पर आपत्ति है। इस प्रश्न को इस प्रकार दलगत आधार पर नहीं रखा जा सकता। राजस्थान के बारे में क्या स्थिति है ? क्या हम इस प्रश्न पर दलगत आधार पर चर्चा करेंगे ?

श्री क० नारायण राव : मैं केवल इतना जानना चाहता था कि क्या इससे कोई सम्बन्ध है ....(**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त गंभीर मामला है। यह समूचे देश के लिये शर्म की बात है। माननीय सदस्य को किसी भी दल को बीच में नहीं लाना चाहिए। किसी ने भी अब तक ऐसा नहीं किया। यह उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में हुआ हो ; मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं है ; उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए इसको दलगत प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गत 14 वर्षों से ऐसा होने देना और अब इसके लिये जनसंघ को दोष देना अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : यह सारे देश के लिये गम्भीर मामला है। आखिरकार हमारा क्या नाम है ? हमारा नाम भारत के बाहर है। हम सब यहां पर भारतीय हैं और हम सब को इस बारे में चिन्ता होनी चाहिए। दलों के आधार पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : राज्य का भी कोई प्रश्न नहीं है। यदि आसाम में ऐसी बात होती, तो मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या ये दूषित और विकृत आचरण के इक्का दुक्का मामले हैं, जिनके लिये हमें कठोर से कठोर दण्ड देना है अथवा इनका कारण नरबलि की प्राचीन

प्रथा का पुनः आरम्भ हो जाना है ? क्या इस कुप्रथा के फिर से आरम्भ किये जाने के कोई गम्भीर लक्षण हैं ? बाद की स्थिति में कुछ और कार्यवाही तथा पहली स्थिति में कुछ भिन्न कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उन्हें छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु इनके बारे में अधिक शोर मचाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि विदेशी लोग इसे लाभ उठायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सारी स्थिति को स्पष्ट किया जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रुप में माननीय सदस्य से सहमत हूं। वास्तव में यह दूसरी बात मालूम पड़ती है अर्थात ये इक्का दुक्का मामले हैं, जिनसे कुछ विकृत व्यक्तियों का हाथ है और इसलिये उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। परन्तु साथ ही हमें इस कठिनाई के बारे में जागरुक होना पड़ेगा और इसीलिये हमने राज्य सरकार से मूल कारण पता लगाने के लिये कहा है।

श्री शिवाजीराव शं देशमुख : क्या मन्त्री महोदय गंभीरता से जांच करने के प्रमाण स्वरुप इस सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि पुलिस ने तीन घटनाओं में मृतकों के शव विधिवत अपने कब्जे में लिये थे उनकी पहचान कराई थी और उनकी शव-परीक्षा कराई थी? यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य जांच पड़ताल का ब्यौरा पूछ रहे हैं, एक मामले के बारे में मेरे पास ब्यौरा है। शव की पहचान की गई थी और कुछ परीक्षा भी की गई थी। सारा मामला अब न्यायालय में निर्णयाधीन है। अन्य दो मामलों के बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, परन्तु मेरी धारणा यह है कि यह सब एतिहयात रखी गई थी।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, I think that the hon. Minister is very much worried over such incidents that have occured at some places. May I know whether he will pay attention to mobilising public opinion against human sacrifice and beating up of women etc. through the various information media of Government such as All India Radio? Is there any such proposal ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा को इस समस्या के बारे में श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा रखे गये दृष्टिकोण के बारे में स्मरण कराना चाहता हूं। यदि हम इस बात का अधिक प्रचार करेंगे तो इससे यह धारणा बन जायेंगी इस देश में ऐसी घटनायें सामान्य स्वभाव हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : मैं गृह मन्त्री महोदय के इस कथन का विश्वास करने को तैयार हूं कि वे इसे गम्भीर बात समझते हैं और इन घटनाओं से वह भयभीत हो गये हैं। लेकिन मैं इस विलम्ब को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और इसी कारण से मुझे उनकी सद्भावना पर सन्देह करना पड़ता है। इसके बावजूद कि ये घटनायें 21 मई को हुई और अब छः महीने बाद गृह मन्त्री केवल इतना कह पाते हैं कि सम्बन्धित व्यक्तियों का चालान मात्र किया गया है। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि ऐसी कोई घटना हो, तो ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने के लिए कठोर से कठोर और शीघ्र से शीघ्र हर सम्भव तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए। किसी अन्य तरीके की तुलना में इस प्रकार की कार्यवाही से ऐसी प्रथा को रोकने में अधिक सहायता मिलेगी।

पिछले छः महीनों में कुछ भी हुआ हो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गृह मन्त्री गत छः महीनों में हुई लापरवाही और निष्क्रियता को आगामी चन्द सप्ताहों में दूर करेंगे और कानुनी तथा पुलिस कार्यवाही को आगामी चन्द सप्ताहों में शीघ्रतिशीघ्र करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की धारणा गलत है। स्वाभाविक है कि इस मामले में मैं निश्चय ही राज्य सरकार की सहायता ले सकता हूं। लेकिन उनकी यह धारणा कि छः महीने की अवधि में कुछ नहीं किया गया है, गलत है। केवल इस बात से कि हम इस प्रश्न पर संसद में छः महीने बाद चर्चा कर रहे है, यह अर्थ नहीं निकलता कि छः महीनों में कुछ नहीं किया गया है। यह घटना मई की उत्तरार्द्ध में हुई थी और जून में जांच आरम्भ कर दी गई थी।

श्री हेम बरुआ : घटना मई में हुई और जांच जून में प्रारम्भ की गई ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई और उन्हें गांवों में जाना और सम्बन्धित व्यक्तियों का पता लगाना था। में यह धारणा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि कोई विलम्ब नहीं हुआ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : तो वे स्वीकार करते हैं कि विलम्ब हुआ था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : साथ ही मैं सभा की यह धारणा भी नहीं बनाना चाहता कि छः महीनों में कुछ नहीं किया गया।

Shri Sheo Narain : The Central Government is the guardian of all the states in a way. If there is mismanagement in a State or such ghastly acts take place there and the State Police and Administration fails to set matters right, it is the prime duty of this Government to intervene and to see that drastic action is taken if the case is proved. Such ghastly acts are generally directed against the poor and Harijans. At some place a Harijan is being learnt alive and at some other place some other thing is happening. I would like the Government to take drastic action in such cases.

Shri Y. B. Chavan : I agree with the hon. Member.

श्री वी० कृष्णामूर्ति : जब तक हम ऐसे अपराधियों को अनिवार्य रूप से मृत्यु दण्ड देने के लिए एक नया कानून नहीं बनाते, हम ऐसे बर्बर कार्यों का प्रतिकार नही कर सकते हैं, वर्तमान कानून के अन्तर्गत धारा 302 के अन्तर्गत ही अपराधी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन वह यह कहकर कि सहसाकारी उपेक्षापूर्ण कार्य के कारण मृत्यु हुई है, धारा 304 ए के अन्तर्गत अपवाद की शरण ले सकता है। क्या मन्त्री महोदय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 के अन्तर्गत अनिवार्य मृत्यु दण्ड देने के लिए उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करेंगे ? इस अपराध को भी मृत्यु दण्ड दिये जाने वाले अपराधों में शामिल किया जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो विशिष्ट कार्यवाही करने का सुझाव है और निश्चय ही इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Randhir Singh : In earlier days 'Sati' and killing of daughters were the blots on the name of our country. When country has won freedom the murder of Harijans or leaving the other backward and poor communities totally unprotected is not proper. It gives bad name not only to the Government but also the country. A trial of a murder case under the existing criminal procedure code and Indian Penal Code takes six months to two years and even these it is difficult to rope in such hinous crimes. Will the hon. Minister replace the present procedure of warrant by a summary trial ? Keeping in view the whole situation and after examining criminal procedure code and Evidence Act some procedure should be worked out and punishment awarded in a drastic manner so that the reputation of our country does not suffer.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसे समझता हूं और माननीय सदस्य के शेष में साथी हूं । लेकिन जहां तक कानून के अन्तर्गत मुकदमे की सुनवाई का सम्बन्ध है, मैं एकदम से यह नहीं कह सकता हूं कि ऐसा किया जा सकता है अथवा ऐसा नहीं किया जा सकता है । लेकिन हम अवश्य ही इन बातों पर विचार करेंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister said that they will look into these cases where President's rule was promulgated. But it will be a wrong thing since matters relating to Harijans and minorities are the responsibility of the Centre. You just now said that the State Governments would look into them. In the case of murder of a boy in Andh a Pradesh the alleged culprit has been recently acquitted by the High Court or the Supreme Court. Why the Government avoids enquiry when it is the responsibility of the Centre under the Constitution ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अब माननीय सदस्य अनेक संवैधानिक प्रश्न, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध आदि बातें उठा रहे है, मैंने कहा था कि मैं उपेक्षा से काम नहीं लूंगा और जहां राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं है मैं इस बारे में राज्य सरकारों से गम्भीरता से पूछताछ करूंगा ।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र गृह मन्त्री ने ऐसी अनेक सम्बद्ध बातों का उत्तर नहीं दिया है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा वैध अधिकार है । उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री ने राजस्थान में हुए एक मामले में प्रधान मन्त्री कोष से 1000 रुपये का संवेदना अनुदान दिया है; लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया गया कि क्या अन्य दो मामलों में भी यही विनम्रता दिखाई गई थी । न ही उन्होंने यह बताया कि दया स्वरुप कुछ धन देकर अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही के द्वारा संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिये राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की, और न ही उन्होंने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में, जहां राष्ट्रपति का शासन लागू है, ऐसे लोगों को दण्ड देने, परिवारों को कुछ धन देने और संसद द्वारा और अपने माध्यम से नियुक्त संसदीय समिति को आवश्यक जानकारी देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, क्या कारण हैं कि नर बलि के इन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य मामलों के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन महीनों अथवा हफ्तों में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? अन्त में क्या यह सच नहीं है कि इस मामले के बारे में राजस्थान विधान सभा में विरोधी पक्ष द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार में अविश्वास प्रकट किया गया था और विरोधी दलों ने सभा का त्याग भी किया था ? इन

सब बातों के होने पर भी वे यह जानकारी देकर संतुष्ट हैं कि इन व्यक्तियों का चालान किया गया है। क्या भविष्य में वे कम से कम ऐसे मामलों में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करायेंगे और स्वयं प्रारम्भिक जांच करायेंगे और देखें कि ऐसे मामलों में राज्य सरकारे अथवा उनकी पुलिस अकर्मण्यता, निष्क्रियता और हृदयहीनता से काम नहीं करती ?

यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा परिवारों की सहायता देने का सम्बन्ध है, मेरे पास जानकारी नहीं है, यदि मेरे पास जानकारी होती, तो मैं निश्चय ही दे देता परन्तु मैं जानकारी मंगाकर आपको दे दूंगा, जो भी जानकारी मैं दे सकता हूं, वह देने से इन्कार करने का मेरा विचार नहीं है।

जहां तक राजस्थान विधान सभा में चर्चा का सम्बन्ध है, मैंने यह जानकारी देना इस लिये आवश्यक नहीं समझा क्योंकि वह जन साधारण को मालूम है,

मेरी दिलचस्पी तो ऐसे मामलों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्ण जांच कराने की थी क्योंकि नीचे के स्तर पर गड़बड़ होने की संभावना रहती है, इसलिये इस मामले में उक्त सरकार के ध्यान में यह बात लाना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस काम पर लगाकर कारगर तरीके से और दक्षता से जांच कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सभी दृष्टिकोणों से इस बारे में जांच करना आवश्यक था। इस विषय में मुझे अन्य सदस्यों से सहायता मिल सकती है। हमें यह भी देखना है कि ऐसा मालूम नहीं दे कि भारत में ऐसी घटनायें सामान्य बात हैं। इसलिये मूल कारणों की सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी।

श्री रंगा : उत्तर प्रदेश के बारे में ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः पूछताछ करूंगा और देखूंगा कि दक्षता से जांच की जाये।

बड़ौदा जिले के सावली तालुक के अमरपुरा गांव में एक हरिजन लड़के की पीटे जाने से मृत्यु

+

***274 श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री एस०पी० राममूर्ति :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा जिले के सावली तालुक में अमरपुरा गांव में 25 अगस्त, 1968 को एक हरिजन लड़के को पीटकर मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1968 को गुजरात विधान सभा में गुजरात के गृह उप-मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार स्थिति इस प्रकार है । मृत लड़का राम भाई बड़ौदा जिले में अमरपुरा गांव में अपने माता पिता और भाईयों के साथ रहता था । उसके भाई ने उसी गांव के एक अध्यापक रसिकलाल हरिलाल शाह से 450 रुपये उधार लिये थे । 25 अगस्त को उसने, दो अन्य व्यक्तियों के साथ अमरपुरा गांव के सरपंच को मृत लड़के के भाई के घर के आहाते की जांच करने के लिये मना लिया । मृत लड़का उस समय घर से बाहर गया हुआ था । जब वह वापिस लौटा तो उसे इस सारी बात का पता लगा और वह रसिकलाल को मिलने चला गया । वह रसिकलाल और उसके दो साथियों को गांव के बाहरी हिस्से में ही मिल गया । तब उन दोनों में आपस में बहुत गाली गलोच हुआ । तीनों व्यक्तियों ने राम भाई को मारा पीटा और वे उसे साइकिल पर उठा कर लगभग एक मील की दूरी पर ले गये । जब वह बेहोश हो गया तो वे उन्हें रास्ते में छोड़कर चले गये । मृत लड़के के एक भाई को जब इस सारी बात का पता लगा तो वह उसे घर ले आ या जहां उसकी आकर मृत्यु हो गई । गांव के सरपंच की रिपोर्ट पर सावली पुलिस थाने में हत्या का एक मामला दर्ज कर लिया गया था । शेष तीनों अपराधियों को 26 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था । राज्य की गुप्तचर पुलिस ने इस मामले की जांच की तथा 6 सितम्बर, 1968 को तीनों दोषी व्यक्तियों को विरुद्ध आरोप-पत्र दे दिये गये । इस सम्बन्ध में गुजरात विधान सभा में राज्य सरकार ने एक वक्तव्य दे दिया था ।

Shri Prakash Vir Shastri : Firstly I have read this sta'ement and secondly the Government had accepted this thing while giving reply to a Question of Shri Goyal that atrocities are being committed on Harijans in all the States of the country. Keeping these things in view I would like to know one thing from the Government as to whether they have not realised this thing that even now after twenty years of Independence activities are being committed on Harijans and whether the number of these atrocities has not increased after 1967 ? Take for example the case of Delhi. It is a Centre of the Government. A marriage party of Harijans in a village of Delhi was looted because they had a band party with them. Not only that they were beaten and shunted away. This thing is in the knowledge of Central Government. The hon. Home Minister has himself accepted this thing in reply to a question dated 15th November that in such and such a State atrocities have been committed on Harijans. May I therefore know whether any Commission on All India basis will be appointed to go into the causes of atrocities on Harijans. May I also know whether any special steps have been taken to prevent recurrence of such happenings ? May I also know whether apart from these legal actions Government propose to take other steps to avert such happenings with Harijans in villages and other placed and if so, the details thereof ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में सब से अच्छा काम तो यह है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये । इसके साथ ही साथ इस सम्बन्ध में लोगों की राय बनाना भी जरुरी

है। इस सभा में कई बार चर्चा करते हुए हम ने इस मामले पर जोर देने का प्रयास किया है। हम ने इस मामले के बारे में राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत की है। जैसाकि मैंने इस सभा को पहले वचन दिया था उसके अनुसार मैंने मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया था। मैं इस प्रश्न को उठाया था और उनको कहा था कि वे इस पहलू पर ध्यान दें और जांच व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करें तथा सम्बन्धित राज्यों की राय लें। मैंने यह सब कुछ किया है।

Shri Om Prakash Tyagi : Does the hon. Minister feel that the number of happening of atrocities on Harijans has increased after the elections of 1967 and whether he also feels that the main cause of these atrocities is that in the elections of 1967 Harijans have cast their votes with full freedom whereas before that they could not exercise their right of franchise with full freedom on acccount of helplessness and eccnomic and social reasons and also because there has been frsutration in some parties on account of change in social atmosphere and thus the atrocities are being committed on Harijans in rural areas ? Is it a fact that some political parties have started commit ing atrocities on them so that they may not go away from their hold. If this is also one of the reasons then may I know what steps Government propose to take to remove it ?

My second point is that some time back when the hon. Home Minister had given an assurance in this House then I had asked him a question whether he could solve the question of untouchability with legislation and if not, then whether he feels that the cooperation of religious institutions should be sought then he had given an assurance that he would seek the co-operation of religious institutions. May I know what steps has he taken to seek the co-operations of religions institutions in this regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो केवल माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में सहयोग दें। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें अपनी व्यवस्था का प्रयोग करें ताकि इस मामले में लोगों की राय बनाई जाये तथा सभी सामाजिक संस्थायें इस मामले में सहयोग दे। ये उपाय पहले किये जा चुके हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे : गृह-कार्य मंत्रालय देश का राजनैतिक और सामाजिक अन्तकरण को धारण करने वाला मंत्रालय में होता है। गत एक वर्ष से कई घटनायें घट रही हैं। क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये घटनायें किसी मनुष्य के स्वभाव के कारण कभी-कभी हो जाती है अथवा देश में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बन गई है। अतः इसके लिये कौन सी बातें राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक उत्तरदायी हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि इसके लिये किसी मनुष्य का स्वभाव उत्तरदायी है। ये घटनायें कुछ राजनैतिक और सामाजिक कारणों से हो रही है। जब हरिजन अपने अधिकार जताने का प्रयास करते हैं तो समाज के कुछ लोग इसे पसन्द नहीं करते। इससे हीनता की भावना का पता चलता है। अतः हो सकता है कि यह भी एक कारण इस के लिये उत्तरदायी हो।

श्री हेम बरुआ : यह केवल हिन्दू जाति के गर्व के कारण है।

श्री दे० अमात : ऐसे समाचारपत्रों को भी, जो हरिजनों की दशा सुधारने के लिये देश में पत्रकारिता का उचित वातावरण पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, धमकी दी जा रही है। आन्ध्र प्रदेश में, अंधना हरिजन के मामले में आन्ध्र प्रदेश के गृह मन्त्री ने कहा था "हरिजन तथा उससे सहानुभुति रखने वाले संवाददाता के साथ यह एक चोट है।" जब कोई हरिजन चोरी करता है चाहे वह उसे मान भी लेता है तो उसे मारपीट कर जला दिया जाता हैं। इस लिये क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि एक ऐसे मन्त्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है जो संविधान का उल्लेघन करता है और अनुच्छेद 46 के अनुसार कार्यवाही नहीं करता जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा की जानी चाहिये।

श्रीमती सुशील' रोहतगी : किसी लड़के को मार मार कर जान से मार देना ऐसी कार्यवाही है जिसे माफ नह किया जा सकता। अतः ऐसा करने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जाना चाहिये। इसलिये हरि की बात करने से क्या लाभ है। क्या हरिजन लड़के को पीटने और मारने की तुलना में गैर-हरिजन लड़के को पीटना और मारना अधिक न्यायुचिता है? अतः जात पात को इस प्रकार बीच में नही लाया जाना चाहिये क्योंकि यह बात तो धर्मनिरपेक्षता के विरूद्ध है। जहां तक इस हत्या का सम्बन्ध है इस सभा का प्रत्येक सदस्य को उसका रंज है तथा उसने कहा है कि यह एक गलत बात हुई है।

Shri Shiv Charan Lal : Sir, I oppose this question. All the boys who were killed belonged to Harijan community. I should also be given an opportunity to put a question.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। जब दो सदस्य खडे होते हैं तो मैं एक ही सदस्य को दूसरी बार प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता हूं। तब मैं दूसरे सदस्य को बोलने का मौका देता हूं। अतः आप बार बार मत खड़े होइये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि किसी को पीटना अथवा जान से मारना बुरा है परन्तु हरिजनों के मामले में इस का अवश्य मकसद हैं तथा हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है।

Shri Deven Sen : In view of the fact that Harijans are being murdered openly and harbarously may I know whether Government propose to impose punitive tax in a village where Harijans will be murdered because no individual is responsible for it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी यह इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय पर निर्भर करता है। मै यह नहीं कह सकता कि प्रत्येक मामले में इस प्रकार का सामूहिक दंड के तरीके से काम चल सकता है। हो सकता है इससे दोनों वर्गों में और तनाव पैदा हो जाये। यह करना अच्छी बात है या नहीं यह अपने अपने निर्णय पर निर्भर करता है परन्तु जहां ऐसा करना आवश्यक है वहां ऐसा किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : दुर्भाग्य की बात है कि यह घटना मेरे ही जिले में हुई है। मैं ने अपने जिलों का हाल में दौरा किया था तथा मैं लगभग 150 देहातों में भी गया था तथा मैं ने देखा है कि ऐसी घटनायें वहां बहुत कम होती है परन्तु जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि वहां पर ऐसी घटनायें बिल्कुल ही नहीं होती। मैं

जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने गुजरात में ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की है जो इस जिले में अथवा कैरा के पार्श्ववर्ती जिले मे हुई है ? क्या उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि ऐसी घटनायें वहां हुई है अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है ।

श्री स० कुन्डू : स्वतंत्रता के 21 वर्ष पश्चात् जब ऐसे मामलों का हमें पता लगता है तो हमें बहुत दुख होता हैं क्योंकि चाहे हमने संविधान में दी गई समानता की भावना का अभी उल्लेख किया है परन्तु व्यवहार में ऐसी चीज नहीं होती है । इससे भी हमारी शिक्षा की अपर्याप्ता का पता लगता है । अत: क्या मैं गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से यह निवेदन कर सकता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ रोशनी डाले और यह देखे कि समानता लाई जाये और शिक्षा के माध्यम से स्वर्ण जाति की भावना आती जाती रहे । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कोई निकाला जा सकता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है । उन्होंने तो केवल अपने विचार व्यक्त किये है जिनसे मैं सहमत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वह माननीय सदस्यों से नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में उत्तर नहीं पूछ सकते ।

Shri Kamble : May I know the caste of persons who are committing atrocities on the poor Harijan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निःसन्देह यह सच है कि ऐसी घटनायें अधिकांश राज्यों में हो रही है परन्तु विभिन्न धर्मों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । बहुत से मामले जो हमारे ध्यान में लाये गये है व उनका सम्बन्ध हिन्दू जाति से है ।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Immaterial of the fact whether murders were committed by Police or by other persons the victims were the Harijans. May I know whether Government propose to appoint a commission to go into the whole matter and present a report to prevent recurrence of such happenings ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि आयोग बनाने की कोई जरूरत है । आयोग बनाने की तो तब जरूरत पड़ती यदि हम इन मामलों अथवा उनके कारणों के बारे में अपरिचित न होते । हमें कारणों का पता है । वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है कि इन घटनाओं को रोकने तथा लोगों की राय बनाने के लिये कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है । इसके लिये आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : There is no doubt about it that even twenty years after Independence the Harijans are discriminated against. Sacrifices are made merely on account of superstitious. A question was asked from the congress benches just now as to who are the persons who are responsible for doing all this. I think those persons who have belief in superstitious only they do like this. First of all a voice was raised against superstitious and discriminations by Swami Dayanand Saraswati in the

nineteenth century. May I know whether any facilities will be offered to the Arya Samaj, founded by Rishi Dayanand, either by A. I. R. or any other agency so that they may carry on their movement against this sort of discrimination.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न तो सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा जाना चाहिए। परन्तु निस्सन्देह जो भी व्यक्ति इस के विरुद्ध सार्वजनिक राय बनाना चाहे उन्हें अवश्य ही सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

श्री श्रीधरन : कुछ समय से इस देश में हरिजनों को बुरी तरह से दबाया जा रहा है। ऐसी चीज इस देश में होनी आवश्यक ही है जहां के मंत्री ज्योतिषियों से सलाह लेते हों। इस सभा ने गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर बार बार दिलाया है कि यह एक खतरनाक बीमारी है जिसका शीघ्र ही इलाज किया जाना चाहिये क्योंकि एक राज्य में तो एक मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि हरिजनों को मारा पीटा जाना चाहिये तथा वे गुंडे हैं तथा उसका कुछ भी नहीं किया गया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में एक घातक बीमारी है जिसका अवश्य ही मुकाबला किया जाना चाहिये। इस देश की इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार संविधान में आवश्यक संशोधन करेगी तथा यह कानून बनायेगी कि जब केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों का चयन किया जाये तो उनमें से 60 प्रतिशत मंत्री पिछड़े सामुदायों अल्प संख्याकों, अनुसूचित जातियों तथा हरिजनों से लिये जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि संविधान में ऐसा संशोधन करने की आवश्यकता है।

Shri Ramavtar Sharma : Sir, I do not agree that a sense of untouchability is increasing. but on the other hand there has been an over all improvement during all these years. Such things have been happening previously also but now they are published in the newspapers, only that is the diffierence. Apart from it political parties are competing with one another in order to get their sympathy and hence this matter gets wide publicity. May I therefore know whether Government propose to start some constnictive programme to put an end to untouchability just as Mahatma Gandhi had started,

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार को इस मामले में सार्वजनिक राय बनानी पड़ती है। यह केवल सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं और रचनात्मक कार्यक्रमों की सहायता से किया जा सकता है। अतः हम अपने समाज कल्याण कार्यक्रम आदि के माध्यम से रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Complaints From Employees of Offices Located in Indraprastha Bhavan

* 272, **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) Whether Government have received complaints to the effect that wrist watches, rings etc. of some employees of the offices located in Indraprastha Bhavan, New Delhi, were found missing when the police resorted to lathi-charge inside that building on the 19th September, 1968 and that some women employees were also maltreated there ; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the steps being taken in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : Allegations that personal belongings of some employees were missing after the incidents in the Y building of the Indraprastha Estate on September 19, 1968, and that some women employees were maltreated had been made in the press and elsewhere. The Deputy Commissioner has inquired into these matters and reported that although no definite evidence regarding snatching of personal belonging by policemen is available, it is not unlikely that a few such incidents might have taken place. He has also reported that some women employees were subjected to abuse and one or two of them were pushed by a lathi. As it was not possible for the employees to identify the policemen who had misbehaved, no criminal cases could be registered for investigation. The Government are, however, examining the report of the Deputy Commissioner to see what administrative action can be taken.

छोटी सदरी स्वर्णकांड की जांच

*275. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सदरी स्वर्ण कांड की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है तथा जांच प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ स्थित सम्पत्तियों का देय किराया

*276. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच हैं कि पंजाब और हरियाणा राज्यों ने, उन सम्पत्तियों के लिए किराया देने से इन्कार कर दिया है जो संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में उन के कब्जे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो किराया न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन दोनों राज्यों की ओर कुल कितना किराया शेष है ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

एक वक्त था जब पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों ने चन्डीगढ़ की सम्पत्तियों को बिना किराये के प्रयोग में लाने के पक्ष में नहीं थी। उन्हें यह स्पष्ट किया गया था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत चण्डीगढ़ के क्षेत्र के दायित्वों की अनुपाततः जिम्मेदारी केन्द्र पर आयेगी और केन्द्रीय सरकार की भवनों के रखरखाव पर व्यय करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें उनके द्वारा प्रयोग में लायी जा रही बिल्डिंगों का किराया देने को कहा गया था। उनके कर्मचारियों के पास जो रिहायशी मकान है उनके लिये उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराया लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई किराया नहीं दिया, बल्कि किराया लिये जाने के आधार पर आपत्ति की है। वर्तमान निर्धारण के अनुसार पंजाब सरकार से 1,20,78,474 रूपये और 77,85,185 रूपये हरियाणा सरकार से किराये के वसूल किये जाने हैं। यह नवम्बर, 1966 से 31 अक्तूबर, 1968 तक के लिये है। दो सरकारों के पास भवनों के किराये पर विचार करने के लिये और सम्बद् मामलों की ओर ध्यान देने के लिये पंजाब, हरियाणा और चन्डीगढ़ सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक शीघ्र बुलायी जा रही है ?

Tendencies of Disintegration in the Country

*277. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that ever since the system of elections has been introduced in the country the spirit of nationalism has been vanishing and strong feelings of casteism, communalism and regionalism are spreading among all the political parties ;

(b) if so, whether it is a fact that this has caused danger to the country's freedom ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) These are matters of opinion; but many people publicly express the view that caste, communal and regional feelings are on the increase.

(b) No sir.

(c) The National Integration Council has been revived to counter divisive rforces and promote integration. Further, the Criminal and Election Law (Amendment) Bill has been introduced with a view to strengthening legal instruments for dealing with divisive activities.

Reorganisation of Assam

*278, **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Sharda Nand : **Shri Basumatari :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) how far the State Government and the leaders of Hill Districts of Assam are satisfied with the decision reqarding reorganisation of Assam ;

(b) whether it is a fact that the possibility of a new agitation to be launched in the hill areas of the State has increased as a result of this decision of Government ; and

(c) if so, how Government propose to deal with the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The Government of Assam as well as the All Party Hill Leaders Conference have decided to give a fair trial to the reorganisation plan of Assam.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कार्मिक संघों की मान्यता को समाप्त किया जाना

***279. श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे, डाक व तार विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनेक कार्मिक संघों की मान्यता रद्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार से कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त करने से कर्मचारियों के अपने कार्मिक संघ बनाने के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने रेलवे, डाक व तार विभाग सहित कर्मचारियों के उन संगठनों की मान्यता वापिस लेने का निर्णय किया जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिए आह्वान किया था ।

(ख) जिन बड़ी संस्थाओं । संघों । महासंघों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें से कुछ के नाम ये हैं :

1. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ।
2. राष्ट्रीय डाक व तार कर्मचारी महासंघ ।
3. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ ।
4. अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा तथा लेखा संस्था ।
5. आयकर कर्मचारी महासंघ ।
6. नागर विमानन विभाग कर्मचारी महासंघ ।
7. केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित कार्यालयों के कर्मचारियों का महासंघ ।
8. केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

Defective Petrol Pump Machines

*280. **Shri S. S. Kothari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State ;

(a) whether cases where petrol pump machines were found defective have been brought to the notice of Government ;

(b) if so, the number of petrol pumps regarding which enquiry has been made so far and the number of petrol pump proprietors against whom action has been taken so far for trying to cheat the people with defective machines ;

(c) whether Government propose to introduce monthly inspection of all the petrol pumps in Delhi by experts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(i) Number of petrol pumps against which enquiry has been made from 1.4.68 to 31.10.68..... 89.

(ii) Number of petrol pump proprietors against whom action has been taken during this period : 29.

(c) and (d) : In addition to the provisions of Delh Weights and Measures (Enforcement) Rules requiring annual verification of petrol and dieseat pumps, it is proposed to organise frequent inspections of petrol and diesel pumps.

सितम्बर 1968 में प्रधान मंत्री की कानपुर यात्रा

*281. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री शिवचरण लाल :**
श्री केदार पस्वान : **श्री गयूर अली खां :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 सितम्बर, 1968 को प्रधान मंत्री की कानपुर यात्रा के लिये किये गये प्रबन्ध की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या जिस मार्ग से प्रधान मंत्री को जाना था, वहां पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों को भी जाने की अनुमति नहीं थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को जानकारी है कि इस अवसर पर सामान्य सुरक्षा-प्रबन्ध किये गये थे ।

(ख) और (ग) : पैदल चलने वालों के लिए संबंधित सड़कें बन्द नहीं की गई थीं किन्तु उन पर यातायात सामान्य रीति से नियन्त्रित किया गया ताकि सड़क के किनारे एकत्रित हुए

लोग प्रधान मंत्री को अच्छी तरह देख सकें तथा साथ ही यातायात के चलने में भी कोई बाधा न आए।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

*282 डा० सुशीला नैयर : क्या शिक्षा मंत्री वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद् के सम्बन्ध में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें रिपोर्ट की प्रमुख बातें दी गई हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2262/68] रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Formation of New Districts in Kerala

*283. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Government of Kerala propose to form some new districts in that State ;

(b) whether it is also a fact that these new districts are being formed on the demand of the Muslim League ;

(c) whether it is also a fact that these districts would have a majority population of Muslims ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) According to information furnished by the State Government, they have accepted in principle the formation of two new districts ; one to be formed with portions of the existing Kozhikode and Palghat districts and the other with portions of Kottayam and Ernakulam districts.

(b) According to the State Government, the new districts are not being formed on the demands of Muslim League.

(c) The State Government have intimated that they have not compiled data in this regard so far.

(d) Formation of new districts is entirely the concern of the State Government.

सुधार आयोग के चेयरमैन की टिप्पणियां

*284. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को पुलिस की ज्यादतियां की प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन ने तीव्र आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार ने 19 सितम्बर, 1968 को दिल्ली तथा अन्यत्र पुलिस की ज्यादतियों के सबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई प्रेस-वार्ता के समाचार देखे हैं।

(ख) सरकार ने निश्चित आरोप पहले ही तय कर लिए हैं तथा इसकी सूचना उस पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को भिजवा दी है जो 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन तथा उसके आस पास की घटनाओं से संबंधित थे। पठानकोट में गोली चलने की घटना की दण्डाधिकारीय जांच भी की गई है जिसका निष्कर्ष है कि हिंसक और क्रोधित भीड़ से उत्पन्न जीवन और सम्पति को भारी खतरे को देखते हुए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के आयुक्त बीकानेर गोलीकाण्ड की जांच कर रहे हैं।

छात्र समितियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

*285. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण छात्र समिति तथा छात्र क्रान्तिकारी समिति ने 2 सितम्बर, 1968 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापनपत्र प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन-पत्र में क्या लिखा हुआ था ;

(ग) ज्ञापन-पत्र में उठाये गये मसलों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या विश्वविद्यालय को लोक-तंत्रीय ढंग से चलाने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी 2 सितम्बर, 1968 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था।

(ख) इस ज्ञापन में प्रार्थना की गई है कि विश्वविद्यालय को —

(i) हिन्दी विभाग के विरूद्ध कुछ शिकायतों की जांच के लिए एक जांच समिति स्थापित करनी चाहिए ;

(ii) एम० ए० (हिन्दी) पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाए और एम० लिट० पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाए ; और

(iii) पिछली एम० ए० (हिन्दी) की परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया जाए

(ग) ज्ञापन आयोग के विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Unrest in Delhi University

*286 **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of Education be pleased to State :

(a) Whether Government have studied the causes of growing unrest in the Delhi University ;

(b) if so, the conclusions arrived at : and

(c) the steps proposed to be taken by Government to remove the causes of the unrest and run the affairs of this University on a sound basis ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : No specific study as such has been undertaken by the Government.

(c) The University is seized of the problem of students unrest. It has taken steps in respect of certain specific issues and is considering general measures to remedy the situation.

National Institute of Education

*287. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the reasons as to why text books are prepared in English language in various departments of the National Institute of Education while English is not the medium of instruction in the Higher Secondary Schools in any of the States ;

(b) the regional languages in which the books printed or published by this Institute have been translated ; and

(c) the names of the States which have agreed to include in their curricula the text books prepared by this Institute ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The National Council of Educational Research and Training produces model text books in English as well as in Hindi and these are offered to the State Governments for adoption or adaptation. Cent percent adoption is not contemplated and, therefore, their translation and publication in the regional languages, with suitable changes, is to be attended to by the State authorities.

(b) A statement (I) giving the available information is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-2 '63/68]

(c) A statement (II) is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-2263/68]

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन

*288. श्री हेमराज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग के कितने अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं :

(ख) सरकार ने किन-किन प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है ;

(ग) उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या प्रत्येक अध्ययन दल के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ): 17 अध्ययन दलों और 8 कार्यकारी दलों ने प्रशासनिक सुधार आयोग को अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए है ? ये प्रतिवेदन आयोग को अपने निश्चयों पर पहुंचने में सहायता करने के इरादे से किये गये हैं । अतः सरकार के उनके अध्ययन का प्रश्न ही नहीं उठता सिवाय जब कि कमीशन की रिपोर्टों में से किसी की प्रक्रिया आवश्यक हो । अध्ययन दलों/कार्यकारी दलों के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

Prosecution of Non-Gazetted Employees of Bihar

*289. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of non-Gazetted employees in Bihar who are still being prosecuted in connection with the strike, the number of those who have been suspended and the number of those among the suspended employees who have been allowed to resume their duties ;

(b) whether Government propose to create mutual trust and goodwill among the non-Gazetted employess by withdrawing all the cases filed against them;

(c) if so, the time by which such steps are to be taken ;

(d) whether Government are in a position to declare that the Government employees have got a right to resort to strike for their genuine and justified demands ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Part (a) of the question : Information regarding the number of employees still being prosecuted is being collected. The bulk of the 648 employees who were suspended have been allowed to resume duty.

Parts (b) and (c) : The State Government have been endeavouring to create goodwill among the employees and they have given various concessions to the non-gazetted employees who went on strike. These concessions are :

(i) Those striking employees who were present for part of the period of strike have been permitted to adjust their unauthorised absence against leave admissible to them ;

(ii) those striking employees who were absent for the entire period of the strike will be allowed extraordinary leave if they apply for it in order to regularise their unauthorised absence which would otherwise have resulted in break in service ;

(iii) instructions have been issued that all cases except those involving allegations of violence or abetment thereof should be withdrawn.

(iv) all departmental proceedings except cases involving charges of violence or abetment thereof are to be dropped ; and

(v) all Government employees as were discharged merely because of the unauthorised absence during the strike will be reinstated if they apply for extraordinary leave for the period they were under discharge.

Part (d) No, Sir.

Part (e) Government servants are debarred from resorting to strike under the relevant Conduct Rules and this provision in the Rules is considered essential in the interests of maintenance of discipline.

पालम में संसद सदस्यों द्वारा राजनयिक विश्राम कक्ष (डिप्लोमैटिक लांज) का प्रयोग

*290. **श्री क० लक्कप्पा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को पालम में राजनयिक विश्राम कक्ष का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : पालम हवाई अड्डे पर सेरेमोनियल लांज (समारोह विश्राम कक्ष) औपचारिक एवं समारोह के अवसरों पर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य उच्च संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा, जिनमें वे विदेशी भी सम्मिलित हैं जिन्हें यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया हो, प्रयोग के लिये अभिप्रेत है । पालम हवाई अड्डे पर अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये एक और आरक्षित विश्राम कक्ष है जिसका अति महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा संभ्रान्त विदेशी वर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं (यह फिलहाल एक अस्थायी जगह पर बना है, क्योंकि मूल विश्राम कक्ष का अभी नवीकरण किया जा रहा है) । यह विश्राम कक्ष (लांज) संसद् सदस्यों को भी उपलब्ध कराया जाता है ।

उड़िया भाषी लोगों के लिये रक्षोपाय

*291 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरायकेला और खरसुवान में सिंहभूम जिले में उड़िया भाषी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 20 और 30 के अनुसार उड़िया भाषी लोगों को अपनी भाषा के संरक्षण और अपनी शिक्षा संस्थायें स्थापित करने के अवसर प्रदान किये गये हैं; और

(घ) क्या उड़िया भाषा का सरकारी काम के लिए प्रयोग किया जाता है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2264/68]**

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान्, विवरण के पैरा (iv) (i) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ।

बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यापकों का ज्ञापन

***292. श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यापकों से कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या बम्बई विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबन्धों तथा महाराष्ट्र सरकार के निदेश के बावजूद इस विश्वविद्यालय ने पुनर्वर्गीकरण । निर्धारण आदि की सब शक्तियां सम्बद्ध कालेजों को हस्तांतरित कर दी हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार । विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग । राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अध्यापकों की ओर से तथाकथित भेजा गया ज्ञापन बम्बई विश्वविद्यालय के एक कालेज के प्रोफेसर से प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ): अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने से संबंधित मामलों के बारे में महाराष्ट्र सरकार और बम्बई विश्वविद्यालय से भी पत्र प्राप्त हुए थे और उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि योजना के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बम्बई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए ।

पंजाब में गिल मन्त्रि मंडल द्वारा स्वविवेकानुदानों का वितरण

***293. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि गिल मंत्रिमंडल ने अपने अन्तिम दिनों में तथा अपने काम चलाऊ शासन काल में अपने कृपापात्रों को स्वविवेकानुदानों के रूप में भारी धन-राशियां दी थीं ; और

(ख) क्या पंजाब के राज्यपाल ने इन अनुदानों की राशि दे दी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) गिल मंत्रीमंडल ने अपने अधिकार में विवेकाधीन निधि में से 19 जुलाई से 18 अगस्त, 1968 तक 1,57,802 रूपये तथा अपने काम-चलाऊ शासन काल के दौरान, अर्थात् 19 अगस्त से 24 अगस्त, 1,50,647 रूपये देने स्वीकृत किये ।

(ख) इस प्रकार प्राधिकृत धनराशि में से केवल 11,100 रूपये का भुगतान रोक लिया गया था । शेष दे दिया गया था ।

भारत में पर्यटन का विकास

***294. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री स० चं० सामन्त

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन से विश्व में प्रति वर्ष होने वाली 12 बिलियन डालर की आय में भारत का हिस्सा बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस आय में भारत का हिस्सा इस समय कितना है ;

(ग) 1968–69 के पर्यटन के विकास के लिये बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने से इसमें भारत के हिस्से में कितनी वृद्धि होने की संभावना हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति करने के लिये पर्यटन के विकास से संबंधित कौन सी बड़ी योजना बनाई गई है और भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशी पर्यटकों के लिये क्या विशेष प्रोत्साहन देने और सुविधाओं का प्रबन्ध करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्णसिंह) (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 0.3% ।

(ग) यद्यपि 1968–69 के दौरान केवल थोड़ी ही बढ़ोतरी की आशा की जाती है, तथापि यह प्रयास किया रहा है कि 1973-74 के अन्त तक भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 200% तक बढ़ जाये तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के उपार्जन में भी वृद्धि हो ।

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक कार्यक्रम जिसकी अनुमानित लागत 40 34 करोड़ रूपये है, इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विचाराधीन है । कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर जहां पर्यटक पहले से आते हैं उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं में सुधार करना ;

(ii) यात्रियों को इन स्थानों को गंतव्य स्थान के रूप में आकृष्ट करने के उद्देश्य से कोवालम, गुलमर्ग तथा गोवा का समेकित आधार पर विकास :

(iii) हवाई अड्डों पर अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था ;

(iv) देश में स्थल यात्राओं के लिये अधिक संतोषजनक तथा समुचित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था ;

(v) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान द्वारा अधिक होटल- शय्याओं की व्यवस्था ;

(vi) वन्य पशु तथा शिकार पर्यटन का विकास ;

(vii) पर्यटन सुविधाओं में सुधार एवं वृद्धि करने के लिये स्वेच्छिक संगठनों, संस्थानों, व निजी क्षेत्र को अनुदानों तथा ऋणों द्वारा सहायता प्रदान करना, जिससे पर्यटन के आधारभूत उपादानों की सुव्यवस्था के लिये यात्रा व्यवसाय में विनियोजन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ;

(viii) पर्यटक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था के उद्देश्य से प्रशिक्षित एवं योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों का एक संवर्ग स्थापित करने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ;

(ix) विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली और अधिक यूनिटों का खोलना तथा मौजूदा यूनिटों में प्रचार कार्य अभियान को और अधिक बढ़ाना ।

विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये दिये गये विशेष प्रोत्साहन निम्नलिखित है :-

(क) 14 देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बिज़ा शुल्क को समाप्त करना, और (ख) अस्थायी लैंडिंग परमिट की वैधता की अवधि को पहले के 72 घंटों के मुकाबले में बढ़ा कर 7 दिन कर देना । चार्टर उड़ानों के परिचालन के और उदार बनाने, ट्रांजिट चार्टरों की स्थिति में बीच में रुकने की अवधि तथा डेस्टीनेशन चार्टरों की स्थिति में अधिकतम अवधि को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाना

*295. **श्री रवि राय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें और इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा बाद में की गई मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क)और(ख): समाचार पत्रों में हाल में ही प्रकाशित हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध प्रशासनिक सुधार

आयोग को प्रस्तुत संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा प्रशासन पर अध्ययन दल के प्रतिवेदन से था। इस प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों का प्रयोजन आयोग द्वारा सरकार को दी जाने वाली सिफारिशों को तैयार करने में सहायता देना है। स्वयं आयोग ने अभी तक इस विषय पर सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

राष्ट्रीय संग्रहालयों संबंधी समिति

*296. **श्री वे० कु० वास चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालयों के गठन तथा प्रशासन के समूचे प्रश्न तथा देश के सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा तथा परिरक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने क्या क्या मुख्य सिफारिश की हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है।

1. डा० एस० एस० रणधावा	अध्यक्ष
2. प्रो० नूरूल हसन	सदस्य
3. डा० एच० डी० संकालिया	सदस्य
4. डा० मोती चन्द्र	सदस्य
5. डा० एस० टी० सत्यमूर्ति	सदस्य
6. श्री बी० बी० लाल	सदस्य सचिव

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में पकड़े गये हथियार और गोला बारूद

*297. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम में गिलांग तथा खासी और जैंतिया पहाड़ियों में अन्य स्थानों पर विभिन्न स्रोतों से शस्त्र तथा गोला बारूद लाकर इकट्ठा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन

***298. को नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में शिक्षा प्रणाली में बार बार किये गये परिवर्तनों के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया है ;

(ख) क्या समूचे देश में शिक्षा का एक समान ढांचा और प्रणाली रखना वांछनीय नहीं होगा ; और

(ग) शिक्षा के स्तर में गिरावट को रोकने और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) शिक्षा प्रणाली में अधिक परिवर्तन नहीं किये गये है। ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप स्तर गिरने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(ख) जी हां, राष्ट्रीय नीति वक्तव्य में कहा गया है कि यह लाभप्रद होगा यदि देश के सभी भागों में मुख्यतः एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो। अन्तिम उद्देश्य 10+2+3 प्रणाली अपनाने का होना चाहिये। उच्चतर माध्यमिक में अध्ययन के दो वर्ष स्कूल में अथवा कालेज में हो सकते है। यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिये। राज्य इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) स्तर में गिरावट के अनेक कारण है। इनमें वेतनों में कमी, अध्यापकों की सामान्य तैयारी, शिक्षा संस्थाओं में असंतषोजनक प्रबन्ध, ऊंचे किस्म की शिक्षा सामग्रियों की कमी, जैसे पाठ्य-पुस्तकों की कमी, मूल्यांकन तथा अध्यापन में अनुचित तरीकों का अपनाना, अपर्याप्त निगरानी शिक्षा संस्थाओं में परिश्रम का वातावरण उत्पन्न करने में असफलता आदि। जहां तक संभव है सरकार इन सभी क्षेत्रों में सुधार लाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

छोटा नागपुर और संथाल परगनों में युवक होस्टल

***299. श्री कार्तिक उरांव** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों की पठार में आगामी वर्ष युवक होस्टल खोलने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्णसिंह) (क) पर्यटन विभाग छोटा नागपुर के डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स रांची में एक युवक होस्टल स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सन्थाल परगनों में एक युवक होस्टल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 4 00 लाख रुपये की राशि नियत करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

Calcutta-Assam Inland Water Transport Facilities

*300. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to State :

(a) the progress likely to be made in the project launched for providing transport facilities from Calcutta to Assam by joining the rivers Brahmaputra and the Ganges during the Fourth Plan period,

(b) whether it is a fact that the only work that remains to be completed is to connect the Tista river with Brahmaputra at a cost of Rs. 200 crores ; and

(c) Whether it is also a fact that as a result of the Farakka Barrage there will be no difficulty in the completion of this project ?

The Minister of Transport and Shipping (Prof. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) The Tista Multipurpose Barrage Project comprising the construction of a barrage across the river Tista with a right bank canal joining the river Ganga and a left bank canal joining the river Brahmaputra was previously investigated by the Ministry of Irrigation and Power. In view of the large investments involved in the execution of the project, this will have to be phased. As a first stage requirement, the State Government of West Bengal have prepared a scheme only for irrigating areas on the right bank of the Tista. Navigational aspects are not being included in this scheme. It is not possible at this stage to indicate what progress is likely to be made during the Fourth Plan period.

(c) The completion of the Tista Project will not be affected by the Farakka Barrage.

लाहौल और स्पीति में किया गया प्रशासनिक व्यय

1667. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल और स्पीति के सीमावर्ती जिलों में (जो पहले पंजाब में थे और अब हिमाचल प्रदेश में हैं) 1960 से 1968 तक की अवधि में कितना प्रशासनिक व्यय किया गया और उसमें से कितनी-कितनी तथा कितने-कितने प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा (मद-वार) वहन की गई : और

(ख) इन्हीं वर्षों में इन सीमावर्ती जिलों में योजना सम्बन्धी व्यय कितना किया गया और उसमें से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितना-कितना व्यय वहन किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल (क) और (ख): अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक तथा योजना व्यय

1668. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के सीमावर्ती जिलों में 1960 से 1968 तक की अवधि में कितना प्रशासनिक व्यय किया गय। और उसमें से कितनी और कितने प्रतिशत राशि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा (माहवार) पृथक पृथक वहन की गई ; और

(ख) इन्हीं वर्षों में इन सीमावर्ती जिलों में योजना पर कितना व्यय किया गया और उसमें से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना व्यय वहन किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2265/68]

संयुक्त परामर्श व्यवस्था (मशीनरी) में परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रतिनिधित्व

1669. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श तन्त्र में परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रतिनिधित्व दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो कब से, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संस्थाओं के रूप में कर्मचारियों का संगठित होना संयुक्त परामर्श व्यवस्था में भाग लेने के लिए पहली शर्त है । परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की संस्थाएं अभी निर्माण की अवस्था में हैं ।

विद्यार्थियों को भारत सरकार के यात्रा-अनुदान

1670 **श्री वेंकटराव पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश कबीलों के छात्रों को विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये दिये जाने वाले यात्रा-अनुदानों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या ये आवेदन पत्र सरकार द्वारा आमन्त्रित किये गये थे और क्या इस प्रयोजन के लिये विज्ञापनों द्वारा व्यापक प्रचार किया गया था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1968-69 वर्ष के दौरान, सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जबकि 9 यात्रा-अनुदान उपलब्ध थे ।

(ख) 51 समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए 3 जून, 1968 को यात्रा-अनुदान के लिए आवेदन-पत्र मांगे गए थे । विज्ञापन की एक प्रति सभी छात्र सलाहकार ब्यूरो, भारतीय

विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों तथा विभिन्न पिछड़ी जातियों के भारतीय संघों को भेज कर प्रचार भी किया गया था।

पारद्वीप पत्तन

1671. **श्री बाबूराव पटेल : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारा-दीप पत्तन का दौरा करने वाले एक विशेषज्ञ दल ने वहां पर दयनीय स्थिति पाई और यह मत व्यक्त किया कि पत्तन प्रशासन, पत्तन का कार्य करने योग्य नहीं है,

(ख) इन विदेशी विशेषज्ञों द्वारा पारादीप पत्तन में क्या विभिन्न दोष पाये गये, और

(ग) इन दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख) पत्तन और बन्दरगाह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अध्ययन दल ने बताया है कि नये पत्तन पारा-दीप की कुछ समस्याओं पर तत्कालिक उचित पूर्वक कार्यवाही की आवश्यकता है। दल के अनुसार मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार है :—

(1) रोशनी वायों की कमी।

(2) चेनल संकेतों में अपर्याप्ति।

(3) प्रवेश चेनल की नियोजित गहराई की सुरक्षा या देखभाल।

(4) वालू के जमाव के चेलन की चौड़ाई पर अपर।

(5) रेडियो संचार में कमी।

(6) पत्तन पर भूमि की तरप कच्चे लोहे के प्रयोग में असंतोषजनक प्रबन्ध।

(7) पत्तन-कारखानों में असंतोषजनक हालत।

(8) मेकनाइज्ड ओर के प्रयोग के तरीके में दोष।

(9) मिनरलस एण्ड मेटल्स कारपोरेशन ट्रेडिंग द्वारा पत्तन की भुगतान की अदायगी की पद्धति में जटिलताएं।

(10) वालू के पम्प स्थापनन में देरी।

(11) मजदूरों के रहने के लिये अपर्याप्त निवासगृह।

पारादीप पत्तन ट्रस्ट के दल में चेयरमैन और चीफ इंजीनियर के पूर्व पत्तन अनुभव पर टिप्पणी की हैं और सुझाव दिया हैं कि विशेष अनुभवी अधिकारियों को पत्तन का प्रशासन की बागडोर संभालनी चाहिये। उन्होंने यह भी राय प्रकट की कि तत्कालीन पत्तन प्रशासन 10 करोड़ रुपये के भारी कार्यक्रम के व्यय के लिये समर्थ नहीं था जिसकी व्यवस्था पत्तन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी।

(ग) (1) **दिक्चालन साधन** : पत्तन ट्रस्ट ने यह बताया है कि पत्तन पर आने वाले सीमित संख्या के जहाजों को दृष्टि में रखते हुए दिक्चालन साधन आवश्यक नहीं समझ गये हैं। दल कभी आवश्यक हो चैनल बोयों को प्रस्थापि किया जाता है।

(2) **वर्तमान निकर्षण पोतों का अधिकतम उपयोग** : पत्तन के सुरक्षा निकर्षण पोत, कोनार्का को 14 घंटे तक बढ़ाया गया है।

(3) **टग** : पत्तन की 60,000 की डब्लू. टी. भार क्षमता के जहाजों को प्रयोग में लाने के अनुकूल बनाया गया है और उनके नौकर्षण के लिये प्रत्येक 15,000 बी. एच. पी. के दो टग्जों आर्डर पर्याप्त समझा गया है।

(4) **कच्ची धातु को दुबारा चढ़ाने उतारने से छुटकारा** : एक तीसरे रिक्लमर को प्राप्त करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है।

(5) **सैन्ड पम्प और बूस्टर पम्प** : पोर्ट ट्रस्ट ने बताया है कि एक अतिरिक्त बूस्टर पम्प के प्रश्न का वर्तमान पम्प के कार्य सम्पादन के अवलोकन के बाद लिया जावेगा। सैन्ड पम्प के बारे में, उसे जुलाई 1968 में सौंप दिया गया था, लेकिन उसके कुछेक भाग क्षतिपूर्ण दशा में लाया गया। क्षतिपूर्ण मांगों को प्रेदयी फर्म द्वारा उनकी ही कीमत से बदला। मरम्मत किया जा रहा है

(6) **डूबी हुई पाइपलाइन** : पत्तन पर सीमिति जहाजों के आने के कारण इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

(7) **जनरल कागो वर्थ** : हाल के यातायात सर्वेक्षण के आधार पर एक जनरल कारगो वर्थ को न्यायोचित समझा गया है।

(8) **क्वार्टस** : 35.32 लाख रूपये की कीमत की लागत के 213 क्वार्टरों के बनाने के लिये सरकार की स्वीकृति भेज दी गई है।

(9) **सैन्ड पम्प ट्रेस्टल** : ट्रेस्टल और दूसरे नागरिक कार्य जो सैन्ड पम्प की प्रस्थापना के काम से सम्बन्धित है, वे प्रगति पर है। इनके मार्च 69 में पूरा हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में चोरी

1672. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अगस्त, 1968 की रात्रि को राष्ट्रीय संग्रहालय से कुल कितनी और कितने मूल्य की (रूपयों में) वस्तुए चोरी हो गई थीं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) अब तक कितनी, और कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद हुई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था अत्याधिक कमजोर है ;

(ङ) राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर प्रति मास कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(च) क्या इन चोरियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है ; और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(छः) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 25 अगस्त, 1968 की रात्रि को राष्ट्रीय संग्रहालय से जवाहारात के 125 नग तथा सोने की 32 चीजें, जिनका क्रय मूल्य 1,78,904 रूपये था, चोरी हो गयी थीं। संग्रहालय के प्रदेशों के रूप में ये दुष्प्राप्य तथा अमूल्य हैं।

(ख) पुलिस ने अब तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके नाम हैं :—

(i) यादगिरी

(ii) चेन्नपय्या

(iii) के० त्रीनिवासन

(iv) के० एस० राजू।

(ग) जवाहरात के 107 नग (क्रम मूल्य 1,48,000 रु० और सोने तथा जवाहारात की कुछ चुराई गई वस्तुओं का 1200 ग्राम गलाया गया स्वर्ण अब तक बरामद किया गया है।

(घ) जी नहीं। राष्ट्रीय संग्राहालय की सुरक्षा व्यवस्था पूर्णरूप से खराब नहीं कही जा सकती है। फिर भी सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है।

(ङ) सुरक्षा अमले के वेतन तथा भत्तों पर लगभग 11862 रूपए।

(च) जी हां। इस प्रयोजन के लिए संग्रहालय विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गयी है और राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य केन्द्रीय संग्रहालयों तथा संरक्षित पुरातत्व स्मारकों व स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रख कर कदम उठाए जाएंगे। समिति की रिर्पोट प्राप्त होने तक, राष्ट्रीय संग्रहालय में निम्नलिखित उपाय काम में लाए गए हैं अथवा उन पर गौर किया जा रहा है :—

(i) पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिलों की खिड़कियों में लोहें की ग्रिलों तथा नीचे के स्थल की भी सभी खिड़कियों वगैरह में लोहे के सींखचों की व्यवस्था की जा रही है।

(ii) वीथियों के सभी दरवाजों पर सरकने वाले बोल्ट तथा चटखनियां लगाई जा रही हैं।

(iii) संग्रहालय भवन के भीतर जाने और बाहर निकलने के दरवाजों पर लोहे के फाटक लगाने का विचार है।

(iv) छतों तथा खिड़कियों तक जाने वाले रोशनदानों, जल निकासों और पानी के पाइपों पर कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं।

(v) संग्रहालय भवन के पास सभी वृक्षों को, जो छिपने के स्थान हो सकते हैं काट डाला गया है ।

(vi) सभी तीनों मंजिलों तथा तहखानों में बिजली की घंटिया लगाने पर विचार किया जा रहा है ।

(vii) सूचक घड़ियां लगाने का भी विचार है ।

(viii) चोर दुर्भेद्य अलार्म पद्धति स्थापित करने पर भी विचार हो रहा है ।

(ix) भवन के चारों ओर कांटेदार तार लगाने का विचार है ।

(x) संग्रहालय में चौबीसों घंटे सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था करने का विचार है ।

(xi) गजर घंटी लगाई जा रही है ।

(xii) बीथियों में सभी पुराने तालों के स्थान पर गोडरेज के नए ताले लगाए गए हैं और उनकी अतिरिक्त तालियों (चाबियों) को सुरक्षित कमरों में रखा गया है ।

(xiii) संग्रहालय के चारों ओर पुंज प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलाजी संस्थान, मैसूर

1673. श्री सिद्दय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1968 को केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी अनुसंधान संस्था, मैसूर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे ;

(ग) क्या पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षण के नियम का पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नियम के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी पदोन्नति पा सके हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) श्रेणी I – 102

श्रेणी II – 104

श्रेणी III – 317

श्रेणी IV – 195

		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
श्रेणी	I	–	–
श्रेणी	II	–	–
श्रेणी	III	9	–
श्रेणी	IV	43	–

(ग) जी हां, किन्तु संस्थान में सभी श्रेणी–I और श्रेणी–II (वैज्ञानिक तथा तकनीकी) पदों पर अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संरक्षित करने वाले आदेश लागू नहीं होते हैं और सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर भरती वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियम तथा विनियमों के अनुसार की जाती है।

(घ) एक।

केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलाजी अनुसंधान संस्था, मैसूर

1674. श्री सिद्दय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी अनुसंधान संस्था, मैसूर में 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (1 अक्तूबर, 1968 तक) में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ;

(ख) उनमें से कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये ; और

(ग) उनके लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये और उनमें से कितने व्यक्तियों को चुना और नियुक्त किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1966-67, 1967-68 और 68-69 (1-10-1968 तक) के वर्षों में विज्ञापित और जिन पर नियुक्ति की गई उन पदों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
1966-67	16	20	44	1
1967-68	11	9	16	–
1968-69 (1-10-68 तक)	1	7	17	–

(ख) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 22(6)68]

(ग) विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए उपयुक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है:-

	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
अनुसूचित जाति	3	6	13	2
अनुसूचित आदिम जातियां	–	–	–	–

उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी नहीं चुना गया है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा एक गलत शव का दाह संस्कार

1675. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या गृह कार्य मंत्री दिल्ली पुलिस द्वारा एक गलत शव का दाह-संस्कार किये जाने के बारे में 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उन चार कांस्टेबलों में से प्रत्येक को, जो इस सम्बन्ध में असावधानी के आरोप में अपराधी पाये गये थे, एक वर्ष की अनुमोदित सेवा समाप्त करने का दण्ड दिया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र

1676. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा हाल में जारी की गई अधिसूचना के बाद कितने और किन-किन सरकारी कर्मचारियों ने अन्य देशों तथा दिल्ली में विजिटिंग राजनयिक मिशनों द्वारा स्थापित किये गये "मैत्री" तथा "सांस्कृतिक" संगठनों में पदों तथा कार्यकारी पदों से त्याग पत्र दिया है ;

(ख) कितने और किन-किन सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिये हैं और उनके ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये व्यक्ति किन-किन विदेशी सांस्कृतिक और मैत्री संगठनों में भाग लेते हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर कोई अधिसूचना एवं परिपत्र हाल में जारी नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र-उड़ीसा सीमा

1677. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार हाल में कोरापुट जिले के कोटिया क्षेत्र में कुछ गांवों से बलात किराया वसूल कर रही है और उन पर प्रशासनिक नियन्त्रण रख रही है; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बात की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की दोनों सरकारें इस क्षेत्र में कुछ गांवों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही थीं और उसी प्रणाली में काफी समय से लगान वसूल कर रही थीं। इस संबंध में तथ्य दिनांक 9 अगस्त, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8414 के उत्तर से उत्पन्न आश्वासन की पूर्ति में दिनांक 16 फरवरी, 1968 को लोक सभा के पटल पर रख दिये गये थे। जब यह भारत सरकार के ध्यान में आया कि दोनों राज्य उसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो मामले की जांच की गई और इस मामले में गृह मंत्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श किया गया। यह पता लगा कि इस क्षेत्र में अन्तर्राज्य सीमा का सन् 1943 में सीमांकन किया जा चुका था। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सीमा-रेखा मान ली गई थी और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी। तथापि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सन् 1943 के सीमांकन को अन्तिम रूप मे नहीं मान सकती और राज्य सरकार मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के लिये विचार करेगी।

पाठ्य पुस्तकों के लिये केन्द्रीय अनुदान

1678. श्री देवराव पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये प्रत्येक राज्य को वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्त-वर्ष के दौरान अब तक, राजस्थान और बिहार सरकारों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किये हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की सरकारों की विस्तृत योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों से योजनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

मैसूर में पुरातत्वीय सर्किल

1679. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हीलर समिति ने अपने प्रतिवेदन में मैसूर के लिये एक पुरातत्वीय सर्वेक्षण-सर्किल स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या मैसूर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में इस प्रकार के पुरातत्वीय सर्किल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मैसूर में ऐसा सर्किल स्थापित करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग): जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर, अन्य किसी राज्य में, फिलहाल, अपना कोई केन्द्र पुरातत्वीय सर्किल नहीं है। प्रशासकीय आवश्यकताओं, स्मारकों की संख्या और भौगोलिक समीपता को आधार मानकर, केन्द्रीय पुरातत्वीय सर्किलों को परिसीमित कर दिया गया है। सर्किलों को संगठित करने के

इस आधार का पुनरीक्षण करने का कोई विचार नहीं है। व्हीलर समिति ने मैसूर अथवा अन्य किसी राज्य के लिए अलग से कोई पुरातत्वीय सर्वेक्षण-सर्किल बनाने की सिफारिश नहीं की थी। यह सूचना माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या 2242, दिनांक 2 अगस्त, 1968 के उत्तर में भी दी जा चुकी है।

अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को पीटा जाना

1680. **श्री सूरज भान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि 19 सितम्बर, 1968 को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे पुलिस अधिकारी ने कुछ रेलवे कर्मचारियों को बिना उत्तेजना बड़ी निर्दयता से पीटा था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 19 सितम्बर, 1968 को कोई रेलवे कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जी० आर० पी० द्वारा पीटा नहीं गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Purchase of book Written by Chairman of Scientific and Technical Terminology Commission.

1681. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the new Chairman of the Scientific and Technical Terminology Commission has directed the Commission to buy his book ;

(b) if so, whether the sai l direction is not contray to Government rules ;

(c) whether the Chairman of the Commission has informed his Ministry in regard to the justification for the purchase of the said book at the time of buying it ; and

(d) if not, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The Commission for Scientific and Technical Terminology operate a Scheme entitled "Scheme of Preparation, Translation and Publication of Standard Work of University Level in Hindi in Collaboration with Publishers". Under this scheme, 'Evolution of Avadhi' written by Dr. B. R. Saksena the present Chairman of the Commission was approved in principle in 1966 for purchase. As the copyright of this book vests with the publishers-Hindustani Academy, Allahabad - and not with the author, the Commission had to negotiate with the Academy for this purpose. The decision to purchase the requisite number of copies, however, was communicated to the publishers after the present Chairman took over in May, 1968.

(b) to (d) : Since the decision to select this book under this particular scheme of the Commission, in principle, was originally taken long before the present Chairman took over, the questions do not arise.

Lathi -Charge and Firing by Police on Railway Employees.

1682. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that police resorted to lathi-charge and firing on the women satygrahis at Mariani station on the North-East Frontier Railway on the 19th September, 1968 at the time of token strike and innocent persons were killed as a result thereof ; and

(b) if so, the number of persons killed and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : According to information furnished by the state Government, the police had to open fire to disperse a crowd that was preventing loyal workers from attending to their duties and was indulging in acts of violence. Use of teargas and resort to lathi charge had proved ineffective and the violence of the mob endangered life and property. Two persons were hit. They were immediately removed to the Jorhat Civil Hospital where one of them succumbed to his injuries. The State Government have ordered a judicial inquiry in to the incident of firing .

हड़ताल के दिन रेलवे स्टेशनों पर घटनायें

1683. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को कई रेलवे स्टेशनों पर विशेषत: आसाम तथा पंजाब में कुछ अप्रिय घटनाएं घटी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तोड़-फोड़ अथवा तोड़-फोड़ के इरादे से की गई कुछ घटनाओं का भी पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(1) हरियाणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, केरल राज्यों की सरकारों तथा गोआ, मनीपुर, पांडीचेरी और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने रेलवे स्टेशनों पर किसी अप्रिय घटना अथवा तोड़-फोड़ की घटना की सूचना नहीं दी है । केवल विजयवाड़ा में जहां पर विजयवाड़ाकाजीपेट रेलवे लाइन पर स्लीपरों के बीच एक देशी बम पड़ा पाया गया था । मामले की जांच की जा रही है । अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति इस प्रकार है । यह सम्बन्धित राज्यों । संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गयी जानकारी पर आधारित है ।

(2) दिल्ली में सराय रोहिल्ला स्टेशन और लोकोशेड में पत्थर फेंकने और पटरी पर धरना देने की कुछ घटनाएं हुई थीं । परन्तु दंगों अथवा गुन्डागर्दी की कोई घटना नहीं हुई।

(3) राजस्थान में बीकानेर में और पंजाब में पठानकोट में 19 सितम्बर को गोली चलानी पड़ी थी। यह हिंसा पर उतारु भीड़ पर नियन्त्रण करने के लिये था। अमृतसर, फिरोज़पुर और भटिन्डा में स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा। पंजाब में फिरोज़पुर और पठानकोट में तोड़-फोड़ के दो सन्देहात्मक मामलों का पता चला था। फिरोज़पुर में एक रेलवे इंजिन को पटरी से उतार दिया गया था और पठानकोट में रेलवे इंजिनों से आग फेंकी गयी थी और इंजिन की आगे की बत्तियां तोड़ दी गई थीं। इन मामलों को दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

(4) हिमाचल प्रदेश में एक सन्देहात्मक मामले का पता चला हैं। उसमें एक माल गाड़ी के इंजिन के ड्राइवर ने रेल पटरी पर पत्थर देखे थे। मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है।

(5) बिहार में रेलवे स्टेशनों पर छुटपुट घटनाएं हुई थी परन्तु तोड़-फोड़ के किसी मामले की सूचना नहीं मिली।

(6) मध्य प्रदेश में शाहडोल में एक गम्भीर घटना हुई थी जहां हड़ताली कर्मचारियों की एक भीड़ ने रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने और एक कांस्टेबल को इंजिन की भट्टी में फेंकने का प्रयत्न किया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरुप 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

(7) रायपुर (मध्य प्रदेश) में भी तोड़-फोड़ की एक घटना का पता चला है जहां जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के टेलीफोनों को खराब कर दिया गया था। स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज के ध्यान में यह लाया गया और उन्होंने टेलीफोन ठीक किये।

(8) आसाम में लुमडिंग, न्यू गौहाटी, मारियानी, बोंगायगांव, रंगपारा और मापगांव में घटनाएं हुई थीं। इन स्थानों पर भीड़ ने पथराव किया और हिंसा की अन्य कार्यवाहियां भी कीं। मारियानी, लुमडिंग, गौहाटी और बोंगायगांव में गोली चलानी पड़ी। मालीगांव और झालूकबारी में तोड़-फोड़ के मामले भी ध्यान में आये हैं। मालीगांव में अनेक फिश प्लेटें गायब पायी गयीं और झालूकवारी में एक इंजिन की आग फेंक कर उसे बन्द कर दिया गया था।

(9) शेष राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड उद्योग

1684. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्लाईवुड उद्योग द्वारा उनको जनवरी, 1968 में उनकी यात्रा के दौरान दिये गये अभ्यावेदन के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : फरवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह में औद्योगिक संस्था, अन्दमान की ओर से एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया था। उसमें मुख्य प्रश्न इमारती लकड़ी के लट्ठों पर वसूल की जाने वाली रायल्टी की दरों में कमी करने के बारे में था।

एक कास्ट एकाउन्ट्स अफसर की नियुक्ति मुख्य आयुक्त सचिवालय, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई है जिसे अन्दमान वन विभाग की कार्य-विधि पर रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले की आगे परीक्षा की जायेगी।

Misappropriation of Cash in A.I. C. C. Staff Consumers Co-operative Stores, New Delhi.

1685. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that a report had been lodged with the Delhi Police in Connection with misappropriation of cash in the A. I. C. C. Staff Consumers Cooperative Stores Ltd, 7, JantarMantar Road, New Delhi ; and

(b) if so, the action taken by the police in this matter so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) A case has been registered by Delhi Police in this connection and is under investigation.

दिल्ली में एक लड़की द्वारा आत्महत्या

1686. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मनिभाई जे० पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक लड़की ने अपने नियोजक द्वारा कथित बलात्कार किये जाने के बाद दिल्ली में सितम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में आग लगा कर आत्महत्या कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी आत्महत्या के बारे में कोई वक्तव्य छोड़ा था ;

(ग) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ) : उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर लड़की पर कथित बलात्कार करने का आरोप है, पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । वह व्यक्ति दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था । मामले की जांच की जा रही है ।

देहरादून में भारत विरोधी गतिविधियां

1687. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देहरादून में स्थल सेना तथा वायु सेना की यूनिटों के बिल्कुल पास के क्षेत्रों में कुछ भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू तथा काश्मीर जन सम्मेलन

1688. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कु० दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भाग से आमंत्रित 47 व्यक्तियों को शेख द्वारा प्रायोजित राज्य जन सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या अनुमति दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय फुटबाल टीम के पास निषिद्ध वस्तुएं

1689. श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० कं० देव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ब्लिट्ज' में 14 सितम्बर, 1968 को प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुआलालमपुर से हाल में लौटे भारतीय फुटबाल खिलाड़ियों के पास निषिद्ध वस्तुएं पायी गयी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं०	खिलाड़ी का नाम	आयात की गई वस्तुओं का मूल्य	नियमों के अनुसार छूट	कर-योग्य रकम	जुर्माना	आयात की गयी मुख्य चीजें
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोक चटर्जी	1050/-	800/-	250/-	150/-	टेप रिकार्डर, सूती वस्त्र
2.	सी० प्रसाद	3578/-	800/-	2778/-	2500/-	कैमरा, फोनोग्राम बाइनाकुलर, ट्रांजिस्टर रेडियों, सूतीवस्त्र ।
3.	पापन्ना	1190/-	800/-	390/-	200/-	रिकार्ड प्लेअर, कैमरा, ट्रांजिस्टर रेडियों, टेप रिकार्डर, बाइनांकुलर, सूतीवस्त्र ।

1	2	3	4	5	6	7
4.	सईद	1295/-	790/-	505/-	250/-	रेडियों,फोनो-ग्राम, खड़ा कैमरा, टेप रिकार्डर,काफी मिक्सर, सूती-वस्त्र ।
5.	कन्नन	1275/-	400/-	875/-	600/-	कैमरा, ट्रांजि-स्टर रेडियों, फ्लैश बन्दूक, सूतीवस्त्र ।
6.	सदातुल्लाखां	1126/-	766/-	360/-	150/-	कैमरा, ट्रांजि-स्टर रेडियों, टेप रिकार्डर, सूतीवस्त्र ।
7.	मुस्तफा	1263/-	800/-	463/-	200/-	टेप रिकार्डर, रेडियों फोटो-ग्राफ, मिक्सर सूतीवस्त्र ।
8.	इन्दर सिंह	1342/-	400/-	942/-	750/-	ट्रांजिस्टर रेडियों, टेप रिकार्डर, कैमरा, सूती-वस्त्र ।
	योग	12119/-	5556/-	6563/-	4800/-	

सी० प्रसाद के सिवाय सभी खिलाड़ियों ने देय रकम अदा कर दी और सामान को छुड़ा लिया । फिर भी श्री प्रसाद ने सीमा शुल्क के सहायक-कलेक्टर द्वारा पास किए गए न्याय निर्णय–आदेशों के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी ।

यह मामला अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद को इसकी अगली बैठक में उचित अनु–शासनात्मक कार्रवाई के लिए भी भेजा जा रहा है ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके ।

Financial Assistance for Delhi Projects.

1690. **Shri S. S. Kothari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 272 on the 2nd August, 1968 and state :

(a) the present situation in regard to the funds demanded for various projects of the Delhi Metropolitan Council;

(b) the number of case in which a decision has been taken regarding the allocation of funds for the projects; and

(c) the reasons for delay in those cases where decision has not been taken so far ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c): The proposals have been considered in the concerned Ministries and the present position is as follows :-

(I) Four proposals involing Rs 198.00 lakhs have been accepted for implementation during 1968-69 and another four proposals involing Rs. 4.981 lakhs have been accepted for implementation in 1969-70.

(II) Nine proposals involing Rs. 311.00 lakhs have not been accepted.

(III) No final decision has yet been taken in the case of 29 proposals involving Rs. 734.528 lakhs. Of these, nineteen proposals involving Rs. 310.718 lakhs are pending for want of detailed information from the Delhi Administration, while the remaining 10 proposals are under consideration of the concerned Ministries.

Theft at Palam Airport

1691. **Shri S. S. Kothari :** **Shri N. R. Laskar :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri R. Barua :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether reports have been received about a number of irregularities committed in the Cloak Room, where luggage is loaded and unloaded, at Palam airport;

(b) whether it is also a fact that Rs. 6,000 were stolen from this room from the suitcase of an air passenger in the second week of September, 1968;

(c) whether investigations have been made into this matter; and

(d) if so, the details thereof and the measures adopted for preventing the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no Cloak Room at Palam airport where passengers are permitted to keep their luggage, as at railways stations. The responsibility of handling of luggage of passengers rests with the individual airline operator.

(b) A complaint was made by one of the passengers travelling from Bombay to Delhi by Indian Airlines flight, on 11th September, 1968 alleging loss of Rs. 10,000 from a suitcase while taking its delivery at Palam airport.

(c) An immediate search was made. Thereafter, an urgent message was sent to Bomday by telex for conducting an euquiry there and to report the cast to the Police. The prompt action on the part of Indian Airlines and the police led to the arrest of one of the airline porters at Bombay, from whom a major part of the money was recovered.

(d) In order to ensure special care of valuable articles of luggage, the passenger is required to make a declaration and pay additional charges, In this specific case no such declaration was made by the passenger codcerned. However, after the occurrence of this

event, fresh instructions have been issued by Indian Airlines to intensify vigilance at all the stations

Assistance to Freedom Fighters in U.P.

1692. **Shri S. S. Kothari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fighters of Freedom Struggle in U. P. are at present facing great financial hard-ships;

(b) if so, the arrangements being made by Government for their livelihood;

(c) whether the number of such persons in U. P. has been ascertained; and

(d) if so, their number and the number of those among them to whom assistance is being given at present ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (b): Government are aware that freedom fighters in general are facing financial difficulties. The State Government render assistance to them in the form of pensions, cash grants, land grants. rehabilitation loans etc. In individual cases of hardship, assistance is also given in the form of non-recurring oash grants out of the Home Minister's Discretionary Grant.

(c) The number of such persons in U. P. is not known.

(d) Information about those receiving assistance from State Government is being collected. So far a total sum of Rs. 2,50,880/- has been given to 415 persons from the Home Minister's Discretionary Grant.

Khufia Tanzim

1693. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an organisation called "Khufia Tanzim" is operating in Ranchi (Bihar) for destroying the industrial establishments there;

(b) whether it is also a fact that the above organisation has contacts with the Pakistani High Commissioner in India; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Government have no definite information regarding the activities of any organisation called "Khufia Tanzim" in Ranchi. However, it is understood that a statement regarding such an organisation was made by an accused before a Magistrate at Ranchi on March, 9, 1968, during the course of the investigation of the H. E. C arson cases of September and December. 1964. The case sare s ub judice.

(c) Necessary vigilance is being maintained to ensure the safety of the industrial establishments in Ranchi,

Documents Recovered from Jamia Millia, Delhi

1694. **Shri Yash Pal Singh :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some important documents have been recovered from the basement of Jamia Millia, Delhi; and

(b) whether those documents relate to the Independence Struggle of India and whether Government propose to publish them after scruting through the Department of Archaeology ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Private papers/books of Maulana Mohammad Ali and Dr. Ansari have been in the possession of Jamia Millia Islamia, Delhi since early thirties, when it acquired these papers. It is not there a fact that these documents were recovered from the basement of the Jamia and the authorities were ignorant of them,

The relation of these documents with the Freedom Movement of India cannot be ruled out. The work of processing and preserving these documents under a scheme approved by the University Grants Commission has already been started by the Jamia and these documents will be made accessible to bonafide scholars by the Jamia as soon as the work is completed. There is no proposal, at present, to publish these documents either through the Department of Archaeology or National Archives of India or the History of Freedom Movement Unit.

रांची और पटना में लाठी चार्ज

1695. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री रांची और पटना में लाठी चार्ज के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6681 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जांच की रिपोर्ट इस बीच मिल गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): बिहार सरकार ने, जिसमें और आगे जांच की गई थी, सूचित किया है कि यह आरोप कि रांची में लाठी प्रहार किया गया था सही नहीं है । जहां तक श्रीमती गुलाबिया देवी की मृत्यु का सम्बन्ध है, जिस मजिस्ट्रेट ने एक प्राइवेट शिकायत की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत जांच की थी, वह इस निश्चय पर पहुंचा है कि ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो यह व्यक्त करता हो कि उसकी मृत्यु प्रहार के कारण हुई थी ।

Passenger Ships for Coastal Shipping

1696. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state : the details of the present fleet of passenger ships for coastal shipping in India and the details of the scheme forits development in the Fourth Plan ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): There are 13 passenger or passenger-cum-cargo ships operating in the Coastal trade, the details of which are as follows :-

Vessel	GRT	DWT	Crrying Capacity of Passengers.
1. Saraswati	3750	3695	1207
2. Sabarmati	3750	3715	1207
3. Irwin	970	485	519
4. State of Haryana	8`08	8550	1424
5. Nicobar	2238	2356	241
6. Andaman	5934	I986	552
7. Cholunga	390	245	109
8. Yerewa	1552	380	700
9. Konkan Sevak	1876	1180	1000
10. Sarita	1889	1185	1000
11. Rohidas	1233	241	1134
12. Rohini	1889	1182	1000
13. Laccadives	445	214	40

In addition to the above, one passenger-cum-cargo vessel of 3000 GRT and passenger capacity of 112 is under construction in Yugoslavia and is expected to be delivered in 1969-70. Another passenger-cum-cargo vessel of 1560 GRT and passenger capacity of 20 is expected to be constructed in India in 1968-69. The Fourth Plan has not yet been finalised. However, the indications are that there will be no acquisition of passenger vessels for the coastal trade during the Fourth Plan.

Shipping Services to Andamans and Nicobar Islands/Lacadives.

1697. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no daily shipping service to Andaman and Nicobar Islands as yet and if so, the time by which such a service is likely to be idtroduced keeping in view the programme of development of the said Islands; and

(b) the number of services per week in operation to Laccadives at present ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) There is no daily shipping service between the mainland and Andaman and Nicobar Islands. It is also not contemplated at present to have a daily service. At present to passenger-cum-cargo ships, a timber carrier can a cargo ship are plying between the mainland and the Islands.

(b) The vessel m. v. 'Laccadive' is scheduled to make four sailing in a month to these Islands. In addition m, v. 'RAJALAKSHMI' also touches the islands about three to four times in a month according to availability of cargo, It is proposed to acquire an -lal weather ship for service to the Islands.

Air Service to Laccadive Island and Inter-State Flights at Port Blair Airport (Andaman)

1698. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to link Laccadive Island with air servi.e;

(b) whether Government also propose to provide facilities at Port Blair Airport, Andaman for inter-state flights; and

(c) if so, the places with which Andamand is likely to be linked by air from the point of view of tourism ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singn) : (a) There is no proposal to air-link Laccadive Islands at present.

(b) and (c): Indian Airlines operate a Viscount Service between Calcutta and Port Blair. This provides same day connections from Port Blair to Bombay and Delhi via Calcutta. This is no proposal at present for providing any other inter-state flight to Port Blair.

Inland Wate Transport Question

1699. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be Pleased to state •

(a) the extent to which inland water transport facilities are at present available in the country; and

(b) the number of canals and rivers likely to be made navigable during the Fourth Plan period ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) ; (a) Inland water transport facilities are available at present mainly on the Brahmaputra and its tributaries in Assam, on the Ganga and its tributaries and on the irrigation cumnaviga tion canals in Bihar and West Bengal, on the Mahanadi and its tributaries including the delta canals in Orissa, on the Krishna and Godavari and the delta canals on these rivers in Andhra Pradesh, on the Buckingham Canal in Madaras, on the West Coast Canal and back waters in Kerala, on the navigable creeks in Maharashtra, on the Narmada and the Tapti in Gujarat and on the Zuari and Mandovi rivers and their tributaries in Goa.

(b) During the Fourth Five year Plan, the main focus is proposed to be on the starting of commercial river services in selected regions with necessary supporting measures like river conservancy works, provision of wharves, jetties and locks, improvement of existing canals by deepening and widening their shallow reaches etc. These measures will make some portions of the existing wateerways fit for navigation. However, the scheme to be included in the Fourth Plan are still under finalisation.

भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता उन्मूलन अभियान

1700. **डा० सुशीला नैयर :** क्या गृह-कार्य मंत्री भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता उन्मूलन अभियान के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक प्रचार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया तथा क्या निर्णय किये ?

गृह- कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Reversion of Teachers of Pauri Garhwal

1701. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Suraj Bhan :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether the Government of Uttar Pradesh or the Central Government have received any complaint that certain teachers of Pauri Garhwal District of Uttar Pradesh have been reveted from L. T. Grade to C. T. Grade;

(b) whether it is a fact that in accordance with the Government of Uttar Pradesh G. O. No. AI/188/XU-2004 (51) /65, dated the 16th June, 1968 restriction of essential qualifications in English has been removed in the case of all the language teachers;

(c) if so, the reason why Government are not removing this restriction on the aforesaid teachers;

(d) whether the non-removal of this restriction in the case of the above mentioned teachers is against the Government's language policy;

(e) whether Government propose to take appropriate action in this direction so that the future of Hindi teachers might be bright; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (f): The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

मानहानि के मामले की जांच

1702. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आई वाज़ ए सी० आई० ए० एजेंट इन इण्डिया" नामक पुस्तिका के मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध मानहानि के मामले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक शिकायत के फलस्वरूप उत्पन्न मान-हानि का एक मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा है ।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी, गैर-सरकारी और पब्लिक स्कूलों में असमानता

1703. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री सरकारी, गैर-सरकारी और पब्लिक स्कूलों में असमानता के बारे में 30 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख): शिक्षा की राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशें राज्य सरकारों को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। इनको क्रियान्वित करना एक लम्बी अवधि का कार्यक्रम है और इनकी शुरुआत की चौथी पंचवर्षीय योजना में उम्मीद की जा सकती हैं।

धनबाद के खनन डिप्लोमा के छात्रों द्वारा हड़ताल

1704. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद के खनन डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की हड़ताल के बारे में जांच प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने हड़ताल समाप्त करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख): कोई जांच-समिति नियुक्त नहीं की गई थी और इसलिए रिपोर्ट प्राप्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी, छात्रों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी :–

(I) खनन और सुरक्षा के महानिदेशक द्वारा संचालित की गयी सर्वेक्षकता, ओवर मैनशिप तथा फायर मैनता के लिए प्रावृता-परीक्षाओं से छुटकारा।

(II) डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए धनबाद खनन विद्यालय में से डिग्री पाठयक्रम के दाखिले के लिए स्थानों का आरक्षण और अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम का चालू करना।

(ग) यह हड़ताल 18 सितम्बर, 1968 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

मुंगेर के निकट मुठभेड़

1705. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1968 को बिहार में मुंगेर से लगभग 30 मील दूर शेखपुरा ग्राम के मेले में पुलिस तथा सर्कस के शौकीन कुछ लोगों के बीच झगड़ा होने के कारण कुछ सब-इंस्पेक्टर तथा कुछ सिपाही जख्मी हो गये थे जिनको अस्पताल भेज दिया गया था तथा सर्कस की कई हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली गई थी ।

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति जख्मी हुये थे; और

(ग) कुल कितने रुपये की सम्पत्ति लूटी गई थी तथा इस घटना के क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग): बिहार सरकार ने सूचना भेजी है कि 6-9-1968 को शेखपुरा पुलिस थाने के क्षेत्र गिरिंडा गांव में मेले के दौरान एक भीड़ ने वहां एक सर्कस पार्टी पर धावा बोल दिया, उसके सामान को नष्ट किया, सर्कस के कलाकारों से अभद्र व्यवहार किया और उनके कुछ सामान को भी लूटा । एक पुलिस दल जिसने रोकने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे गये । पांच पुलिस अधिकारियों को चोटें आयीं ।

लूटी गयी सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगभग 700/- रुपये है ।

स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है । इस बारे में जांच की जा रही है । अब तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पच्चीस व्यक्तियों ने अपने को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का चयन

1706. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी है;

(ख) इन नियुक्तियों के लिए चयन किस प्रकार किया जाता है; और

(ग) क्या यह चयन राज्य सरकार की सिफारिश पर अथवा उससे परामर्श करने के बाद किया जाता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग): केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के लिए सुझाये गये नामों से उनकी उपयुक्तता तथा वरिष्ठता को ध्यान में रख कर की जाती है ।

दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले शिक्षक

1707. श्री जनार्दनन :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन ऐसे कितने शिक्षक काम कर रहें हैं, जिनका सेवा काल तीन वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु उन्हें अभी तक अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन शिक्षकों को कब तक अर्ध-स्थायी घोषित कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 737.

(ख) सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, मामलों पर निर्णय यथा सम्भव शीघ्र कर लिया जाएगा ।

Central Government Employees Strike

1708. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees went on one days token strike on the 19th September, 1968 ;

(b) if so, whether this strike was resorted to at the instance of political parties or it was at the initiative of emyloyees themselves and the result of the strike ; and

(c) the concrete steps being taken by Government to stop the recurrence of such a strike ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Some sections of the Central Government employees went on an illegal strike on 19th September, 1968.

(b) Some individuals associated with political parties are reported to have taken a prominent part in organising the strike ?

The strike itself was a failure in that less than 10 percent of the Government employees absented themselves from duty on September 19.

(c) The entire question is under consideration by the Government.

Hindi as medium of Examination in Delhi University

1709. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made in introducing Hindi as medium of examination and education in the Delhi University ;

(b) whether it is a fact that the progress is very slow ; and

(c) if so, the steps contemplated by Government to accelerate the pace of progress ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The following steps have been taken by the University of Delhi to introduce Hindi as medium of instruction/examination :-

(i) Students of the B. A. (Pass) Course have been given the option to answer questions at the University examination in some of the subjects in the Faculties of Arts and Social Sciences either in English or in Hindi;

(ii) arrangements for instruction in Hindi for these subjects have also been made ;

(iii) option to the students of B.A. (Hons.) Course in History and Sanskrit and of M.A- Sanskrit to answer questions either in English or Hindi.

(b)and(c): After considering various relevant factors, Universities decide the medium of examination and instruction as also the time for introducing a particular medium of instruction/examination in respect of various courses. As such, Government do not contemplate any specific measures in this behalf.

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में से कटौती

1710. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी मध्यावधि चुनावों के लिए कांग्रेस दल के कोष के लिये इस वर्ष सितम्बर में राज्य के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में से 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक काट लिये गये हैं ,

(ख) क्या इस धांधली के विरुद्ध कुछ अध्यापकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अध्यापकों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में से जबरदस्ती कटौतियां करने के आरोपों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

होटल और मोटल उद्योग के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ

1711. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वे० कु० दास चौधरी :
श्री रवि राय :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री जोगेश्वर यादव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में होटल उद्योग में सुधार करने के हेतु होटलों और मोटलों की योजना बनाने के लिये सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से विशेषज्ञों की सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त सरकार ने इस विषय पर अन्य देशों से भी बातचीत की है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ बातचीत की गई थी ;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र अथवा कोई अन्य देश, जिसके साथ बातचीत की गई थी, इस संबंध में सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार को पर्यटन सुविधाओं में सुधार के विषय में परामर्श प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल के, जिसमें एक होटल विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, अगले वर्ष के प्रारम्भ में भारत आने की आशा है।

(ख) और (ग) : होटल प्रबंध व डिजाइन के क्षेत्र में उन्नत देशों से इस विषय में विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस बारे में आस्ट्रिया, स्वीडन, जापान, स्विटजरलैंड और पश्चिमी जर्मनी में पूछताछ का कार्य किया गया है। फिलहाल पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के साथ बातचीत चल रही है।

(घ) और (ङ) : ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मद्रास में माओवादी दल

1712. **श्री हरदयाल देवगुण :** श्री रा० की० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री रा०रा० सिंह देव :
श्री गाडिलिंगन गौड : श्री धी० ना० देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास में एक नया माओवादी दल बनाया गया है और उसने "लाल झंडा आन्दोलन" आरम्भ किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1968 को मद्रास में एक प्रेस सम्मेलन में इस दल के उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें इस दल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) मद्रास सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नागिल सेलवान द्वारा आयोजित एक "लाल झन्डा आन्दोलन", जैसे कि माओ-त्से-तुंग द्वारा समर्थित किया गया है, हिंसात्मक क्रान्ति का प्रचार कर रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) लाल झंडा आन्दोलन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । जब कभी आवश्यकता होगी कानून के अधीन उचित कार्यवाही की जायगी ।

दिल्ली महानगर परिषद के लिए विशेष दर्जा

1713. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री नारायणस्वरुप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिल्ली महानगर परिषद् को विशेष दर्जा दिये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कोई प्रतिवेदन अभी नहीं दिया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Roads in Delhi

1714. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the details of grants along with the names of roads in Delhi for which these were given during 1967-68 and 1968-69 and the amount of grant proposed to be given for this purpose ; and

(b) the time by which these roads will be completed ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V.Rao) (a) and (b) : A statement giving the requisite information is laid down on the Table of the Sabha **[Placed in Library. See No. LT-2267/68]**

Management of Public Sector Hotels

1715. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Tourism and civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to effect a change in the management of public sector hotels in Delhi;

(b) if so, the action taken in the matter;

(c) whether it is also a fact that Government hotels in Delhi are running at a loss; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b): The Boards of Directors of the India Tourism Development Corporation, Ashoka Hotels Limited & Janpath Hotels Limited have been re-constituted recently, with common membership, in order to facilitate coordinated development. A statement showing the Board of Directors of the three undertakings is attached. [Placed in Library. See No.LT 2268/68]

(c) and (d): Of the 4 Public Sector Hotels viz. Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodhi, the last two are running at a loss, as they opened only three years ago.

विद्यार्थियों के लिये विभिन्न सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध न होना

1716. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्वत्र यह शिकायत है कि सरकार द्वारा प्रशिक्षण और सहायता के लिये जो भिन्न-भिन्न सुविधायें उपलब्ध की गई हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है ; और

(ख) क्या कोई ऐसी पुस्तिका है जिसमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई हो और क्या विद्यार्थियों को इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) : जी नहीं।

(ख) शिक्षा मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार और पुनर्वास (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) मन्त्रालय ऐसे प्रकाशन निकाल रहे हैं जो सरकार से सहायता और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं इन प्रकाशनों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2269/68]**

शिक्षा मन्त्रालय, भारत तथा विदेश में शिक्षा की सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों को पूछताछ का उत्तर देता है। मन्त्रालय एक सूचना पुस्तकालय भी चलाता है जिसमें भारत तथा विदेशों के विश्वविद्यालयों के संबंध में साहित्य उपलब्ध है। पुस्तकालय, संदर्भ तथा परामर्श के लिए दर्शकों को खुला रहता है।

कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी भारत तथा विदेश में उच्चत्तर शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं, आजीविका और रोजगार अवसरों आदि के सम्बन्ध में स्थानीय विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विद्यार्थी सलाहकार ब्यूरो। विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो स्थापित किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी एक सूचना एकक स्थापित किया है जहां अध्ययन पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों, अधिवृत्तियों, विद्यार्थी कल्याण, विद्यार्थी सहायता निधि,

विद्यार्थी गृह और गैर-रिहायशी विद्यार्थी केन्द्र, छात्रावास आदि जैसी विद्यार्थी-सुविधाओं से सम्बन्धित आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध है ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन

1717. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी और इसमें से कितनी इक्वटी शेयरों तथा कितनी सरकार तथा बैंकों से लिये गये ऋण के रूप में थी ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस के कार्य-संचालन की क्या स्थिति रही है तथा लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार फालतू पुर्जे खरीदने पर कितना धन व्यय किया गया तथा इस में विदेशी मुद्रा का व्यय कितना था ;

(घ) गत तीन वर्षों में कितनी तथा किस-किस शीर्षक के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ङ) इस कारपोरेशन के कार्यसंचालन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : इंडियन एयरलाइन्स की समस्त पूंजी सरकार द्वारा लगाई गयी है । 31 मार्च, 1968 को यह 21,94,15,960 रुपये थी, जिसकी आधी 'इक्विटी' पूंजी की तरह व्यवहृत होती है तथा दूसरी आधी ऋण पूंजी की तरह ।

(ख) गत तीन वर्षों में कार्य संचालन की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	1965-66	1966-67	1967-68 (अनंतिम)
	(लाख रुपयों में)		
परिचालन आय	2332.70	2700.53	3473.65
परिचालन व्यय	2331.03	2978.83	3341.09
पारिचालन लाभ (+)/ हानि (-)	1.67	278.30	132.56
गैर-परिचालन आय	84.61	108.99	41 06
गैर-परिचालन व्यय	53.95	254.19	211.73
शुद्ध लाभ (+) हानि (-)	32.33	423.50	-38.11

	कुल व्यय	विदेशी मुद्रा का अंक
(ग)	(लाख रुपयों में)	
1965-66	145	119
1966-67	186	124
1967-68	197	159

(घ) विदेशी मुद्रा कारपोरेशन द्वारा वाहित यात्रियों व माल पर अर्जित की जाती है। पिछले तीन वर्षों में किया गया उपार्जन निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1965-66	373
1966-67	430
1967-68	689

(ङ) कारपोरेशन अपने कार्य-संचालन में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। मुख्य मार्गों पर धारिता में संवर्धन एवं अलाभप्रद विमानों को बदल कर विमान बेड़े का आधुनिकीकरण जैसे अनेक उपाय विचाराधीन हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम

1718. श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम को, कितनी पूंजी से, तथा किन उद्देश्यों के लिये स्थापित किया गया था ;

(ख) इसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन कौन हैं और क्या इसका चेयरमैन पूरे समय के लिये है अथवा आंशिक समय के लिए है और इसकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं तथा इस की नियुक्ति की अवधि कितनी है ;

(ग) 1968-69 और 1969-70 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) इस की स्थापना के समय से लेकर अब तक इसके कार्य का रिकार्ड क्या है ; और

(ङ) इसने कितने विश्राम गृहों और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है और इस समय इसकी मुख्य गतिविधियां क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्तूबर, 1965 को भारत पर्यटन निगम, भारत होटल निगम तथा भारत पर्यटन परिवहन संस्थान को मिला कर की गई थी। इस निगम की अधिकृत पूंजी 5

करोड़ रुपये है तथा वर्तमान प्रदत्त पूंजी 87.59 लाख रुपये है। इस निगम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(i) पर्यटन रुचि के विभिन्न स्थानों पर सरकारी क्षेत्र में होटलों, पर्यटक बंगलों, इत्यादि का निर्माण तथा प्रबन्ध।

(ii) पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था।

(iii) पर्यटन प्रचार सामग्री का उत्पादन तथा बिक्री।

(iv) पर्यटकों के लिये सांस्कृतिक प्रदर्शनों, नृत्यों, संगीत गोष्ठियों, ध्वनि-व प्रकाश प्रदर्शनों, इत्यादि, के रूप में मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था।

(v) पर्यटकों के लिये शॉपिंग सुविधाओं की व्यवस्था।

(ख) निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध 'A')। वर्तमान अध्यक्ष एक अंशकालिक गैर-सरकारी व्यक्ति है। उसे कारपोरेशन के अन्य गैर-सरकारी निदेशकों (संसद सदस्यों के सिवाय) की तरह निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिये, जिसमें वह सम्मिलित हुआ हो, 75/- रुपये लेने का अधिकार है तथा कारपोरेशन के काम के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिये यात्रा-भत्ता लेने का भी अधिकार है जिसमें ट्रेन अथवा विमान का वास्तविक किराया एवं प्रासंगिक व्यय के रूप में पहले दिन के लिये 100/- रुपये तथा बाद के दिनों के लिये 50/- रुपये और दैनिक भत्ता सम्मिलित हैं।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। (अनुबन्ध 'B')।

(घ) पिछले दो वर्षों में कारपोरेशन के विशुद्ध लाभ के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	लाख रुपयों में
1966-66	1.61
1967-68	2.17 (अनंतिम)*

(*1967-68 के वार्षिक लेखों का अभी कारपोरेशन के निदेशक मंडल तथा शेयर होल्डरों द्वारा अनुमोदन किया जाना है)

(ङ) फिलहाल कारपोरेशन पर्यटन विभाग की ओर से 25 पर्यटक बंगलों तथा रेस्टोरेंटों का प्रबन्ध कर रहा है, जिनमें उदयपुर का लक्ष्मी विलास पैलेस होटल भी शामिल है। सरकार द्वारा इन सम्पत्तियों को कारपोरेशन को औपचारिक रूप से हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त संस्थापनों का प्रबन्ध करने के अलावा कारपोरेशन के निम्नलिखित अन्य कार्य कलाप हैं :-

(i) बैंगलौर में होटल का निर्माण।

(ii) पालम और दमदम हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानों का प्रबन्ध।

(iii) दिल्ली के लाल किले में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन का प्रबन्ध ।

(iv) दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिवीजन का संचालन ।

(v) पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन प्रचार सामग्री का उत्पादन ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

1719. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम कब तक किन उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था तथा ये उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को निगम में कुल कितनी पूंजी लगाई जा चुकी थी इसमें से कितनी पूंजी 'इक्वटी शेयरों' में थी तथा सरकार तथा बैंकों से कितना ऋण लिया गया था ;

(ग) 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में इस के कार्य संचालन के क्या परिणाम थे ;

(घ) क्या 1967-68 के लिये नियत किये गये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो उनमें कितनी कमी रह गई है और इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) 1968-69 और 1969-70 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इनके किस सीमा तक पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) (क) चीन के आक्रमण के तुरन्त बाद ही आसाम और बंगाल के उत्तरी भाग में संभरण और सेवाओं की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय सड़क परिवहन संगठन की स्थापना की गई थी । इस संगठन को 6-3-1964 में एक लिमिटेड कम्पनी में समाविष्ट कर दिया गया ताकि इसकी सेवायें स्थायी आधार पर केवल आसाम और पश्चिम बंगाल में ही न प्राप्त हो सके अपितु किसी दूसरे राज्य में भी, जिसे जरूरत पड़े प्राप्त हो सके । इस कम्पनी को स्थापित करने का उद्देश्य इस हद तक पूरा हो चुका है कि कम्पनी अनिवार्य माल असबाब को कलकत्ता से आसाम को और आसाम तथा उत्तरी बंगाल से कलकत्ता को चाय, जूट और दूसरी सामग्री प्रचलित करनी है । कम्पनी में रेलवे का न्यू जलपायगुरी और बागराकोट/न्यू माल जंक्शन के बीच रेल निर्धारित माल को ले जाने में सहायता की जब कि अक्तूबर, 1968 में उत्तर बंगाल में बाढ़ के दर्मियान रेल संचार भंग हो गया था ।

(ख) 31-3-1968 को कम्पनी कुल लगा धन 108.58 लाख रुपये था जिसकी साम्या पूंजी 53.58 लाख रुपये (जिसमें प्रत्येक आसाम और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाई गई 2.5 लाख रुपये शामिल है) थी और ऋण 55 लाख रुपये (जिसमें मिनरलस और मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन से कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई 5 51 लाख रुपये का ऋण शामिल है) हैं । कम्पनी ने किसी भी बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है ।

(ग) अपेक्षित सूचना दी गई है :-

वर्ष	कुल प्राप्ति	कुल राजस्व व्यय
1965-66	55.87 लाख रुपया	551.9 लाख रुपया
1966-67	81.37 लाख रुपया	89.66 लाख रुपया
1967-68	75.40 लाख रुपया (अस्थायी)	95.14 लाख रुपया (अस्थायी)

(घ) 1967-68 के लिये कमाई की शर्तों के लक्ष्य 82.50 लाख रुपये निर्धारित किये गये थे। अस्थायी लेखा के आधार पर वास्तविक कमाई 1967-68 में 75.40 लाख रुपये थी। कमाई में घाटे के मुख्य कारण निम्न हैं :-

(1) गुजरात क्षेत्र में अनाज और फर्टिलाइजर के कारण यातायात में कमी के कारण प्रत्याशित व्यापार में कमी हो गई। वैगनों के आसानी से मिल जाने के कारण गुजरात यातायात का काफी बड़ा भाग रेलवे को दिया गया।

(2) आसाम में रेलवे की आऊट एजन्सी व्यापार में कमी।

(ङ) 1968-69 में कमाई और खर्चे की शर्तों निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 100 लाख रुपये और 95 लाख में थे। ये निर्धारित लक्ष्य पुनर्विलोकनाधीन है। 1969-70 के वर्ष में निर्धारित लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं।

अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को रोजगार देना

1720. **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० रानेन सेन :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में रोजगार देने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) 1 जनवरी से 15 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में ऐसे कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया गया; और

(ग) 1 अक्तूबर, 1968 को कुल कितने इंजीनियर बेरोजगार थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसरों की उत्पत्ति के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित उपायों का एक विवरण 26 जुलाई 1968 को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सदन के सभा पटल पर रखा गया था। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) सृजित किये गये अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की ठीक-ठीक संख्या निर्धारित करना सम्भव नहीं है। फिर भी, यह बताया जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय की उद्योग में प्रशिक्षण योजना में लगभग 5,000 स्थान बढ़ाये गये हैं और प्रशिक्षण के लिये इंजीनियरों का चयन किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने अनुसन्धानात्मक कार्य के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। कुछ प्रतिबन्ध, जो केन्द्रीय सरकार में रिक्त पदों को भरने पर लगाये गए थे, हटा लिये गये हैं और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) बेरोजगारी के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। रोजगार कार्यालय में समय-समय पर होने वाला पंजीकरण स्थिति में उतार-चढ़ाव की एक बहुत अस्पष्ट सूचना देता है। दिसम्बर, 1967 के अन्त में लगभग 7,000 स्नातक इंजीनियर और 28,000 डिप्लोमाधारक पंजीकृत थे। जून, 1968 के अन्त में लगभग 7,800 स्नातक इंजीनियर तथा 29,800 डिप्लोमाधारक रोजगार-कार्यालय के चालू रजिस्टरों पर थे।

उत्तर प्रदेश सरकार के बर्खास्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

1721. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हड़ताल के समय राज्य सरकार के जिन 147 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था उन्हें अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है यद्यपि उत्तर प्रदेश की सलाहकार परिषद् ने उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अगस्त, 1968 में उनसे एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला था; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें फिर से नौकरियों पर रखवाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कोई ऐसी संस्तुति नहीं की गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) शिष्ट-मंडल द्वारा उठाये गये प्रसंगों को राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की पास-बुकों को कब्जे में लेना

1722. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल सतर्कता आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के श्रेणी एक के 13 अधिकारियों की बैंक-पास बुकों को अपने कब्जे में ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप थे; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओलम्पिक खेलों में भारत का भाग लेना

1723. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक पत्र के परिचालन की ओर दिलाया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद पर यह आरोप लगाया गया है कि वह ओलम्पिक खेलों में भारत को भाग न लेने देने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) क्या इस पत्र के स्त्रोत का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या वह इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे; और

(घ) इस पत्र में लगाये गये आरोपों में क्या सार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । तहकीकात के नतीजों की प्रतीक्षा है ।

(ग) और (घ): कल्पित-नामीय परिपत्र की प्रति संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2271/68] पत्र में लगाए गए आरोप निराधार हैं ।

सैनिक स्कूल में छात्रवृत्तियां

1724. श्री देवराव पाटिल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) में दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे कितने लड़के दाखिल हुए, जिन्हें गृह-कार्य मंत्रालय ने छात्रवृत्तियां दी थीं;

(ख) क्या प्रत्येक लड़के की छात्रवृत्ति की पूरी राशि अर्थात् 2000 रुपये प्रति लड़के के हिसाब से स्कूल को भेजी जा चुकी हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे लड़के भी हैं, जिनके लिये छात्रवृत्तियों की पूरी राशि स्कूल में अभी नहीं भेजी गई; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने लड़के हैं और छात्रवृत्तियों की पूरी राशि न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सोलह ।

(ख) मंत्रालय द्वारा इन सब लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की पूरी राशि, अर्थात् 2000 रुपये तथा 1968-सत्र के लिए 300 रुपये के वस्त्र-भत्ते की स्वीकृति दे दी गई है। यह राशि प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित कोषागार से निकाली जायगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Nehru's Statute in Delhi

1725. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to install a statue of Late Jawaharlal Nehru in New Delhi; and

(b) if so, the site selected for the purpose and the amount proposed to be spent on it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b): A proposal to install a statue of late Pandit Jawaharlal Nehru at one of the elevated sites near the Vijay Chowk was considered some time ago but was not proceeded with as the site was not considered suitable.

Jobs for Unemployed Engineers

1726. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri S. S. Kothari :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri B. K. Daschoudhary :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri A. Sreedharan :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in the implementation of the scheme which was under consideration to remove unemployment among the unemployed engineers;

(b) the number of such engineers as have been provided with jobs out of those who were unemployed; and

(c) whether Government propose to recommend to other States the scheme which has been formulated by the Gujarat State for providing employment opportunities to the unemployed engineers in the State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. S. Ramaswamy**) : (a)and(b): It is not yet possible to assess precisely the number of additional employment opportunities created for engineers as a result of various measures which Government had decided to adopt in may, 1968. However, it may be mentioned that the training-in-industry programme of the Education Ministry has been expanded by approximately 5,000 places and engineers are being selected for training. Some State Governments have created additional posts for taking up invertigatory work. Certain restrictions which had been placed

on the filling of vacant posts in the Central Government have been removed and steps are being taken to fill vacant posts expeditiously.

(c) The scheme referred to is a scheme of financial assistance to engineers and technicians for the setting up of small scale industrial units. The Ministry of Industrial Development and Company Affairs have considered the scheme prepared by the Gujarat Government and find that it is an extension of the State Bank Scheme intended mainly for unemployed engineers and technicians with some experience in production. The Ministry of Industrial Development and Company Affairs have recently formulated a comprehensive scheme for financial assistance to engineers and technicians for setting up small scale industries and have circulated it as a model scheme to all State Governments for inclusion in the State Plans.

Destruction of Government Property on 19th September 1968.

1727. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some facts have come to the notice of Government which indicated a plan to sabotage and destroy Government property on the 19th September, 1968 when Central Government employees were to observe a token strike;

(b) if so, the names of organisation and parties mainly involved therein; and

(c) whether they received assistance from high level sources in some of the States particularly for the purpose of indulging in subversive activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no information of a plan for sabotage and destruction of Government property on September 19, 1968. However, stray cases of suspected sabotage have been reported in some States.

(b)and(c): Do not arise.

Reservation of Posts of Hindi Stenographers for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1728. **Shri T. P. Singh :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2463 on the 14th June, 1967 and state :

(a) whether, after the said five Hindi Stenographers such posts in future would be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the existing orders of the Ministry of Home Affairs; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. Such posts in future would be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the existing orders of the Ministry of Home Affairs.

(b) Does not arise.

National Institute of Education

1729. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of prospective scientists selected under the Science Talent Search Scheme which is in existonce since 1962-63 and sponsored by the Science Department of the National Institute of Education;

(b) the expenditure incurred on the Scheme so far; and

(c) the number of scientists produced by this Institute so far and the names of places in the country where they are serving in various capacities ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The scheme commenced from the Academic Session 196 -64. The total number of candidates selected for the award of scholarship so far is 1,766 and the number of condidates who started actually availing of scholarships is 1,123.

(b) Rs. 55,18,400/-.

(c) None so far.

The scholars are still studying.

It is a long term scheme covering 3 years of the B.Sc. Course, 2 years of the M.Sc. course and a few years for the Doctorate Degree.

Preparation of Gazetteers

1730. **Shri Narain Swarup Sharma :** Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh : Shri S. C. Samanta :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether a decision was taken in 1955 to prepare the gazetteers of all the districts of India within ten years and publish them;

(b) if so, the number of gazetteers which have been prepared and printed separately and the causes of the delay;

(c) whether it is also a fact that the gazette of District Ranchi was sent for printing in 1966 and if so, whether it has been printed;

(d) the date by which the revised edition of the four parts of Imperial gazetteer was to be prepared and printed; and

(e) the portion of the gazetteer which has been printed so far and the date by which the rest of it is likely to be printed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The decision to revise the Imperial and District Gazetteers was taken by the Government of India in 1955, but the Scheme was implemented only in 1958 when the Central Gazetteers Unit was set up. It took quite some time to persuade the States and Union Territories to take up the work. Some of the States such as Jammu & Kashmir and Nagaland and the Union Territories of NEFA, Goa, Daman and Diu and others have agreed to take up the work only recently. Moreover, the publication of the Indian and District Gazetteers was deferred to incorporate the 1961 Census figures which were made available only in 1963-64.

(b) Out of 330 and odd District Gazetteers, the drafts of 134 have been completed, of which 116 have been approved by the Centre for publication. Of these, 68 have been published and the rest are in various stages of publication. Thus more than one third of the Scheme has already been completed. The revision of the District Gazetteers is primarily the responsibility of the State Governments. The Central Gazetteers Unit only coordinates the work in the States. In fact the Planning Commission has decided to transfer this work to the State sector.

(c) A part of the draft of the Gazetteer of Ranchi District was sent to the press by the State Government in 1966. It has not been published so far as the opinion of the Department of Social Welfare has been sought on certain technical points.

(d) Please see answer to (a) above.

(e) Volume I 'Country & People' of the Gazetteer of India has already been published. Its five thousand copies were sold in a few months. It is being reprinted. Some of the chapters of this volume such as Religion, Languages, People. Physiography and Social Structure, which have a wider public appeal, are being brought out separately in the form of booklets. Volume II 'History & Culture' has been finally edited and is now ready for the press. Most of the chapters of Volume III 'Economic Structure & Activities' and Volume IV 'Administration and Public Welfare' have been received from the contributors and are being edited. The Scheme is likely to be completed during the fourth Five-Year Plan.

अशोक होटलस लिमिटेड, नई दिल्ली, में किराये पर लगने वाले कमरे

1731. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा : श्री अर्द्धाकर सूपकार :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल मे अधिक कमरे किराये पर लगने के स्थान पर कम कमरे किराये पर लगे हैं और इस समय कुल कमरों में से लगभग 25 प्रतिशत कमरे ही किराये पर लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो हानि को घटाने के लिये और सरकारी क्षेत्र के प्रमुख होटल को लाभप्रद बनाने के लिये इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। अशोक होटल में ठहरने वालों की संख्या कभी भी गिर कर 25 प्रतिशत नहीं हुई। वर्तमान स्थिति (नवम्बर, 1968 के पहले 15 दिनों के दौरान) यह है कि 56 प्रतिशत शय्याएं तथा 78 प्रतिशत कमरे किराये पर लगे हुए हैं।

(ख) होटल की संगठनात्मक रचना तथा परिचालन दक्षता को सुधारने के प्रयत्न जारी हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान

1732. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैरावेल विमान बेड़े को बढ़ाने के लिये किस प्रकार के विमान खरीदे जायें, इसके बारे में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उस दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस दल ने क्या सिफारिशें की हैं और क्या मतभेद है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग): विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स ने एक दल की प्रतिनियुक्ति की जिसमें सहायक जनरल मैनेजर तथा दो इंजीनियरी अधिकारी सम्मिलित थे। उन्होंने कारपोरेशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उसमें बोइंग 737 को तरजीह दी। रिपोर्ट की निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) ने जांच की और उन्होंने इस प्रयोजन के लिये एक उप-समिति बनाई तथा नागर विमानन के महानिदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञों तथा जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की सहायता प्राप्त की। सब सम्बद्ध तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए उप-समिति ने डी० सी०-9-40 के हक में सिफारिश की। इस सिफारिश को इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मण्डल ने सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया तथा सरकार को तदनुसार अपना प्रस्ताव भेज दिया है। कारपोरेशन के प्रस्ताव पर अब सरकार विचार कर रही है।

गांधी विद्या मन्दिर गनपतराय रासीवासिया कालेज, चर्खी दादरी

1733. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गांधी विद्या मन्दिर, गनपतराय रासीवासिया कालेज, चर्खी दादरी से कर्मचारियों के लिये बंगले बनाने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण का कालेज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है किन्तु शर्त यह रखी है कि आयोग द्वारा इस पहले स्वीकृत प्रिंसिपल के बंगले के निर्माण के पूर्ति-दस्तावेज भेज दिये जाए।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

1734. **श्री क० लक्कप्पा** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री ए० श्रीधरन : **श्री सी० क० चक्रपाणि** :
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री ई० के० नायनार** :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग): कालीकट के लिये कारीपुर के नजदीक एक स्थान पर हवाई अड्डा बनाने के लिये सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। कालीकट में जमीन लेने तथा हवाई अड्डा बनाने के लिये प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। अगली कार्यवाही प्राक्कलनों के प्राप्त हो जाने तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय व्यवस्था को अन्तिम रूप प्रदान कर देने के बाद की जायेगी।

चौथी योजना में पारादीप पत्तन के लिये धन की व्यवस्था

1735. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में पारादीप पत्तन के विकास के लिये धन की व्यवस्था की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या धन की यह व्यवस्था चौथी योजना में अन्य मुख्य योजनाओं के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था से कम है या अधिक ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख): पारादीप पत्तन के सहित बड़े पत्तनों के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रभावों की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में आर्थिक महत्व के राष्ट्रीय राजपथ तथा सड़कों के निर्माण के लिये नियत धन राशि

1736. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये नियत की गई 77 20 लाख रुपये की राशि पूरी खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या आर्थिक महत्व वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों तथा राज्य सड़कों के विकास के लिये कोई राशि नियत की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) 34.58 लाख रुपये के आवंटन के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा 34.26 लाख रुपये की पूंजी खर्च की गई थी।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सन् 1967–68 के दर्मियान अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को 2.00 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। यह धन राशि झारसुगुधा–मध्य प्रदेश सड़क पर बदकेलो पुल के निर्माण पर खर्च के लिए प्रस्तावित की गई थी। भारत सरकार द्वारा सन् 1967–68 के दर्मियान ग्रामीण सड़कों के लिए कोई धन राशि नियतन नहीं की गई थी क्योंकि उड़ीसा राज्य द्वारा देहाती सड़कों पर जो खर्च किया गया और जिस सहायता की उन्हें जरूरत थी उसकी रिपोर्ट सिर्फ अगस्त सन् 1968 में ही प्राप्त हुई थी।

उड़ीसा में प्राचीन स्मारक

1737. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्राचीन स्मारक आजकल सर्वथा अपेक्षित हैं;

(ख) उड़ीसा के कितने प्राचीन स्मारक संरक्षण में हैं और जिनकी मरम्मत की जाती है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पुरी जिले में रणपुर के माला क्षेत्र में सर्वोत्तम वास्तुकला वाला एक प्राचीन मन्दिर है, जो गिरता जा रहा है, क्योंकि उसकी ओर पुरातत्व विभाग का ध्यान नहीं दिलाया गया है;

(घ) वर्ष, 1967–68 और 1968–69 में उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ङ) उड़ीसा में वर्ष 1968–69 के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राज्य के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, केवल जिनका ही केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध है, सुरक्षा की अच्छी स्थिति में रखे जा रहे हैं।

(ख) उड़ीसा में 63 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तथा स्थल हैं और उनमें से 13 की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मरम्मत की जा रही है।

(ग) इन क्षेत्रों में कोई केन्द्रीय संरक्षित मन्दिर नहीं है और ऐसे किसी भी मन्दिर का मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं है जो भग्न होता जा रहा हो।

(घ)

1967–68	40,600	रुपए
1968–69	64,284	रुपए

(ङ) निम्नलिखित मरम्मत के कार्य चालू वर्ष के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है :—

	रुपए
(1) सूर्य मन्दिर, कोनारक, जिला पुरी	3,000
(2) मेघेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर जिला पुरी	2,000

(3)	अशोक कालीन शिलालेख धौली, जिला पुरी	1,000
(4)	लिंग राज मन्दिर के अहाते के छोटे-छोटे मन्दिर, भुवनेश्वर, जिला पुरी	600
(5)	अशोक कालीन शिलालेख, जोगदा, जिला गंजम ।	800
(6)	वाराही मन्दिर, चौरासी, जिला पुरी	350
(7)	चौसठ योगिनी मन्दिर, हीरापुर, जिला पुरी	250
(8)	मुनिवास आश्रम सं०-I रत्नागिर, जिला कटक	3,150
(9)	नीलम माधव मन्दिर, गान्धारधि, जिला फूलबानी	2,850
(10)	सिद्धेश्वर मन्दिर, गान्धारधि, जिला फूलबानी	3,000
(11)	सूर्य मन्दिर, कोणार्क, जिला पुरी	1,000
(12)	वैताल युगल मन्दिर, भुवनेश्वर (रासायनिक परिरक्षण) जिला पुरी	1,500
(13)	लिंगराज मन्दिर के अहाते में पर्वती मन्दिर, भुवनेश्वर, जिला पुरी (रासायनिक परिरक्षण)	2,000

पारादीप पत्तन पर सामान्य माल रखने का स्थान

1738. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर सामान्य माल रखने का स्थान बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख): प्रस्ताव की अभी जांच हो रही है ।

बिहार में गंडक पुल

1739. **श्री मधु लिमये :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंडक परियोजना के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ङ) इस परियोजना का परिव्यय कितना होने की संभावना है, और

(च) यह पुल यातायात के लिये कब तक चालू हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख): जी हां। 245 लाख रुपये लागत के मार्गदर्शक बन्द पूरे हो गए हैं। कुओं की आधार शिलाओं पर कार्य जारी है। अब तक कुल 1011 फीट खुदाई की गई है।

(ग) शख्त पथरीली सतह मिलन के कारण कुओं की खुदाई के काम में कुछ धीमी प्रगति रही।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 1968 तक कुल परिव्यय 317.69 लाख रुपये है। निर्दिष्ट स्थल पर वास्तविक शारीरिक प्रगति के लिए अगले तीन वर्षों के अन्तर्गत 106.5 लाख रुपये परिव्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

(च) सन् 1970 के अन्त तक जैसा कि इस समय राज्य के पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है आधार शिला की अग्रित प्रगति पर निर्भर है।

केरल में पृथक मुस्लिम बहुल जिले की मांग

1740. **श्री मधु लिमये :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में मुस्लिम लीग ने मोपलास्तान नाम से एक पृथक मुस्लिम बहुल जिले की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस काम के लिए एक सीमा आयोग स्थापित करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मुस्लिम लीग ने न तो मोपलास्तान नाम से एक पृथक मुस्लिम बाहुल जिले की और न इस प्रयोजन के लिये एक सीमा आयोग की स्थापना की ही मांग की है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) नये जिलों के सृजन का मामला राज्य सरकारों की सामर्थ्य में है।

गिल मंत्रिमंडल द्वारा राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाये जाना

1741. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गिल मंत्रिमंडल ने अपने राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध अपने आपराधिक मुकदमें चलाये थे; और

(ख) क्या इन मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गिल मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक आधार से भिन्न आधारों पर अनेक अधिकारियों के तबादले किये और यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): पंजाब के कुछ विरोधी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक ज्ञापन में इस प्रश्न के भाग (क) और (ग) में उल्लिखित प्रकार के कुछ आरोप लगाये गये हैं। मामला परीक्षाधीन है।

पंजाब में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का पद बनाया जाना

1742. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और उनका निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश का पद बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या है; और

(ग) क्या देश में किसी अन्य उच्च न्यायालय ने भी ऐसा तरीका अपनाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त जज के एक पद का सृजन किया गया है।

(ग) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में जज का एक अतिरिक्त पद सृजन करके उच्च न्यायालयों को सशक्त करें ताकि मुख्य न्यायाधिपति तथा उनके सहयोगियों को न्यायालयों के निरीक्षण तथा सामान्य अधीक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। पंजाब तथा हरियाणा उच्च-न्यायालय के अतिरिक्त इसी आधार पर कलकत्ता उच्च-न्यायालय के लिए एक अतिरिक्त जज के पद की भी स्वीकृति दे दी गई हैं। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव किसी अन्य उच्च-न्यायालय से प्राप्त होगा, तो गुणदोष के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा।

पंजाब में लाटरी

1743. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के विकास कार्यों के निमित धन जुटाने के लिये एक लाटरी चलाई है;

(ख) पंजाब राज्य को लाटरी के द्वारा अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस लाटरी के बारे में गम्भीर आरोपों और अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने का सरकार का विचार है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पहली लाटरी के जरिये राज्य सरकार ने जो धनराशि एकत्रित की है, इस प्रकार है :-

(i)	कुल आय	12.42 लाख रुपये
(ii)	शुद्ध आय	9.32 लाख रुपये

(ग) राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में नक्सलबाड़ी जैसी गड़बड़

1744. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के मुराहरि खण्ड के गांवों में तथा अन्य भागों में नक्सलबाड़ी जैसी गड़बड़ी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की और कितनी गड़बड़ी हुई थी तथा विशेष रूप से बिहार के इन क्षेत्रों में और सामान्यतः देश में इस प्रकार की गड़बड़ को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी-कार्यवाही की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): मुजफ्फरपुर जिले के मुशाहरि खण्ड के मनिकाहारकेश गांव से उग्रवादियों के अनुयायियों द्वारा फसलों को बलपूर्वक काटने की कुछ घटनाओं के समाचार मिले हैं । ये घटनाएं मुजफ्फरपुर नगर के आस-पास के तीन या चार गांवों तक ही सीमित हैं । राज्य सरकार ने बताया है कि अब तक घटी घटनाओं की नक्सलबाड़ी जैसे किसी आन्दोलन से तुलना नहीं की जा सकती । विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में 8 मामले आरम्भ किये गये हैं तथा 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । 12 व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही भी की जा रही है ।

दिल्ली में समाचारपत्रों के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी प्रहार

1745. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अगस्त, 1968 को पुलिस ने दिल्ली में समाचारपत्रों के कर्मचारियों पर लाठी प्रहार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पत्रकार संघ तथा दिल्ली संवाददाता संघ ने लाठी प्रहार की जांच करने की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस की कथित ज्यादतियों के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस-रिपोर्टों को देख लिया है ।

(ग) भाग (क) के दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

डालर यात्री चैकों की जालसाजी

1746. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ विदेशियों तथा उनके भारतीय सहयोगियों की गिरफ्तारी करने के परिणामस्वरूप आधुनिक युग में डालर यात्री चैकों की सबसे बड़ी जालसाजी वाले गिरोह का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जालसाजी के परिणामस्वरूप होटलों को सर्वाधिक हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो विदेशियों के ऐसे कृत्यों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और वे किन-किन देशों के हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ): 15 नवम्बर, 1968 को दिये गये लिखित प्रश्न संख्या 761 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जैसा कि उसमें बताया गया है, हाल में दिल्ली पुलिस ने 3,700 डालर के प्रत्यक्ष मूल्य (फेस वैल्यू) के 21 अमरीकी एक्सप्रेस डालर ट्रैवलर चैकों को भुनाने के सम्बन्ध में दो व्यक्ति

गिरफ्तार किये थे जिनमें से एक आयरलैण्ड का राष्ट्रिक था तथा दूसरा भारत का राष्ट्रिक था। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार के और किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

आसाम में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस

1747. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस की तीन से अधिक बटालियनें इस समय आसाम में तैनात है;

(ख) यदि हां, तो इन बटालियनों को वहां तैनात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन्हें राज्य सरकार के अधीन काम करना अपेक्षित है अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) आसाम सरकार ने सुरक्षा बनाये रखने तथा राज्य में विधि और व्यवस्था कायम रखने के लिये अपने पुलिस-बल को बढ़ाने के लिये इन बटालियनों को बुलाया था।

(ग) ये बटालियनें राज्य सरकार के संचालन-नियंत्रण में काम कर रही हैं।

Commission for Scientific and Technical Terminology

1748. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 292 on the 2nd August, 1968 and state :

(a) whether a decision has been taken on the future responsibility of the Commission for Scientific and Technical Terminology in the production and publication of standard works of the University level;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c): In view of the bigger programme of book production in regional languages now under-implementation by the State Governments, it is under consideration whether the responsibility of the Commission in this case should in future be limited in the main to the production of such reference books and standard works as are not likely to be produced by the State Governments.

Assistants in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

1749. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2290 on the 2nd August, 1968 regarding Research Assistants in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology and state :

(a) whether the Departmental Promotion Committee have since met and, if so, whether their recommendations have been implemented; and

(b) if not, the reasons for the delay and the time likely to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) No Sir. The proposal for convening meeting of the Departmental Promotion Committee is still under discussion with the Union Public Service Commission.

रांची जिले में पुस्तकों के लिये अनुदान का वितरण

1750. श्री कार्तिक ऊरांव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची जिले के पालकार विकास खण्ड में सभी बच्चों को दिये जाने के लिये पुस्तक अनुदान और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की 3,000 रुपये की राशि केवल देवगांव और सरू बेरा स्थित दो आर० सी० मिशन स्कूलों को दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध तथा गलत ढंग से दी गई इस राशि को वापस लेने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इंजीनियर सेवा का संवर्ग

1751. श्री कार्तिक उरांव :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्गों के समान भारतीय इंजीनियर सेवा का एक संवर्ग बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ब्यौरे संलग्न ज्ञापन में समाविष्ट हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2272/68] उसमें समाविष्ट विभिन्न प्रस्तावों को राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अभी अन्तिम रूप देना है।

कांग्रेस के लिये धन का जबर्दस्ती इकट्ठा किया जाना

1752. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय प्राथमिक स्कूल शिक्षक संगठन संघ के अध्यक्ष द्वारा लखनऊ में लगाये गये इन आरोपों की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस चुनाव कोष के लिये जबर्दस्ती धन संग्रह किया जाता है जैसा कि 26 सितम्बर, 1968 के "पैट्रियट" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या प्रत्येक शिक्षक पर 20 रु० से 30 रु० तक शुल्क लगाकर बदायूं में इस प्रकार लगभग 80 हजार रु० इकट्ठे किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में की गई न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या हरदोई, आजमगढ़ और गोंडा जिलों से भी ऐसी ही शिकायतें मिली हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 26 सितम्बर, 1968 के "पैट्रियट" में इस समाचार को सरकार ने देख लिया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

(ग) चूंकि मामले की पहले से ही राज्य सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है, अतः अदालती जांच की व्यवस्था नहीं है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या

1753. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद उस राज्य में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति मारे गये, घायल हुए, अथवा कितने व्यक्तियों को यन्त्रणा दी गयी;

(ख) क्या राष्ट्रपति के शासन से पहले की इतनी ही अवधि में हुई घटनाओं की तुलना में ऐसी घटनाओं की संख्या कहीं अधिक तथा उग्र है;

(ग) यदि हां, तो वृद्धि के क्या कारण हैं और पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा प्रतिकर देने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में की गई अन्य निवारक कार्यवाहियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

गुजरात की यात्रा करने वाले पर्यटक

1754. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले तीन वर्षों में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या औपचारिक कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों से गत तीन वर्षों में गुजरात आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में किसी प्रकार की कमी का संकेत नहीं मिलता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में पर्यटन केन्द्र

1755. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चौथी पचवर्षीय योजना में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये उस राज्य को कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में दो स्कीमों, अर्थात्, (i) पोरबन्दर-वेरावल काम्प्लेक्स तथा (ii) अहमदाबाद काम्प्लेक्स का प्रस्ताव किया गया है । साबरमती में एक ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन आयोजित करने का भी प्रस्ताव है । इन स्कीमों के वित्तीय तथा अन्य ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं, इनके अलावा साबरमती आश्रम में एक पर्यटक बंगले को पूरा करने के लिये 1.15 लाख रुपये की एक राशि पृथक रूप से रख देने का भी प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त गुजरात में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये राज्य सरकार के लिये 50 लाख रुपये की राशि के नियतन का भी प्रस्ताव है । इन स्कीमों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2273/68]**

Recovery of foreign Arms and Ammunitions

1757. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of foreign arms and ammunitions has been recovered from Jammu and Kashmir, Rajasthan, West Bengal, Assam, Naga Hills and NEFA areas;

(b) if so, the details of the arms and ammunitions recovered from these areas from the 1st January, 1955 to date; and

(c) the number of Indian and foreign citizens arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : During the period in question no foreign arms or ammunition have been recovered in NEFA. As for other areas the required information is being collected and will be laid on the Table of the House on recept.

Clashes with Nagas and Mizos

1758. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of encounters between the hostile Nagas and Mizos and the Border Security Force and the Indian Army from 1st August, 1968 to date;

(b) the number of hostile Nagas and Mizos arrested and the number of those killed as a result of these encounters;

(c) the number of our soldiers killed in these encounters; and

(d) the details of the foreign arms and ammunition seized from these hostile Nagas and Mizos during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) (b) and (d): Since 1st August 1968 report has so far been received of 127 encounters of the Security Forces with Naga and Mizo hostiles. In these encounters 119 Mizo hostiles were killed and 20 were apprehended. No Naga hostiles was apprehended or killed. The arms and ammunition seized during this period include one rifle and some ammunition with foreign markings.

(c) Five personnel of security forces have been killed.

Pakistani Spies

1759. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state

(a) whether it is a fact that some Pakistani spies have been arrested in Punjab;

(b) if so, the number of Pakistani spies detained so far in that State since 1962 and the action taken against them;

(c) the number of women, Pakistani army jawans and officers amongst Pakistani spies who have been arrested there, and

(d) the number of Pakistani spies in Indian jails at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Seventy-three Pakistani spies were arrested in Punjab since 1962. Suitable action under law was taken against them.

(c) Nil.

(d) Information has been received from all State Governments and Union Territories (except Jammu and Kashmir), indicating that, there are at present 79 such persons in jails.

Pakistani and Chinese Spies Arrested in India

1760. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pakistani and Chinese spies who have been arrested in Kashmir Punjab, Assam, Nagaland and Bengal on the charge of spying against India since January, 1962 to date;

(b) the number of women spies amongst them; and

(c) the action taken against these spies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : A statement containing information relating to the States of Punjab, Assam, Nagaland and West Bengal is laid on the Table of the House. Appropriate action under law was taken in each case. Information in respect of Jammu and Kashmir is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Statement

S.No.	Name of State	Number of Pak and Chinese spies arrested since January, 1962 to date.	Number of women amongst them.
1.	Punjub	73	Nil
2.	Assam	15	1
3.	Nagaland	Nil	Nil
4.	West Bengal	64	1

पर्यटन से आय

1761, **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद से पर्यटन से आय कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कहां तक अवमूल्यन के कारण हुआ है; और

(ग) अवमूल्यन का पर्यटन व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (श्री कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसी धारणा बनाने का कोई कारण नहीं हैं कि जब से रुपये का अवमूल्यन हुआ है पर्यटन से होने वाली आय गिर गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि अवमूल्यन के पर्यटन व्यापार पर सही सही प्रभावों के मूल्यांकन की इस विषय में एक विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तथापि उन प्रभावों में से एक यह है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है।

अहमदाबाद हवाई अड्डा

1762. **श्री रा० को० अमीन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे का विकास करने की कोई योजना है, जिससे कि इसे भविष्य में जैट और सुपरसैनिक विमानों के उतरने के योग्य बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अहमदाबाद पाकिस्तान की सीमाओं के निकट है, सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : कारवेल किस्म के जेट विमानों द्वारा नियमित रूप से प्रयोग के लिये, तथा बोइंग 707 एवं उसी कोटि के अन्य विमानों के यदा-कदा प्रयोग के लिये, यह हवाई अड्डा पहले से ही उपयुक्त है। इस हवाई अड्डे को सुपरसैनिक विमानों के उपयुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) एक सिविल हवाई अड्डे का विकास मुख्यतया सिविल वैमानिक परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

दिल्ली के दुकानदारों द्वारा आन्दोलन

1763. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दुकानदारों ने सितम्बर, 1968 में पुलिस द्वारा की गई वैध कार्यवाही के विरूद्ध आन्दोलन किया था;

(ख) क्या बिना लाइसेन्स के फेरी वालों तथा छोटे दुकानदारों से सार्वजनिक स्थानों के गैर-कानूनी कब्जे को खाली करा लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस आन्दोलन का कोई राजनैतिक उद्देश्य था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ): कुछ दुकानदारों तथा फेरी वालों ने सार्वजनिक भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा करने के लिए पुलिस अधिनियम तथा बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत उनके किए गए चालान के विरूद्ध आन्दोलन आरम्भ किया था। कुछ क्षेत्रों में कुछ गैर-कानूनी कब्जे खाली करा लिए गए हैं। गैर-कानूनी कब्जों को खाली कराने की कार्यवाही जारी है। जब आन्दोलन समाप्त हो गया, गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। कुछ राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों ने आन्दोलनकारियों का नेतृत्व किया था।

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था द्वारा सूर्य-ताप से पानी गरम करने के सस्ते हीटर का आविष्कार

1764. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था ने सूर्यताप से पानी गर्म करने का सस्ता हीटर बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी निर्माण लागत कितनी है और कितने समय में एक हीटर तैयार किया जा सकता है; और

(घ) क्या वाणिज्यिक आधार पर इसका निर्माण किया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने सूर्यताप से पानी गर्म करने का एक सस्ता हीटर विकसित किया है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) लगभग 600 रुपये प्रति यूनिट की निमाण लागत का अनुमान है जो यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो, कम हो सकती है । इसका निर्माण लगभग एक महीने में किया जा सकता है ।

(घ) प्रक्रिया के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को भेज दिया गया है ।

विवरण

सूर्य ताप से पानी गरम करने का हीटर स्थानीय सामान से बनाना सुगम है । इस में सूर्य की किरणों और इन्सूलेटिड टैंक दो कलेक्टर होते हैं । अवशोषक में 28 गेज वाली एक काली की हुई एल्मयूनियम की शीट 19 एम० एम० व्यास लोहे की पाइपों के साथ जोड़ दी जाती है । इसे एक ढके बाक्स में रखा जाता है और एक शीशे की खिड़की की व्यवस्था होती है ताकि काली प्लेट पर सूर्य की किरणें आ सकें । अवशोषक को शीत काल में दक्षिण दिशा की और $+15^0$ कोण पर रखा जाता है ।

अवशोषक को एक स्टोर टैंक से जोड़ा जाता है और उससे ठंडा पानी अवशोषक पर पड़ता रहता है । गर्म किया हुआ पानी टैंक के ऊपर तक जाता है । यह स्वचालित 'सक्यूलेशन थरमोसिफोन' सूर्योदय के बाद चलना आरम्भ होता है और सूर्यास्त के बाद चलना बन्द हो जाता है ।

बादलों वाले दिन अथवा जब डिजाइन से अधिक भार हो टैंक के साथ इमर्शन हीटर के साथ जोड़ कर चालू किया जा सकता है ।

भारतीय नर्तक मण्डली को पुरस्कार

1765. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय नर्तक मण्डली को हाल में ईरान का राष्ट्रीय टेलिविजन पुरस्कार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मण्डली का नाम क्या है और इस मण्डली ने कब ईरान की यात्रा की थी;

(ग) क्या ईरान सरकार द्वारा आमंत्रित विभिन्न देशों की मण्डलियों के बीच प्रतियोगिता हुई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो यह पुरस्कार किस अवसर पर दिया गया था ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। टेलिविजन पर उच्च कोटि के नृत्य प्रदर्शन पर सरकार द्वारा दिए गए चार पुरस्कारों में से एक भारतीय नर्तक मण्डली को दिया गया था।

(ख) केरल कलामन्डलम्, चेरूतुरिति (केरल) की कथकलि मण्डली, जिसने पहली से 16 सितम्बर, 1968 तक ईरान की यात्रा की थी।

(ग) जहां तक इस मंत्रालय को मालूम है, कोई औपचारिक प्रतियोगिता नहीं हुई।

(घ) सितम्बर, 1968 के माह में हुए द्वितीय शिराज समारोह के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया था।

गोहाटी में दंगों की जांच रिपोर्ट

1766. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में गणतन्त्र दिवस पर हुए दंगों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ा दी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

1767. श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत बिहार की वर्तमान सरकार वहां की भूतपूर्व लोकप्रिय सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी किये गये इस निर्णय को कि ·····तहसील, जिला तथा राज्य·····सभी स्तरों पर हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाये, का प्रायः उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लोकप्रिय सरकार द्वारा राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने से पहले इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी, और वर्तमान सरकार द्वारा किन विशिष्ट क्षेत्रों में तथा किन प्रयोजन के लिये हिन्दी का प्रयोग अब बन्द कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य के सरकारी काम के लिये हिन्दी के प्रयोग के बारे में बिहार में भूतपूर्व लोकप्रिय सरकार द्वारा लिया नीति-निर्णय किसी भी रूप में वर्तमान सरकार द्वारा संशोधित नहीं किया गया है । फिर भी हाल के समाचारों से यह पता चलता था कि हिन्दी के प्रयोग में कमी हो चली है और इस के कारण पहले के निर्णय को अमल में लाने के लिये हिदायतें जारी की गई हैं ।

Babatpur Aerodrome at Varanasi

1768. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to expand the Babatpur aerodrome at Varanasi; and

(b) if so, the area of landproposed to be acquired from the farmers and the rate of compensation per acre to be paid to them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The work of strengthening the existing runway at Varanasi (Babatpur) to make it fit to receive larger aircraft is in progress. A proposal to lengthen the runway is being considered for inclusion in the Fourth Five Year Plan. This work will be undertaken if it is included in the Fourth Plan, and on the basis of such priority, if any, as may be accorded to it.

(b) The area of land that may have to be acquired for this purpose is being worked out. The rate of compensation, in the event of acquisition, will have to be decided by the Land Acquisition Officer of the State Government.

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल उद्योग

1769. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धि० ना० देव :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने होटल एण्ड रेस्टोरां एसोसिएशन संघ को यह आश्वासन दिया है कि देश में होटल स्थापित करके उन्हें चलाने में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में होटल उद्योग को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं और इससे गैर सरकारी क्षेत्र में होटल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : निजी क्षेत्र द्वारा होटलों के निर्माण का सरकार स्वागत करेगी । हवाई अड्डों पर होटलों के मामले को छोड़कर इस विषय में सरकारी क्षेत्र को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है । होटल आवास की आवश्यकता इतनी अधिक है कि इस विषय में निजी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इस बात का पर्याप्त अवसर है कि वे अपना अपना अधिकतम प्रयास कर सकें ।

अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह

1770. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धी० ना० दे :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के उप-मुख्य मन्त्री द्वारा यू० एन० आई० के साथ एक विशेष भेंट में दिये गये उस वक्तव्य की ओर जो 30 सितम्बर, 1968 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ था, दिलाया गया है और जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार को उन अध्यादेशों को, जिन्हें राज्य सरकारों ने लागू करना होता है, जारी करने से पहले राज्य सरकारों से सलाह कर लेनी चाहिये;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों के इस तरह के विचार हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग): केरल के मुख्य मन्त्री ने भी सुझाव दिया है कि अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 को जारी करने से पूर्व राज्यों से परामर्श कर लेना चाहिये था ।

(घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों के विषय में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

Behgai Islampur Road in U. P.

1771. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the reasons for not constructing the Behgai (District Moradabad, U. P.) Islampur (Budaun) road via Rampura although decision to that effect has been taken;

(b) whether Government are aware that this is an important road and the public is facing great hardship in the absence of this road and that there is a great resentment in the public against Government; and

(c) if so, the time by which Government propose to construct this road ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr.V.K R.V.Rao) : (a) to (c) : The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Raising of Private Senas in Assam

1772. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of private Senas have been raised in Assam recently;

(b) if so, the number of such Senas and the areas in which they have been formed;

(c) whether Government have enquired into the causes for the raising of so many Senas all of a sudden; and

(d) if so, what are those causes and the steps which have been taken to remove them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : According to information furnished by the State Govt., a number of groups like Lachit Sena, Ban Sena, Chilarai Fauz, Jubak Sena, Bharatiya Krantikari Parishad, Azad Hind United Front, Bharat Sena and Kamrup Sena have come to notice for circulating leaflets and posters expressing parochial and anti-national sentiments. Enquiries so far made show that these are not organised bodies with regular membership. According to the State Government, these groups have sprung up due to a number of factors like frustration in economic and industrial sphere and the alleged exploitation by the non Assamese. The State Government are keeping a close watch over the activities of such groups. A number of persons suspected of prejudicial activities were also detained under the preventive Defention Act.

Indian Scientists Settled in U. S. A. and U. K.

1773. **Shri Om Prakash Tyagi** :
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the respective number of Doctors, Engineers and Teachers who are either doing service in the U. S. A. and U. K. or have become permanent citizens of those countries;

(b) whether Government have made any efforts to make their knowledge beneficial for the country by calling them back to India;

(c) if so, the nature of efforts made; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No precise data is available.

(b) Government have taken various steps to attract them back to the country.

(c) Steps taken to facilitate return of scientific and technical personnel to India have already been given in reply to parts (b) and (c) of the Lok Sabha Starred Question No. 1479 answered on 26th April, 1968.

(d) Does not arise.

Mao Literature in Bombay and other Places

1774. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri K. P. Singh Deo :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Sita Ram Kesri :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Gadilingana Gowd :**

Will the Ministers of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that literature containing Maos teaching is being distributed on a large scale in Bombay and other parts of the country; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent distribution and smuggling of such literature ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such large scale circulation has come to notice.

(b) Mere distribution of publication of such literature is not punishable under existing law. But were such distribution of publication questions the territorial integrity and sovereignty of India or where it constitutes a threat to public peace, appropriate action under law can be taken.

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी

1775 **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री विजय मोडक :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के कार्यप्रणाली पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी ने मार्च तथा मई, 1967 में लगभग 9 लाख रुपये लन्दन भेजे हैं और उसने विशेष रक्षित लेखे में से काफी राशि अंशधारी लेखे में डाली दी है,

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि०के० आर० वि० राव) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के साथ विचार विमर्श करके रिपोर्ट की जांच की है।

(ख) आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी की परिचालन कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिये अन्य बातों के साथ 2 एक निश्चिय कार्यक्रम बनाया गया है। सामग्री के प्रयोग में आर्थिक किफायत और कर्मचारियों की नियुक्ति में मितव्ययता करके आय और व्यय के बीच अन्तर कम करने के लिये कदम उठाये गये है। राज्य के लोक निर्माण विभाग में एक इंजीनियर को कम्पनी में प्रतिनियुक्त किया गया है। राज्य सरकार विशेषज्ञों के साथ ट्राम्वे परामशदात्री समिति ने पुर्नगठन तथा रेलवे इंजीनियर की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर रही है। आयोग की किराया बढ़ाने की सिफारिश भी राज्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) : जैसा कि पूछ ताछ आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि कम्पनी द्वारा बहुत सी अनियमिताये की गई है, उनके बारे में खरीद की अन्तिम कीमत को निर्धारित करते समय राज्य सरकार कदम उठायेगी। फिलहाल इस बात को मध्ये नजर रखते हुये कि न्यायालय में काफी समय लगेगा और खरीद के व्यापार को तै करने में अड़चने पैदा होंगी इस दृष्टि से राज्य सरकार विदेशों को इस प्रकार धन के अनियमित तौर पर हस्तांतरित करने पर अभी कोई कानूनी कार्यवाही करने का इरादा नहीं रखती है।

अमरीकन अकादमी, वाराणसी

1776 **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकन अकादमी, वाराणसी के क्या-क्या कार्य हैं;

(ख) इस अकादमी के प्रबन्ध बोर्ड में कौन-कौन व्यक्ति हैं और उनका व्यवसाय क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रीवा पैलेस वाराणसी, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दान में दिया गया था, अमरीकन अकादमी को किराये पर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह पैलेस किन शर्तों पर किराये पर दिया गया है; और

(ङ) इसे किराये पर देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दक्षिण एशिया की कला और पुरातत्व अध्ययन तथा उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना अकादमी का घोषित उद्देश्य है।

(ख) अकादमी का प्रबन्धक बोर्ड, दक्षिण एशियाई कला की अमेरीकी समिति है, जिस का मुख्यालय शिकागों विश्वविद्यालय है। विवरण संलग्न है, जिसमें सदस्यों के नाम तथा उनके व्यवसाय दिये हुए हैं [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 22276)

(ग) जी हां।

(घ) महल 1500 रुपये मासिक किराये पर दिया गया है। बिजली और अतिरिक्त पानी का खर्च तथा अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, तो वे भी अकादमी द्वारा दिये जाएंगे। अकादमी भवन की मरम्मत तथा उसका नवीकरण, स्वयं अपने खर्च से कराएगी। स्थायी तौर पर संरचना निर्माण विश्वविद्यालय की मिलकियत होगी और ऐसे किसी परिवर्तन के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

महल का पट्टा नवम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में समाप्त हो गया था। उसके बाद, विश्वविद्यालय ने पट्टे की मियाद न बढ़ाने का निर्णय किया है और महल को खाली करने के लिये अकादमी को 6 मास का नोटिस दे दिया गया है।

(ङ) क्योंकि महल विश्वविद्यालय से दूरी पर है, इसलिए विद्यार्थियों के छात्रावास के रूप में उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता और इसी कारण से उसे किराये पर उठा दिया गया था।

रांची और हतिया में उपद्रवों के बारे में दयाल आयोग का प्रतिवेदन

1777 **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री उमानाथ :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या गृह-कार्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची और हतिया में साम्प्रदायिक उपद्रवों की जांच करने के लिये नियुक्त दयाल आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया हैं;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट पर कब तक विचार कर लिया जायेगा और विलम्ब का क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ): रांची-हतिया में उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट परीक्षाधीन है। चूंकि राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित कई सिफारिशें हैं अतः रिपोर्ट की परीक्षा में कुछ और समय लगेगा

Grant of Scholarships to Polytechnic Students in Delhi

1778. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of applications for the grant of scholarships received by the various Polytechnics in Delhi during 1968-69; and

(b) number of applications for the grant of merit-cum-means scholarships received from low-income group and Scheduled Castes and Backward Classes students separately in each of the Polytechnics ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 112.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Name of Scholarship Scheme	Number of applications receivrd by G. B. Pant Polytechnic	Pusa Polytechnic	K. G. Polytechnic	Women's Polytechnic
1. Merit-cum-means Scholarship	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Applications are invited in December near about the Mid-sessional examinations)			
2. Scheduled Caste Scholarship	8	17	19	1
3. Low-Income Group Scholarship	12	42	13	Nil

Facilities for B. Tech. in Polytechnics

1779. **Shri Nibal Singh :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the names of Polytechnics in the country where facilities exist for the teaching of B. Tech. course to students after getting Diploma in Engineering;

(b) whether such facilities also exist in the Polytechnics in the capital;

(c) if not, whether a proposal to provide the above facility to the students in the capital is under consideration of Government;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the time by which this facility is likely to be made available to students in the capital ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) : No polytechnic in the country including those in the Capital has facilities for degree courses. In the capital, the Delhi College of Engineering was offering the B. Tech. Degree course on part-time basis for diploma holders which has been discontinued since 1967-68. A proposal to revive this course has been kept in abeyance in view of the present unemployment amongst engineers and the need to restrict admissions to degree courses.

श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक नारे

1780 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 सितम्बर, 1968 को या इस के लगभग श्रीनगर में संचिवालय के निकट आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने लगाये थे और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार के पास 29 सितम्बर, 1968 को ऐसे नारे लगाये जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मन्त्री द्वारा दक्षिण अमरीका का दौरा

1781. **डा० कर्णसिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री द्वारा दक्षिणी अमरीका के दौरे के लिये किराये पर लिये गये विशेष विमान पर कितना खर्च किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय राजकोष को अन्य खर्चा कितना वहन करना पड़ा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) न्यूयार्क। रियो डी जेनियरो। पोर्ट आफ स्पेन। न्यूयार्क और बगोटा। कैराकस के दौरे के लिए किराये के विमान पर 3,47,000 रुपये खर्च आया।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गांधी ग्राउण्ड में आग

1782. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अक्टूबर, 1968 को गांधी ग्राउण्ड, दिल्ली तथा एक और स्थान पर रामलीला में अग्निकांड के कारण कई व्यक्तियों, जिन में कुछ महिलायें तथा बच्चे भी थे, के जख्मी हो जाने के कारण समारोह का दुखद अन्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने व्यक्ति जख्मी हुए थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : दिल्ली अग्नि-शमन सेवा के अनुसार 1-10-1968 को हार्डिंग पुस्तकालय के पीछे गांधी मैदान में जहां रामलीला दिखाई जा रही थी, आग लगने की केवल एक दुर्घटना हुई। पुलिस की सूचना के अनुसार 24 व्यक्ति घायल हुए।

Loans for Development of Hotels

1783. **Shri Molahu Prasad :**
Shri K. Suryanarayana :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether an amount of Rs. 5 crores has been allocated for the development of hotels and a procedure for giving loans prescribed therefor; and

(b) the names of persons who have applied to the Department of Tourism for the grant of loans to set up hotels and the places in the country where these are proposed to be set up ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A proposal of pro vide Rs. 7.5 crores for the grant of loans for the development of hotels during the Fourth Five Year Plan is under consideration, and a sum of Rs. 50 lakhs has been provided for this purpose during 1968-69. The instructions regarding the procedure for the grant of these loans have been placed on the Table of the House with the reply to Unstarred Ques tion No. 890 on 15th November, 1968.

From pre-page :

(b) Applications have been received from :

Name of the company	Location of the proposed hotel
1. Karan Enterprises (P) Ltd.	Hyderabad
2. Mayur Hotels (P) Ltd.	New Delhi
3. Rutl-Deen (P) Ltd.	Calcutta
4. Ritz Continental Hotels Ltd.	Calcutta
5. M/s S. P. Jaiswal Estates (P) Ltd.	Calcutta
6. Piem Hotels (P) Ltd.	Bombay
7. Fariyas Hotels (P) Ltd.	Bombay
8. Biren Roy Trust	Calcutta
9. Indian Hotels Co. Ltd.	Bombay
10. Hotel Chilka Pvt. Ltd.	Calcutta

Official Order of U. P. Government

1784. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3344 on the 9th August, 1968 and state the reasons for not placing the copies of such Government orders an the Table of the House at the request of Members of Lok Sabha as are placed on the Table of the Legislative Assembly at the request of the Members of Legislative Assembly although President's rule has been imposed in Uttar Pradesh since 25th February, 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The reply furnished to Unstarred Question No. 3341 on 9th August, 1968 clarified the legal requirements in this regard. Request for placing any specific Government order on the table of the House will be examined carefully in accordance will rules of procedure of the Lok Sabha and parliamentary practices.

Junior High Schools in U. P.

1785. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5269 on the 23rd August, 1968 regarding Junior High Scoools in U. P. and State;

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for this long delay ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) 90 non government Junior High Schools are being run under Scheme No. 9. The teachers of none of these institutions are paid a salary according to the scales obtaining in Government Schools.

Government have not issued any direction to the management of these schools nor is any alternative measure under consideration.

(c) Does not arise.

Jails in Uttar Pradesh

1786. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1119 on the 26th July, 1968 regarding jails in Uttar Pradesh and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the U. P. Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : A statement containing the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See. No, LT- 2275/68]**

Derogatory Article in a Book Entitled Crisis in India

1787. Shri Ramavtar Sharma :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article in Ronald Segal's book named 'Crisis in India' which is derogatory to Chhatrapati Shivaji; and

(b) if so, the action being taken by Government to proscribe the aforesaid article?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The import into India of copies of the foreign edition of this book was restricted in 1965. An edition recently published in the country is under examination of the Government of Maharashtra.

Research on Preventation of Old Age

1788. Shri Deo Rao Patil : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Banaras Hindu University has undertaken research on Prevention of old age;

(b) whether the U. S. Government has given a grant of Rs. 2.20 lakhs for this project; and

(c) the results of the study/experiments conducted in Varanasi in this connection ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A research project entitled "Biochemical studies on the aging process in mammals" is being carried out in the Zoology Department of the Banaras Hindu University.

(b) The project is being financed from out of PL-480 funds with a grant of Rs. 2,88,950.

(c) The project started only in July, 1968 and it is too early to arrive at any conclusions.

Human Sacrifices in U. P.

1789. **Shri Deo Rao Patil :** **Shri R. Barua :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Yashwant Singh Kushwah : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Sita Ram Kesri **Shri Yaspal Singh :**
Shri Himatsingka : **Shri Y. A. Prasad :**
Shri Ram Sewak Yadav **Shri Bhogendra Jha:**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a 12-year old Harijan boy was sacrificed in a village 'Lal' in District Deoria in Eastern U. P. during July, 1968.

(b) whether it is also a fact that a person invited the said boy to his house for meals and that the boy was sacrificed there; and

(c) whether this was the third sacrifice in that house; and

(d) if so, the action taken by Government in regard there to ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (d) : According to information received from the State Government the facts are briefly as follows. On 6th July, 1968 Jhabber, a young Harijan boy was playing with other two boys near the house of one Kapil Deo Lal in village Lar in district Deoria. Kapil Deo, his brother Rampati Lal and his son Vidya Sagar took away Jhabber inside the house. The other boys who had been playing with Jhabber continued to play. After sometime these boys heard shrieks of Jhabber from inside the house. They are reported to have peeped through one of the windows and saw that Kapil Deo, Rampati and Vidya Sagar were holding Jhabber and were cutting his throat with a long knife. These boys cried for help and thus attracted the attention of some neighbours. One of them informed the Police Station. The Station Officer rushed to the spot and got the doors opened. The dead-body of Jhabber was recovered from a steel trunk, Rampati, Kapil Deo and his wife Sheo Kumari were arrested on the spot. Vidya Sagar managed to escape but he also surrendered in a court on 15th July, 1968. A case for murder was registered at the police station and charge-sheet submitted in the concerned court on 7th September, 1968. The investigation has disclosed that the boy had been sacrificed to please the deity.

(c) No, Sir.

Recommendations of Advisory Panel on Education

1790. **Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government are in receipt of the recommendations of the Advisory Panel on Education, appointed by the Planning Commission on the National Policy on Education in the Fourth Plan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of state for Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes Sir.

(b) A Statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See. No. LT-2776/68]**

आन्ध्र प्रदेश में छोटे बन्दरगाहों का विकास

1791. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1966-67 से 1968-69 की अवधि के लिये, आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य की छोटी बन्दरगाहों में विकास कार्यों के लिये कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष वार कितनी राशि स्वीकार की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) : जी हां ।

(ख)

1966-67	4·39 लाख रुपये
1967-68	3.67 लाख रुपये
1968·69	4·79 लाख रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

छोटे बन्दरगाहों का विकास

1792. **श्री मि० सू० मूर्ति :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मुख्य मन्त्रियों ने सुझाव दिया है कि छोटी बन्दरगाहों के विकास कार्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजना माना जाये और उसके लिये ऋण दिये जाये;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से लागू होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) से (ग) : जून, 1968 में दूसरी छोटे पत्तनों की सभा में यह निश्चय किया गया था कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में प्रत्येक समुद्रवती राज्य में एक पत्तन को उसके यातायात साधनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा सचालित योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिए चुना जाय । चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची जिनमें साथ-साथ छोटे पत्तन विकास भी है उसे 13 सितम्बर, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने अनुमोदित किया था । चौथी पंच वर्षीय योजना 1-4-1969 से प्रारम्भ होनी है ।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

1793. श्री लोबो प्रभु : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के 1972 में पूरे हो जाने पर कितनी आय होने का अनुमान है;

(ख) 1972 में बन्दरगाह और सम्बन्धित रेलवे लाइन पर लगी पूंजी पर कितने ब्याज का भुगतान करना होगा;

(ग) क्या आय की कमी और ब्याज के दायित्व के कारण, यह आवश्यक नहीं कि योजना के अनुसार आवश्यक संशोधन जुटाये जायें; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी योजना को देखते हुये और एक डिजाइन डिवीजन के बेरोजगार होंने और वर्क्स डिवीजन के आंशिक रूप से बेरोजगार होने को ध्यान में रखते हुये केवल 1 करोड़ का व्यय उचित है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख) : यह आशा की जाती है कि मंगलौर पत्तन के पूरे हो जाने पर वह लगभग 27·10 लाख भार क्षमता के यातायात को कर पाएगा। इस अनुमानित यातायात के आधार पर पत्तन को लगभग 261·80 लाख रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होने की आशा है। अनुमानित परिचालित व्यय लगभग 109·00 लाख रुपये है। पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज लगभग 125·93 लाख रुपये ($5\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से 21·90 करोड़ रुपये पर) होता है।

रेलवे के बारे में, यह प्रकल्पना की गई है कि माननीय सदस्य हस्सन मंगलौर रेल लिंक की चर्चा कर रहे हैं। जहां तक इस लिंक का सम्बन्ध है, रेलवे मन्त्रालय ने निर्दशित किया है कि इस रेल लिंक पर 23·73 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और 1972 में भुगतान किये जाने वाले ब्याज की पूंजी लगभग 130.41 लाख रुपये होगी।

(ग) और (घ) प्रायोजना के लिए धन (फन्डस) की व्यवस्था प्राप्य सूत्रों के आधार पर की जा रही है।

सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति

1794. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियुक्ति तथा पदोन्नति द्वारा अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव की मान्य आवश्यकता तथा सामान्य सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बात पर क्या आपत्ति है उच्च अधिकारी और राज्य सरकार के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना किसी अधिकारी का उसकी सामान्य अवधि में तबादला न किया जाये;

(ख) भिन्न भिन्न पदों के भिन्न भिन्न महत्व, सुविधाओं की शर्तें तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, एक सन्तुष्ट अधिकारी द्वारा सेवा आयोग को अपील करने के अधिकार पर सरकार की क्या आपत्ति है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को सेवा की अधिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार जिस ढंग से चयन पदों के लिये सूचियां बना कर रखी जाती हैं क्या उसी तरह ऐसी प्रतिनियुक्तियों की एक चयन सूची बना कर रखेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा तबादले सार्वजनिक हित के आधार पर किये जाते हैं। पदोन्नतियां नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। तत्काल उच्च-अधिकारियों की सहमति लेना हमेशा सम्भव नहीं होता और न यह आवश्यक है क्योंकि नियुक्तियां और तबादले प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं। प्रशाशन की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों की उन्नतियां और तबादले तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने पड़ते हैं और उनका सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है।

जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के नियुक्तियां और तबादले करने में पूर्णरूप से सक्षम हैं और भारत सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

(ख) किसी एक विशिष्ट पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर सेवा सम्बन्धी शिकायत नहीं हो सकती है जहां तक उसमें पद में अवनति या वेतन का घाटा, जिसका वह अन्यथा अधिकारी है, नहीं होता। जब सेवा-अधिकार प्रभावित होते हैं तो ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए एक सामान्य व्यवस्था है। इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को सेवा आयोग में इस आधार पर अपील करने का अधिकार देने का प्रश्न नहीं उठता कि कोई विशिष्ट पद महत्वपूर्ण नहीं है या उसकी उपलब्धियां या सुख सुविधाएं कम हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियों के लिए विभिन्न संवर्गों से प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध किये गये अधिकारियों में से उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है।

Police Post at Sonai in U. P.

1795. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a population of 40,000 around village Sonai of District Mathura (Uttar Pradesh)but no Police post has been set up in that village wher as enquiries were made during the last two years with a view to setting up a Police post in that village; and

(b) the steps being taken to expedite the setting up of a Police post there in view of the fact that the Police station is situated seven miles away from this village and persons encounter great difficulties at the time of an emergency ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidha Charan Shukla) : (a) and (b) : The Government of U. P. have reported that they had examined the proposal to set up a Police post at Sonai village, while examining the reorganisation of police stations in U. P. on the basis of the recommendations of the U. P. Police Commission.

The population of Village Sonai and the area in the vicinity was expected to be 11664 only (as per 1961 Census) and so the prescribed norms did not justify the establishment of a police outpost at this village.

1972 की जनगणना के लिये प्रबन्ध

1796. श्री क० लकप्पा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में होने वाली आगामी जनगणना के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है;

(ख) क्या किसी देश से विदेशी सहायता के लिए प्रार्थना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में और क्या इस प्रयोजन के लिये इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) आगामी जनगणना 1971 में की जायेगी । एक पूर्ण कालिक रजिस्ट्रार जनरल और पदेन जनगणना आयुक्त को नियुक्त किया गया है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना संचालन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं । जनगणना अनुसूचियों के मसौदे विशेषज्ञों तथा जनगणना सामग्री का प्रयोग करने वालों के परामर्श से बना लिये गये है और उन्हें अन्तिम रूप से ग्रहण करने से पहले उनकी क्षेत्रों में पूर्व-परीक्षा की जायेगी । अन्य दूसरे प्रकार के उपाय, जैसे क्षेत्रीय नक्शे नवीनतम बनाना, मकानों पर संख्या डालना इत्यादि आरम्भ कर दिये गये हैं । सारणी-प्रक्रियाओं पर भी पर्याप्त रूप में विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : इस प्रयोजन के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी गई है । जन गणना आयुक्त के कार्यालय में यान्त्रिक गणक (इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर) पहले ही लगा हुआ है ।

Assistance to C. I. R. M.

1797. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the nature of assistance and the form in which it is given by Government to C. I. R. M. an international organisation, which renders medical and social service to the officers and employees working on seaports and ships ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : On their request, the existence of the C. I. R. M. has been brought to the notice of the Indian Shipping Companies. The C. I. R. M. has also been furnished with a list of Shipping Companies etc. to whom their bulletins and pamphlets could be sent.

स्नेहक तेलों को व्यापारिक आधार पर पुनः उपयोग के योग्य बनाने वाले संयन्त्र की स्थापना

1798. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी फर्म ने उपयोग किये गये स्नेहक तेलों को पुनः उपयोग के योग्य बनाने के लिये व्यापारिक आधार पर एक सन्यन्त्र की स्थापना की विधि (प्रासेस) खरीदने के लिये भारतीय पेट्रोलियम संस्था के साथ एक करार किया है ताकि प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ रुपये के मूल्य के स्नेहक तेलों का इस समय जो आयात किया जा रहा है वह कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे सरकार को क्या लाभ होगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : भारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून में विकसित स्नेहक तेल को उपयोग के पुनः योग्य बनाने की विधि के लाइसेन्स निम्न-लिखित चार फर्मों को उनके आगे दी गयी शर्तों पर दिए गए हैं :—

	फर्म का नाम	संयंत्र की क्षमता	शर्तें	
1.	मैसर्स रवि इन्टरप्राइजिस, विजयवाड़ा	500 टन प्रति वर्ष	एक मुश्त प्रीमियम	3000/- रुपये
			लाइसेन्स का प्रभार	अ अनन्य
			लाइसेन्स की अवधि	14 वर्ष
			आवर्ती रायल्टी	कुछ नहीं
2.	मैसर्स बागला ब्रदर्स, सहारनपुर	200 टन वार्षिक	एक मुश्त प्रीमियम	2000/- रुपये
			लाइसेंस की किस्म	अ-अनन्य
			लाइसेंस की अवधि	14 यर्ष
			आवर्ती रायल्टी	कुछ नहीं
3.	मैसर्स दौलत मशीनरी कार्पोरेशन, दिल्ली	200 टन प्रति वर्ष	एक मुश्त प्रीमियम	2000/- रुपये
			लाइसेंस की किस्म	अ-अनन्य
			लाइसेंस की अवधि	14 वर्ष
			आवर्ती रायल्टी	कुछ नहीं
4.	मैसर्स कपूर सन्स, जमशेदपुर	200 टन वार्षिक	एक मुश्त प्रीमियम	2000/- रुपये
			लाइसेंस की किस्म	अ-अनन्य
			लाइसेंस की अवधि	14 वर्ष
			आवर्ती रायल्टी	कुछ नहीं

(ग) तेल को पुनः उपयोग के योग्य बनाने की विधि स्नेहक तेलों के आयात की ज़रुरत को कम करेगी ।

घटिया मिट्टी के तेल का प्रयोग

1799. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी को सुखा कर घटिया मिट्टी के तेल की किस्म में सुधार करके तथा मिट्टी के तेल के लैम्पों के डिजाइन में परिवर्तन करके मिट्टी के तेल की भारी मांग को पूरा करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने मिट्टी के तेल के लैम्प के साथ लगने वाला एक देसी पुर्जा तैयार किया है जिससे घटिया तेल भी उतना ही अच्छा जलता है जितना कि बाढ़िया तेल ;

(ग) क्या व्यापारिक आधार पर लैम्पों का प्रयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) : जी हां ।

(ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) : युक्ति को पेटेन्ट करा लिया गया है तथापि, इसका वाणिज्यिक उपयोग करने से पहले वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर परीक्षण आवश्यक है ।

पाकिस्तानी जासूस

1800. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् दिल्ली और आसाम में पाकिस्तान के लिये जासूसी करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई हैं ;

(ख) इन गतिविधियों को रोकने के लिये, विशेषतया जबकि एक राजधानी है और दूसरी सीमा के निकट सामरिक महत्व का तथा आक्रमणीय स्थान है, क्या कोई विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जो उपाय दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मामलों की जांच तथा निपटान के लिये प्रक्रिया को सरल बनाना

1801. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के मामलों में एक हजार से भी अधिक अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे और इन में से अधिकांश मामलों में जांच अथवा विभागीय कार्यवाही करना अभी बाकी है ;

(ख) क्या मामलों का पता लगाने की तारीख से एक वर्ष में इनकी जांच तथा निपटान के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1967-68 वर्ष में सतर्कता-मामलों (विजिलेंस केस) में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की तथा उन अधिकारियों की जिनके विरुद्ध 31-3-1968 को सतर्कता-मामले लंबित पड़े थे श्रेणी-वार अलग अलग संख्या बतलाने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2277/68]**

(ख) तथा (ग) : अनुशासनिक कार्यवाहियों की गति तीव्र करने के लिए अनुशासनिक नियम हाल में संशोधित किये गये हैं। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी से जहाज खरीदने की शर्तें

1802. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी से व्यापार की शर्तों को उदार बनाने के लिये लिखा है जिससे भारत उनसे नये तथा पुराने जहाज खरीद सके;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की अब क्या स्थिति है ; और

(ग) इस सौदे के तय हो जाने पर विशुद्ध टन भार में कितनी वृद्धि होगी और अनुमानत : कितना लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) : जहां तक यू० के० सरकार का सम्बन्ध है, उनसे कोई औपचारिक पहुँच नहीं की गई है। किन्तु हमारी जरूरतों के बारे में समय-समय पर उनसे चर्चा की गई है। जर्मनी की फेडरल रिपब्लिक सरकार ने एक वर्ष के लिए नये जहाजों की खरीद के लिए डी० एम० 92.4 लाख रुपये का ऋण देना स्वीकार किया है।

(ख) जर्मनी की फेडरल रिपब्लिक सरकार को डी० एम० 31.2 कीमत के दो जहाजों का आर्डर दे दिया गया है। शेष पूंजी के विरुद्ध आर्डर देने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

(ग) शेष जमा पूंजी के विरुद्ध आर्डरों को अन्तिम रूप देने तक अतिरिक्त जी० आर० टी० का यर्थाथ प्राक्कलन सम्भव नहीं है। तथापि मोटी तौर पर अतिरिक्त योग 60,000 से 70,000 जी० आर० टी० की क्षमता तक होगा जिसमें पहले ही दो आर्डर दिये गये जहाज भी शामिल हैं।

नेहरू बाल पुस्तकालय

1803. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की नेहरू बाल पुस्तकालय नामक प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत कितनी है ;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली पुस्तकों के शीर्षक क्या हैं, प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितनी प्रतियां प्रकाशित होगी और यह कितनी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जायेंगी ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें लोगों में रुचि तथा उत्साह उत्पन्न करने में असफल रही हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ये नई बाल पुस्तकें बिकेंगी ; और

(घ) इस नई परियोजना में किन राज्यों ने पूरा सहयोग देने की बात स्वीकार कर ली है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) इस कार्यक्रम के लिए चौथी आयोजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इसका अभी तक निर्णय होना बाकी है ।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकें लोगों में रुचि तथा उत्साह उत्पन्न करने में असफल रही हैं ।

(घ) सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

गोआ बन्दरगाह का विकास

1804. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ बन्दरगाह के विकास के लिये विश्व बैंक को ऋण के हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र सरकार ने इस बीच वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस बन्दरगाह के विकास के लिये पर्याप्त धन तथा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का सरकार ने कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) से (घ) : मारमोगोआ पत्तन के विकास के सम्बन्ध में ऋण के लिए विश्व बैंक को दिया गया प्रार्थना पत्र अभी बैंक के विचाराधीन है फिलहाल प्रायोजना के निर्णायक पहलुओं पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । मारमोगोआ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा खुदाई और भूमि सुधार के लिए टेन्डर आमंत्रित

किये गये हैं। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस प्रायोजना के लिए एक सलाहकार इंजीनियर की नियुक्ति की जाय।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध अभियान

1805. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के जिला प्रशासन ने पंजाब पदावली के अधिकारियों को बदनाम करने का अभियान शुरु किया हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्दोलनों तथा हड़तालों को श्रम आयुक्त ने भड़काया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सतर्कता विभाग ने अब तक केवल पंजाब पदावली के अधिकारियों के विरुद्ध ही जांच शुरु की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रोत्साहन

1806. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारिम्भक स्कूलों के अध्यापकों को उनकी सामान्य रूप से अपने कार्य में रुचि बढ़ाने तथा विशेष रूप से अध्यापन कार्य छोड़ने वालों की संख्या कम करने के उद्देश्य से क्या प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ख) क्या किसी राज्य में योग्यता के आधार पर अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देना आरम्भ किया गया है; और

(ग) इस प्रकार से सेलेक्शन ग्रेड के परिणाम स्वरूप बर्बादी और एक ही जगह रुके रहने की स्थिति में सुधार होने की संभावना है, ऐसे सेलेक्शन ग्रेड आरम्भ करने वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता न दी जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) इस संबंध में शिक्षा आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये आती हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार, हरियाणा, और जम्मू तथा काश्मीर ने अध्यापकों की कुछ श्रेणियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड लागू कर दिये हैं।

(ग) अध्यापकों के वेतन-मानों के संशोधन के लिए, जिनमें सेलेक्शन ग्रेड लागू करना भी शामिल है, राज्य सरकारों को कोई सीधी केन्द्रीय सहायता अनुमत्य नहीं है ।

विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ देना

1807. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की कर्णधार समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले 60 प्रतिशत विद्यार्थी पूरी तरह साक्षर भी नहीं हो पाते, क्योंकि वे चौथी कक्षा तक पहुंचने से पहिले ही पढ़ाई छोड़ बैठते हैं और इस शिक्षा का खेती के तरीकों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है, कि कम से कम छात्र अपनी पढ़ाई छोड़े ;

(ग) चूंकि प्राथमिक शिक्षा का अधिक विस्तार करने से शिक्षा की बर्बादी बढ़ जायेगी, छोटी और बड़ी कक्षाओं में छात्रों की संख्या के अनुसार नियत करने में क्या आपत्ति है ;

(घ) क्या छात्रों द्वारा इस कारण पढ़ाई छोड़ दी जाती है कि बड़े बच्चे काम धन्धों को करने योग्य हो जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल में अपनाई गई पद्धति को अपनाने का है, जिसकी सिफारिश अब योजना दल द्वारा की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का प्राथमिकता स्तर पर बर्बादी और अवरुद्धता को कम करने के देश व्यापी कार्यक्रम पर बल देने का प्रस्ताव है । इस समस्या पर विचार करने के लिये हाल में एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिये इसने एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है । इस सम्बन्ध में गोष्ठी की सिफारिशों को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की चौथी योजनाओं में शामिल करने के लिये कदम उठाये जा रहे है ।

(ग)प्राथमिक शिक्षा में अग्रेतर विस्तार से बर्बादी में वृद्धि नहीं होगी । हां, सिद्धान्ततः इस बात में कोई आपत्ति नहीं यदि राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूल बर्बादी और अवरूद्धता के लिये उचित सहायता अनुदान की पद्धति को अपनायें ।

(घ) यह अनुमान है कि कक्षा 3 और ऊपर की कक्षाओं में दो-तिहाई बर्बादी आर्थिक कारणों से है ।

(ङ) केरल में केवल कक्षा 1 तथा 2 में शिफ्ट प्रणाली प्रचलित है । इसे लागू करने का एकमात्र वितीय कारण है ।

सरकार के संसाधन बहुत सीमित है और बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है। मितव्ययता की दृष्टि से एक ही अध्यापक को दो शिफ्टों में छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। उच्चत्तर कक्षाओं में अंशकालिक शिक्षा होती है ताकि छात्र अध्ययन के साथ-साथ कुछ धन अर्जन भी कर सकें। इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

विमान यात्रियों को उनका सामान देने में विलम्ब

1808. श्री लोबो प्रभु : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कोई शिकायतें उनको मिली हैं अथवा उन्हें अन्यथा मालूम है कि विमान यात्रियों को विमान से उतरने पर उनका सामान दिये जाने में बहुत देरी की जाती हैं, और आधे घटे से अधिक का समय लग जाता है;

(ख) क्या इसके कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): सरकार को यात्रियों के सामान की निकासी में देरी के बारे में जानकारी है। यह कठिनाई मुख्यतया उन हवाई अड्डों पर अनुभव की जाती है जहां यातायात अत्यधिक घना होता है, अथवा जहां कई सेवाएं एक साथ परिचालित हो रही होती हैं।

(ग) देरी इस कारण होती है कि विमान से टर्मीनल बिल्डिग को सामान ले जाने के लिये पर्याप्त यान्त्रिक उपस्कर की कमी है, तथा टर्मीनल बिल्डिगों में सामान की निकासी के लिये पर्याप्त स्थान नहीं होता। सामान वितरण के क्षेत्रों का विस्तार करने तथा वितरण काउंटरों की संख्या बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये जो नई बिल्डिगें प्लान की जा रही हैं उनमें सामान के विमानों को अथवा विमानों से जल्दी तथा सहज रूप से ले जाने के लिए वाहक पट्टे जैसे सुपरिष्कृत यान्त्रिक साधनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

कोचीन पत्तन के लिये ड्रेजर

1809. श्री वासुदेवन नायर : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन पत्तन न्यास द्वारा एक नये ड्रेजर का अर्जन करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पत्तन पर इस समय जिन तीन ड्रेजरों का उपयोग किया जा रहा है वे बहुत पुराने हैं और वे गोदी की समस्या को हल करने के लिये अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा एक नये ड्रेजर का अर्जन करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोचीन पत्तन के निकर्षण बेड़े में मुख्यतः तीन निकर्षण पोत शामिल हैं। जिनमें लार्ड विलिंगडन सन् 1926, लेडी विलिंगडन सन् 1937 और गंगा सन 1922 में बनाए गए थे। परन्तु सन् 1962 में तेल चालक पोतों में बदल दिए गए। यह तीनों पुराने निकर्षण पोत हैं। इरनाकुलम चेनल में नए वर्थ के निर्माण के लिए निकर्षण मात्रा में वृद्धि किए जाने के कारण और वर्तमान निकर्षण पोत के पुराने हो जाने के कारण अच्छे काम करने की क्षमता में कमी हो जाने से सभी बर्थों में और निकटवर्ती चेनल और पहुँच मार्ग में हमेशा आवश्यक गहराई को बनाये रखना सम्भव नहीं है।

(घ) कठिनाइयों का सामना करने और पिछली अर्गला को जिसकी सफाई अब तक शुरु नहीं की गई है सरकार ने चूषण निकर्षण पोत को उपलब्ध करने के लिए आर्डर की स्वीकृति दी हैं। एक नए ग्रैब होफर निकर्षण पोत के खरीद की स्वीकृति प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है।

पर्यटक केन्द्रों में भिखमंगे

1810. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में पर्यटक केन्द्रों में भिखमंगों की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न हुए अनिष्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनिष्ट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे पर्यटकों को परेशानी होने के साथ साथ भारत में सामाजिक तथा आर्थिक दशा के सम्बन्ध में बुरा प्रभाव पड़ता हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस अनिष्ट की ओर राज्य सरकारों का, जो कि इस मामले से मुख्यतया सम्बन्धित हैं, ध्यान बार-बार आकृष्ट किया गया है तथा उनसे इस विषय में प्रभावी उपाय बरतने को कहा गया है। इसके अलावा, समाज-विरोधी तत्वों को पर्यटकों को परेशान करने से रोकने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर राज्य पुलिस संगठन के ढ़ांचे के अन्तर्गत पुलिस यूनिटें स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

रत्नाकर शिपिंग तथा एपीजे शिपिंग सम्बन्धी सुखतनकर समिति का प्रतिवेदन

1811. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अदिचन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सीता राम केसरी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नाकर शिपिंग तथा एपीजे शिपिंग नामक दो कम्पनियों के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई सुखतनकर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य बातें कही है और उसके निष्कर्ष क्या है; **और**

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) सुखतनकर समिति सिर्फ अपोले लेन (सुरेन्द्र ओवरसीज लि०) के कार्यों की जांच के लिये नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग): रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों के किराये

1812. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोमिनपुर (कलकत्ता) तथा डायमंड हार्बर (24 परगना), पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली सरकारी बसों के किराये की दरें क्या है;

(ख) ये दरें कलकत्ता तथा 24 परगना में अन्य मार्गों पर चलने वाली बसों की किराया दरों से कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) क्या सरकार मोमिनपुर तथा डायमंड हार्बर के बीच चलने वाली बसों की किराया दरों को लोकहित में कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) मोमिनपुर और डायमंड बन्दरगाहों के बीच का वर्तमान किराया एक रुपया और दो पैसा है।

(ख) उपर्युक्त दर जिले के अन्तर्गत उसी तरह के दूसरे मार्गों की दर से अधिक नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं

1813. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 400 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आवास सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इन कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं देने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित अधिकतर राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं/संस्थानों के अहातों में मकानों का निर्माण किया है और ये मकान कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अनुसार नियत किए जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के स्थायी कर्मचारी भारत सरकार के सामान्य पूल आवास में से क्वार्टर पाने के पात्र हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की गुप्त निधि

1814. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मुसाफिर खाना जामामस्जिद, दिल्ली-6 के अब्दुला मोहम्मद हबीब (जो कि अपने को केन्द्रीय गुप्तचर-विभाग का भूतपूर्व कर्मचारी कहते हैं) के उस साइक्लोस्टाइलड पत्र की ओर दिलाया गया है जिसे उन्होंने परिचालित किया है और जिसमें केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के विरुद्ध यह गम्भीर आरोप लगाया गया है कि यह विभाग गत आम चुनाव के समय केरल के राजनैतिक दलों में फूट डालने में अपनी गुप्त निधियों से धन व्यय करता रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है, और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जनाब अब्दुला मोहम्मद कानूनी कार्यवाही के लिये और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के विरुद्ध अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिये तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने वह साइक्लोइस्टाइल किया गया एक पत्र रखा है जो अब्दुल्ला मोहम्मद ने अपने को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का एक भूतपूर्व कर्मचारी बतलाते हुए संसद सदस्यों में तथाकथित परिचालित किया है और जिसमें गुप्तचर विभाग के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं।

(ख) अब्दुल्ला मुहम्मद नाम का कोई व्यक्ति गुप्तचर विभाग की नौकरी में नहीं था। फिर भी, यह समझा जाता है कि इस नाम के एक व्यक्ति ने कोट्टायम के "मलायला मनोरमा" के दिनांक 18 नवम्बर के अंक में यह इंकार करते हुये एक रिपोर्ट छापी है कि उसने कभी गुप्तचर विभाग के लिये काम किया था या उसने संसद सदस्यों में कोई वक्तव्य परिचालित किया था।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Land Agitation in Uttar Pradesh

1815. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3286 on the 9th August, 1968 regarding land agitation in U P. and state :

(a) whether the necessary information has since been collected from the U. P. Government;

(b) if so, the details thereof:

(c) whether Government have under consideration the demands of the landless people of Uttarakhand, Kumaon and Nainital for the allotment of land to them for cultivation; and

(d) if so, the details therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) A statement is placed on the table of the House.

Statement

According to information furnished by the State Government, some incidents were reported from Uttrakhand, Kumaon and Nainital areas in which landless persons attempted to obtain the forcible occupation of forest and other public land. 235 persons were arrested upto May 14, 1968. None of the persons is in jail at present. It is not correct that a delegation of agitators had gone to see the Sub-Divisional Officer. Nor is it correct that Women and children, who had taken part in the agitation were left by the police at far off places in Jungle. Such women and children were sent to the rescue home at Haldwani, District Nainital.

2. The State Government have pointed out that vacant waste land is being afforested and developed. It is not, therefore, available for allotment, In so far so other public land is concerned, a definite procedure for allotment already exists and the concerned persons can avail of the provisions of the law. However, the State Government have set up a high-powered committee to examine the problem of allotment of land to landless persons in the Tarai districts of U. P. and to submit its report within three months.

Naga Camp in Sahor

1816. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naga rebels have set up a new camp at Sahor in Manipur and have equipped it with rockets, mortars, machine guns, rifles etc; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b): A camp was reportedly opend on 2nd September, 1968 by Naga hostiles at Sokhoror in Mao-Maram sub-division of Manipur. The strength of the camp was about 500 and it had some automatic weapons. On the 6th September 1968, the Security Forces found the camp deserted and destroyed the temporary construction found there.

Meetings of Consultative Committees of Members of Parliament for States Under President's Rule

1817. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that the States of West Bengal, U. P., Bihar, Punjab and Manipur are under the President's rule;

(b) is so, whether the Consultative Committees of Members of Parliament have been constituted for all the above States;

(c) if so, the number of their sittings held so far in each State, the subjects discussed and the decisions taken therein;

(d) the amount spent so far on the sittings of these Consultative Committees in each State separately; and

(e) the Justification for spending this amount ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The States of West Bengal, U. P. Bihar and Punjab are under President's Rule. Manipur was under President's Rule between 25.10.67 and 19.2.1968.

(b) Committees consisting of Members of the two Houses of Parliament have been constituted in the case of the States U. P./ West Bengal/ Bihar/ Punjab under section 3 of the relevant State Legislature (Delegation of Powers) Act. No such Committee was constituted for Manipur,

(c) The information regarding the number of meetings of Consultative Committees of each State held so for is as follows :-

West Bengal :		
1st meeting	-	2nd May, 1968.
2nd meeting	-	17th and 18th June, 1968.
3rd meeting	-	23rd and 24th September, 1968.
U. P.		
1st meeting	-	4th April, 1968.
2nd meeting	-	1st May, 1968.
3rd meeting	-	11th and 12th June, 1 68.
4th meeting	-	30th and 31st October, 1968.
Bihar :		
1st meeting	-	10th October, 1968.

Punjab :

No meeting has been held so far.

Copies of the Minutes of these Meetings are placed on the table. [**Placed in Library. See No. LT-2778/68**]. The Minutes of the 4th meeting of the Consultative Committee for U. P. and 1st meeting of Bihar Consultative Committee are being finalised.

(d) The payment of T. A. and D. A. to Members of Parliament is made according to rules by the Lok Sabha and Rajya Sabha Secit. Whenever any meeting is held in the State, the expenditure on reception, transport etc. is borne by the concerned State Government Expenditure on these items has not been assessed.

(e) Under the relevant State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968 enacted for each State, the President is required to consult such a Committee, whenever he considers practicable to do so, before any law is made by the President for the State in exercise of the Powers of Legislature of the State.

Discussions also take place in the Committee on matter of public importance concerning the State.

Letter from Non-Gazetted Employees Federation, Bihar

1818. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an open letter was handed over to him on behalf of the Non-gazetted Employees Federation, Bihar on the eve of Bihar Parliamentary Advisory Committee meeting on the 10th October, 1968.

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The Memorandum contained a number of demands pertaining to grant of additional Dearness Allowance, medical assistance, childnre allowance, payment of salary for the period of strike, grant of Secretariat allowance to staff working in the Secretariat promotions, confirmation of temporary employees, allotment of Government quarters, enchancement of house-rent allowance, etc. These demands are being examined by the State Government.

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु

1819. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु कम करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु कम करने का भी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : राज्य पुनर्गठन से प्रभावित राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु नियत करने के लिए सक्षम हैं और केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। पंजाब तथा हरियाणा सरकारों से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु 58 से घटा कर 55 करने के लिये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के अधीन प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये प्राप्त हुए हैं। उनका अनुमोदन नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) समस्त सम्बन्धित बातों की पूर्ण तरह परीक्षा करने के उपरान्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु कुछ वर्ष पहले ही 55 से बढ़ा कर 58 की गई थी। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये परिस्थितियां नहीं बदली हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का विशेष वेतन का दिया जाना

1820. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को विशेष वेतन देने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केवल विशेष मामलों में ही प्रतिनियुक्ति भत्ता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)। (क) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 8 तथा उसके साथ पठित उसकी अनुसूचि iii– ख तथा iii–ग के अनुसार दिया जाता है। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 8 तथा उसके साथ पठित उसकी अनुसूची iii–ख और iii–ग के अनुसार दिया जाता हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिनियुक्ति-भत्ता जम्मू व काश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को तथा संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में सम्मिलित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लाये गये कुछ अधिकारियों को पहले ही दिया जा रहा है।

(घ) कहीं अन्यत्र प्रतिनियुक्ति-भत्ता देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से देश में कहीं भी कार्य करने की आशा की जाती है, अतः उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायालयों में विदेशियों के विरुद्ध लम्बित मुकदमे

1821. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अनेक न्यायालयों में विभिन्न अपराधों के कारण विदेशियों के विरुद्ध अनेक मुकदमें लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशियों के नाम क्या हैं, और ये मुकदमें किन न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में ये विदेशी लोग देश छोड़ कर चले गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट

1822. श्री गाडिलिगन गौड़ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला में चाय के अवशिष्ट पदार्थ से कैफीन जिसकी विदेशों में बहुत मांग है, प्राप्त करने का एक तरीका निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये इस उद्योग का विकास करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्योग का विकास किये जाने के परिणाम-स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने चाय के अवशिष्ट से कैफीन तैयार करने की एक प्रक्रिया विकसित की हैं । इस उत्पाद की विदेशों में मांग का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) इस प्रक्रिया के वाणिज्यिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इसे एक फर्म को दे दिया है । निगम देश की अन्य बहुत सी पार्टियों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता ।

तिरुपति के निकट हवाई पट्टी

1823. श्री को० सूर्यनारायण :
श्री गाडिलिगन गौड़ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुमल तिरुपति देवेस्थानाम्स के न्यासी मंडल ने तिरुपति के निकट एक हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है और अपने अंशदान के रूप में 15 लाख रुपये देने का प्रस्ताव किया हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार इस हवाई पट्टी के लिये 200 एकड़ सरकारी भूमि निःशुल्क देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तिरुमल तिरुपति देवस्थानम् के बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यासी मंडल) ने तिरुपति के नज़दीक एक हवाई अड्डा बनाने के लिए 15 लाख रुपये की एक राशि अपने अंशदान के रूप में इस बात को मानते हुए प्रस्तुत की है कि इंडियन एयरलाइन्स बिना यह शर्त लगाये कि यदि कोई घाटा हो तो आय में इस कमी को देवस्थानम् पूरा करे, विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए सहमत हो जायेंगे, तथा एक वर्ष के भीतर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा एवं विमान सेवाओं के चालू कर देने की व्यवस्था कर देंगे।

(ख) राज्य सरकार ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि भूमि बिना लागत के उपलब्ध की जायेगी।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल राजनीतिक पीड़ितों के लिए गृह

1824. श्री को० सूर्य नारायण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनातिक पीड़ितों के लिए एक गृह स्थापित करने का विचार किया है और इस प्रयोजन के लिए उसने एक इमारत भी ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): पश्चिम बंगाल सरकार ने 60 वृद्ध तथा दुर्बल राजनीतिक पीड़ितों के जीवन-निर्वाह तथा आवास की व्यवस्था के लिए एक गृह की स्थापना हेतु एक योजना स्वीकृत की है जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में 1.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन के लिए एक भवन भी अधिग्रहण कर लिया गया है।

Anand Marg

1825. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of Anand Marg was held in Sitamarhi in District Muzaffarpur (Bihar) on the 22nd September, 1968;

(b) whether it is also a fact that leaflets with the caption "Exposure of Anand Marg" were distributed on the said occasion;

(c) if so, whether the procession of Anand Marg was provoked thereby and they attacked the public in the market;

(d) if so, the number of people injured as a result thereof;

(e) whether Government have taken any action against the Anand Marg is who participated in the attack, and if so, the nature thereof; and

(f) the details regarding the leafle with the caption 'exposure of Anand Marg' ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (f): Facts are being ascertained from the State Government.

Arrest of M. Ps. During Strike by Central Government Employees on 19.9.1968

1826. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament were also arrested in connection with the one day's token strike by the Central Government employees on the 19th September, 1968;

(b) is so, their names and the sections under which they were arrested,

(c) whether cases are still pending against them;

(d) if so, whether Government propose to withdraw those cases; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e): A statement is laid on the table of the House.

Statement

No Membe s of Parliament were arrested in Madras, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh, Mysore, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, and in the Union Territories of Manipur, Andaman and Nicobar Islands, Goa, Chandigarh, Himachal Pradesb, Tripura and Pondicherry.

2. In B har, Shri Ramavtar Shastri was arrested on September, 19 for causing obstruction to willing workers in joining their duties in the locoshed at Khagaul Danapur and for violating prohibitory orders under section 144 Cr. P. C. The arrest was made under sections 341 and 188. I. P. C. and Sections 4 & 5 of the Essential Supplies Maintenance Order, 1968. The case is still under investigation.

3. In maharashtra Shri S. M. Joshi was detained on September, 17, 1968 for defiance of an order issued by the Commissioner of Police, Bombay, under section 37 of the Bombay Police Act. He was, however, released on the same day.

4. In Delhi, Shri Dattopant Thengari, Member of the Rajya Sabha was arrested under section 188 IPC and section 4 of the Essential Services Maintenance Ordinance, 1968, The case is pending trial.

5. In Uttar Pradesh, Shri S. M. Banerjee, was arrested under section 188 IPC at Kanpur. The case is pending trial.

6. There is no proposal at present for advising the State Governments to withdraw these cases.

चार्टर उड़ानें

1827. श्री बाबू राव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से अब तक प्रति वर्ष भारत में आने के लिये कितनी चार्टर उड़ानों की अनुमति दी गई है और ये विमान किन-किन देशों से आये हैं तथा अनुमानतः उनमें कितने यात्री आये हैं;

(ख) इन चार्टर उड़ानों के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) चार्टर उड़ानों के नियमों में ढील देने के वास्तविक कारण क्या हैं तथा इससे हमारे देश को क्या लाभ हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन के महानिदेशक ने 1966 से निम्नलिखित विदेशी चार्टर उड़ानों को भारत में यात्री उतारने की अनुमति दी :-

(i) 1966 में 81 उड़ानें जिनमें 1789 यात्री लाये गये ।

(ii) 1967 में 70 उड़ानें जिनमें 4028 यात्री लाये गये ।

(iii) 1968 में, अब तक, 101 उड़ानें जिनमें 5531 यात्री लाये गये ।

ये उड़ानें यू०एस०ए०, यू०के० यूरोप, यू०एस०एस०आर०, मध्य पूर्व, अरब देशों, सुदूर पूर्व और भारत के पड़ौसी देशों जैसे अफगानिस्तान, श्री लंका, नेपाल और बर्मा से भारत आयीं ।

(ख) इन उड़ानों से इंडियन एयरलाइन्स के व्यवसाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन चार्टर उड़ानों को केवल चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही उतरने की अनुमति दी गई है, भारत में अन्य केन्द्रों पर नहीं जहां के लिये इंडियन एयरलाइन्स ही सेवायें परिचालित करती है ।

(ग) यह छूट भारत के लिये पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिये दी जाती है, ताकि इससे देश की विदेशी मुद्रा उपार्जन की वृद्धि हो सके । एयर इंडिया से परामर्श किये बगैर उन देशों से चार्टर उड़ानों की अनुमति नहीं दी जाती है जहां एयर इंडिया सेवाएं परिचालित करती हैं ।

Labour Unrest in West Bengal

1828. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have received reports of the plans by extremists among the communists (Naxalites) to create labour unrest in West Bengal; and

(b) if so, the steps taken to maintain law and order ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Sir.

D

बम्बई-कोचीन विमान सेवा

1829. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्ज की बम्बई से कोचीन और कोचीन से बम्बई की विमान उड़ान 25 सितम्बर, 1968 को रद्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) आरक्षित विमान चालकों की सेवाओं को प्राप्त करने का प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बम्बई और कोचीन के बीच होने वाली तीन अनुसूचित उड़ानों में से, एक प्रातः की उड़ान समय पर चलाई गई तथा अपराह्ण की दो उड़ानें रद्द कर दी गयीं ।

(ख) अपराह्ण की पहली उड़ान को चलाने वाले कमाण्डर ने छुट्टी ले ली तथा दूसरे ने बीमारी की रिपोर्ट भेज दी ।

(ग) आपाती (स्टैंड बाई) कार्मिकों की सेवाओं का प्रयोग करने का प्रबन्ध किया गया परन्तु वे उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि मूल कमान्डर के बीमार होने की रिपोर्ट आ जाने के कारण प्रातः के आपाती कमान्डर को प्रातः की उड़ान परिचालित करने के काम में लाया जा चुका था । दूसरे आपाती कमान्डर की भी बीमारी की रिपोर्ट आ गई । अन्य विमान-चालकों को, जो कि आपाती ड्यूटी पर नहीं थे, प्राप्त करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हुए ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ द्वारा आम हड़ताल

1830. **श्री सीताराम केसरी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उत्तर प्रदेश माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ ने 1 दिसम्बर, 1968 को आम हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय को, कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, लखनऊ द्वारा भेषजों का विकास

1831. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था लखनऊ ने हाल ही में तीन नई औषधियां तैयार की हैं;

(ख) क्या उनका चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और क्या उनका वाणिज्यिक पैमाने पर निर्माण करने की व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, केन्द्रीय भेजष अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने निम्नलिखित तीन शक्तिशाली औषधियां विकसित की हैं:-

(1) अवटु विषाक्तता के लिये प्रति-थाइटाइड मिश्रण (1. आइसोप्रोपिल-इमिडेजोलीडिन 2-थियोन) ।

(2) सोरालेन-वाइटिलिगो के लिए ।

(3) हेयाटिन मैथियोडाइड--एक पेशीतंत्रिका-अवरोधक ।

(ख) औषधियों के अभी विभिन्न अस्पतालों में नियंत्रित रोग परीक्षण किए जा रहे हैं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेल कूद कांग्रेस

1832. श्री रा० कृ० सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल कूद कांग्रेस आयोजित करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह कांग्रेस संभवतः किन तारीखों को होगी और किस स्थान पर होगी ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Journalists Wounded on 19th September, 1968

1833. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) the number of Journalists wounded in Delhi during the token strike of 19th September, 1968;

(b) whether Government have given some monetary assistance to these journalists;

(c) if so, the amount of assistance given to each of the said journalists; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No reports regarding any injuries suffered by any journalists were made to the police. However, the Deputy Commissioner, Delhi, who was asked to make inquiries into the happenings in and around Indraprastha Bhavan on September 19, 1968 has reported that 3 journalists who had received injuries in connection with the incidents in the Indraprastha Estate on September 19, 1968 appeared before him. Besides, one another journalist is also reported to have sustained injuries.

(b) to (d): Government regret that some of the journalists covering the happenings in the Indraprastha Bhavan were not treated properly by the police. Government have sanctioned exgratia grants for these who had received injuries in connection with the incidents in the Y-building of the Indraprastha Estate on September 19, 1968. Action to disburse the amounts sanctioned is being taken by the Delhi Administration.

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

1834. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :**
श्री गाडिलिगन गौड़ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकें 11 तथा 12 अक्टूबर, 1968 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में बोर्ड द्वारा क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार का उन सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने का विचार है और यदि नहीं, तो सरकार का किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बैठक के संकल्प संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2279/68]**

(ग) संकल्पों को राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है, जो कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकांशतः जिम्मेदार हैं । वे प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिन पर केन्द्र द्वारा कार्रवाई करना आवश्यक है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा । भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में भाग लेने वाले आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर लगाई गई आयु सम्बन्धी पाबन्दी

1835. **श्री अनिरूद्धन :**
श्री प० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आरक्षित पदों के लिये परीक्षाओं में भाग लेने के हेतु क्या आयु सीमा रखी गई है;

(ख) इन परीक्षाओं में बैठने के लिये दी गई रियायतों से वास्तव में कितने प्रतिशत आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि आयु-सीमा पर प्रतिबन्ध के कारण अधिकांश आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी इन परीक्षाओं में बैठ सकने के अवसर से वंचित हो गये हैं; और

(घ) क्या इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की पात्रता के लिये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सरकार आयु-सीमा बढ़ायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि (सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त / अल्प अवधि कमीशन प्राप्त अधिकारी) परीक्षा 1966 और 1967 के मामले में प्रत्याशी द्वारा कमीशन-पूर्व का प्रशिक्षण में जाने के समय 24 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी अर्थात कमीशन प्राप्त किया था परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में कुछ छूट थी। 1968 की परीक्षा के लिये भी यह आयु निर्धारित थी। परन्तु उस उम्मीदवार के मामले में जो आपात कमीशन। अल्प सेवा कमीशन में आने से पूर्व इस योग्यता के लिये पढ़ रहा था परन्तु इस सेवा में शामिल होने पर उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी के बाद के उस निर्धारित तिथि तक 19 वर्ष से 24 वर्ष तक की छूट थी।

(ख) मोटे तौर पर स्थिति इस प्रकार है—

(1) 31-10-1968 तक आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी सेवा मुक्त किये गये 3048

31-10-1968 तक अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी सेवा मुक्त किये गये 14

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि (आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन अधिकारी) परीक्षा	1966	1967	1968
	342	393	490
उक्त परीक्षा के आधार पर सिफारिश की जाने वाले अधिकारी	26	59	अभी परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ।
भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी एक तथा दो में वास्तव में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या	21	58	अभी प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिकतम आयु इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि जिन्होंने आपात स्थिति सशस्त्र सेवाओं में सेवा पाने पर सामान्य अवसर खो दिया था, उन्हें सेवा मुक्त होने पर परीक्षा के लिये योग्य बना दिया जाये। अतः यह कहना ठीक नहीं कि बड़ी संख्या में आपात कमीशन प्राप्त। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को परीक्षा में बैठने की शर्तों से अवसर नहीं मिला।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में तैनात सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस

1836. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम में तैनात सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस बल के चार सदस्य बहुत से हथियार तथा गोलाबारूद के साथ फरार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के इन कर्मचारियों के फरार हो जाने के बाद गुम पाये गये हथियार तथा गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गोलाबारूद को बरामद करने तथा अपराधियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् । 9 अक्तूबर, 1968 को त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के शिविर से एक हेड कांस्टेबल तथा तीन कांस्टेबल निम्नलिखित हथियार तथा गोला बारूद के साथ फरार हो गये थे :—

स्टेनगन	–	2
स्टेनगन की मैगजीनें	–	8
स्टेनगन पूरक (फिलर)	–	2
रिवाल्वर	–	2
स्टेन गोलाबारूद	–	420 चक्र
रिवाल्वर गोलाबारूद	–	136 चक्र
हथगोले	–	5
डिटोनेटर	–	6

(ग) भाग जाने के बारे में विभिन्न राज्यों के सिविल और रेलवे पुलिस अधिकारियों को तत्काल सतर्क कर दिया गया था । फलतः 14 अक्तूबर, 1968 को उनमें से तीन को ग्वालियर में रोका गया और फलतः मुठभेड़ में, जो उनके तथा मध्य प्रदेश पुलिस के बीच हुई, फरार व्यक्तियों में से दो मारे गये और एक गिरफ्तार कर लिया गया । चौथा फरार व्यक्ति भी बाद में 24 अक्तूबर, 1968 को पकड़ लिया गया । सभी हथियार तथा थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर सब गोलाबारूद बरामद कर लिया गया है ।

Employees working at Calcutta Port

1838. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the World Bank had examined the financial position of the Calcutta Port with a view to develop it further;

(b) whether they found that the number of employees there was more than it was required and that was the reason for its running at a loss;

(c) whether it is a fact that the number of employees at Singapore Port is one sixth in comparison to the number of employees at the Calcutta Port whereas the cargo handled at both the ports is almost the same: and

(d) whether the number of employees at the Calcutta Port is proposed to be curtailed so that assistance could be obtained for the development of the Port ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. The World Bank had examined inter-alia the financial position of the Calcutta Port before agreeing to give two loans for meeting the foreign exchange component of the second and third Five Year Plan Projects. The Bank also sends a mission for inspection every year. This Team reports direct to World Bank on various matters concerning the port such as stage of execution of the projects financed in full or in part out of World Bank Loan, Staff strength, labour situation, operational efficiency, state of finances with reference to level of expenditure and earnings forecasts based on traffic trends.

(b) The Calcutta Port Commissioners are not aware whether the World Bank has come to a positive conclusion about the number of employees of that Port being more than required and whether that is the reason why they have run into deficit.

(c) It is understood that number of staff employed at Singapore including stevedore labour is 12,500 and that Port handles about 30 million tonnes of cargo annually, while at Calcutta Port the total number of employees including stevedores are 59,000 and the traffic handled is only about a third of that quantity. It has been possible for Singapore Port to manage with a smaller establishment due to the following factors:-

(1) Bulk handling of Gypsum, Clinkers, Wheat, latex, palm oil, cocoanut oil at installations operated by private parties.

(2) Greater use made of mechanical appliances.

(3) Cargoes being handled in unit loads whenever necessary.

(4) Higher labour productivity.

(d) The number of staff employed by the Calcutta Port Commissioners is about 42,000. It is possible that there is some scope for reducing the strength as the traffic has not grown in recent years. However, the scope for effecting economy in establishment without resorting to large scale retrenchment is limited. Steps are being taken by the Port Commissioners to identify surplus staff and utilise them in other alternative jobs. This is one of the steps taken by the Port Commissioners to improve the finances of the Calcutta Port.

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1839. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पुलिस कर्मचारियों द्वारा लोगों को धमकियां दी जाने, डराये जाने और तंग किये जाने की किन्हीं कथित कार्यवाहियों की सूचना सरकार को मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): पंजाब सरकार से सूचना मालूम की जा रही है प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Assistance for Development of Tourism in Nepal

1840. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Government propose to give assistance to Nepal for the development of tourism; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b): Co-operation in tourist promotion, publicity and improving facilities for pilgrims traffic between the two countries is under discussion with the Government of Nepal.

दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनायें

1841. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनायें बहुत बढ़ गई हैं; और महिलाओं के लिये अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में वर्तमान सजा से कड़ी सजा देने के लिये कानून में संशोधन करने के औचित्य पर विचार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार

1842. डा० रानेन सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करने का निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है अथवा नहीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन के निदेशमद में था अथवा सरकार ने हाल में आयोग से इस प्रश्न पर विचार करने को कहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग पहले से उन बातों को सूचित नहीं करता जिसकी वह जांच करना चाहता है । उसके कार्य की शर्तें अत्यधिक व्यापक हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार का विषय भी शामिल है । किन्तु सरकार को इस विषय में आयोग की विचार-धारा की, यदि कोई हो, जानकारी नहीं है ।

एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज के पास विदेशी पारपत्रों का होना

1843. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पुलिस की सुरक्षा नियन्त्रण शाखा ने सूचित किया है कि एन० एस० हून नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज के पास जो कि पश्चिमी पाकिस्तान का राष्ट्रिक है, ब्रिटेन, कनाडा तथा कई अन्य देशों के पारपत्र हैं;

(ख) क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में बहुत से मामले दर्ज हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को वित्त मंत्रालय ने आयातित 'लग्जरी कारों' की तस्करी के मामलों को वापस लेने की सलाह दी हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को सूचित किया है कि उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता तथा नागरिकता संदिग्ध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को अनुदान

1844. श्री जों० ना० हजारिका : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को जिसकी नींव पत्थर उन्होंने रखा था, अब तक कोई अनुदान अथवा सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई है और किस मद के अन्तर्गत;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सीधे अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह अनुदान कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) विश्वविद्यालय को कुल कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) अब तक जनता ने कितना धन दान में दिया है तथा राज्य सरकार ने कितनी राशि दी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31–3–1968 तक विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये थे :—

	रुपये
1 सेमिनार तथा संगोष्ठियां	15,611
2. अनियत अनुदान	13,500
3. पुस्तकालय की पुस्तकें	80,000
4. अनुसंधान कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता	500
5. ग्रीष्म कालीन संस्थान	40,000
6. कर्मचारी	85,000
7. विज्ञान विभाग के लिये उपस्कर	50,000
जोड़	2,84,611

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : कुल आवश्यक निधि तथा जनता द्वारा दिया गया दान और राज्य सरकार द्वारा दी गई रकम से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1966-67 से 1970-71 की अवधि में 49.68 लाख रुपये के कार्यक्रम स्वीकार कर लिये हैं । निधियों की उपलब्धता को देखते हुए, आयोग ने विश्वविद्यालय से ऐसे प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है, जिनको उपर्युक्त के 70 प्रतिशत के अन्दर कार्यान्वित किया जा सकता है ।

Beating up of Harijans

1845. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Scheduled Caste people of villages Sunhuli and Sunhula were beaten up when their votes in Satnyar Polling booth in Baberu Assembly Constituency (Distt. Banda, U. P.) during the last General Elections and the report of the matter was registered in the police station; and

(b) whether concrete steps have been taken to check recurrence of such incidents in the said assembly Constituency during the forthcoming mid-term elections ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Necessary preventive measures will be taken by the Concerned authorities to prevent recurrence of such incidents.

Statement

According to information received from the State Government on 18th February, 1967 at 9.10 A. M. a report under section 355/323/504/506 I. P. C. was registered at Police Station Baberi in district Banda on behalf of Dulua, Dalku and Tejva, Harijan residents of village Sonuhuli against Jagmohan, Manmohan, Balgovind and Ramsharan Kurmies of the same village, alleging that they had been beaten by the Kurmies "on account of casting votes by them in the last general elections". On the same day at 8.50 A. M. a report had been lodged in the Police Station by Ramsharan u/s 352/504/506 IPC against Dulua, Pehlu, Kalku and Tajva alleging destruction of their crops by Harijans etc. The offences alleged in both the reports being non-cognisable, the Police did not investigate the cases.

Cargo Ships from Rumania

1846. Shri Yashwant Singh :
Shri Lobo Prabhu :
Shri Ram Avtar Shastri :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to purchase some cargo ships from Rumania;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the obstacles in the way of India in building such ships indigenously ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b): The acquisition of two ships, aggregating about 5,600 GRT from Rumania has already been approved by Government. In addition, an agreement in principle has been recently reached with the Rumanian authorities for the purchase of ten coastal coal carries of about 14,000 DWT each between 1971 and 1974 and the exploration of the possibility of obtaining six general cargo vessels of about 14,000 DWT each between 1973 and 1975. However, the details regarding the Price, specifications and other relevant terms have yet to be negotiated and finalised between the Indian shipowners and the Rumanian Shipyard before the Government sanctions the purchase.

(c): The Hindustan Shipyard Limited which is at present building ships of 12,500 DWT, class is also capable of building ships of 14,500 DWT class, The Yard is currently fully booked with orders for ships of 12,500 DWT class. However, the Shipyard is considering proposals for building ships of 14,500 DWT class for the Shipping Corporation of India.

पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के समय सेवाओं का पुनर्नियतन

1847. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य सरकार के कर्मचारियों से उनमें से किसी एक राज्य के लिये अपनी सेवाओं के पुनर्नियतन के लिये अपनी इच्छा बताने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वास्थ्य के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के तबादले को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक कर्मचारियों का जिनका नाम पुनर्नियतन के लिये प्राथमिकता सूची में नहीं था, उनकी इच्छा के अनुसार तबादला किया जा रहा है और तबादले के लिये नये मामलों पर भी विचार किया जा रहा है जब कि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामले अब भी अनिर्णीत पड़े हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे कर्मचारियों के मामले शीघ्र निपटाने के लिये उनके मंत्रालय को भी अभ्यावेदन भेजे गये हैं और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भूतपूर्व पंजाब के पुनर्गठन के समय कर्मचारियों के अस्थायी नियतन के लिये कोई विकल्प नहीं माँगे गये थे। बाद में प्रभावित कर्मचारियों को नियतन के परिवर्तन के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था।

(ख), (ग) और (घ) : उत्तरवर्ती एककों में रिक्तियों के उपलब्ध होने पर तथा प्रत्येक ऐसे एकक में सन्तुलित संवर्ग बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए व्यक्तिगत कठिनाइयों के मामलों में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य भी शामिल हैं, नियतन में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है। पृथक-पृथक मामले पर समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(ङ) 57 विभागों में से जो कि पुनर्गठन से प्रभावित हैं, 52 विभागों में प्रभावित कर्मचारियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात नियतन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष विभागों के नियतन को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्राथमिकता आधार पर की जा रही है।

आसाम में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ

1848. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा आसाम के अनेक जिलों में, सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमा पार करके आ जाने तथा डाका डालने, लूटने, लोगों की हत्या करने, पशुओं को उठा ले जाने और फसलों को बलपूर्वक काट ले जाने की घटनायें बहुत अधिक बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान्। इसके विपरीत सारी सीमा पर सीमा सुरक्षा दल द्वारा निगरानी रखने के परिणाम-स्वरूप ऐसी घटनाओं में कमी हुई है।

कलकत्ता में फुटबाल स्टेडियम का निर्माण

1849. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में एक फुटबाल स्टेडियम बनाने के मामले में कोई पक्का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सा स्थान चुना गया है तथा कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) यह कब तक उपयोग के लिये तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में एक फुटबाल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय ने 22.772 एकड़ भूमि का एक प्लाट नियत किया था किंतु बाद में, कलकत्ता महानगर संगठन ने यह बताया कि उक्त जमीन के एक भाग की जरूरत प्रस्तावित दूसरे हावड़ा पुल तक के रास्तों के लिए पड़ेगी। बकाया क्षेत्र को स्टेडियम के लिए अपर्याप्त समझा गया। एक दूसरा क्षेत्र, जिसके चारों ओर मेयो, डफरिन और आउटराम मार्ग हैं, उपयुक्त नहीं पाया गया। इसलिए, राज्य सरकार स्टेडियम के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करने की कोशिश कर रही है।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों नागालैंड तथा मिजो जिलों में ईसाई

1850. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड तथा मिजो जिलों सहित आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष 1947, 1951, 1961 तथा 1967 में ईसाइयों की जनसंख्या कितनी थी;

(ख) उक्त वर्षों के बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के ईसाइयों की जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या उनकी जनसंख्या वृद्धि में कोई अनुपात से अधिक कमी अथवा वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1951 और 1961 की जनगणना के अनुसार आसाम के पर्वतीय जिलों में मीजो और नागालैंड जिले समेत ईसाइयों की संख्या इस प्रकार है :—

1951	436,045
1961	724,557

1947 और 1967 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 1951 और 1961 के बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के समान आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राज्य	1951	1961
बिहार	415,548	502,195
मध्य प्रदेश	81,004	188,314
आंध्र प्रदेश	1,232,621	1,428,729
राजस्थान	11,421	22,864
गुजरात	78,061	91,028

1947 और 1957 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) 1951—61 दशक के दौरान गुजरात राज्य के सिवाय उपरोक्त सभी क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या के मुकाबले में ईसाइयों की जनसंख्या ने तेजी से वृद्धि दरसाई है । गुजरात में ईसाइयों की जनसंख्या में 16.61 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि सामान्य जनसंख्या में यह वृद्धि 26.89 प्रतिशत हुई है । ऐसा वृद्धियों के कारण का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

शक्तिशाली विमान मार्ग निगरानी राडार व्यवस्थायें

1851. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम, सान्ताक्रूज, दमदम और मीनाम्बकम के चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिक्चालक उपकरणों को सुदृढ़ करने की योजना के अंग के रूप में इन हवाई अड्डों पर चार शक्तिशाली विमान मार्ग निगरानी राडार व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसकी विशेष रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस प्रस्ताव को, विशेष कर उपकरण प्राप्त करने और उसे लगाने के सन्दर्भ में कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राडारों का प्रयोग विमानों के हवाई मार्गों से उड़ते समय उनके हवाई अड्डों से 200 नाटिकल मील की दूरी तक मार्ग निर्देशन एवं नियन्त्रण के लिये किया जायेगा ।

(ग) राडार-स्थापनाओं के लिये स्थान चुन लिये गये हैं । दो सेटों के लिये उपस्कर प्राप्त हो चुका है, तथा अवशिष्ट दो सेटों के लिये उपस्कर के अगले वर्ष मिल जाने की आशा है । राडार को स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि प्राप्त करने, बिल्डिंग बनाने, तथा बिजली सप्लाई की व्यवस्था के बारे में कार्यवाही चालू है ।

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप

1852. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता खुफिया पुलिस ने कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल सरकार के गृह-कार्य विभाग के एक कर्मचारी को इस आरोप पर गिरफ्तार किया था कि वह कलकत्ता में रहने वाले चीनी लोगों के एक गिरोह की पारपत्र के मामले में सहायता करता था ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला जांचाधीन है ।

सरकारी नौकरियों में अल्प संख्यक समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व

1853. श्री सिद्ध्या :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने देश में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में हाल ही में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारी काफी संख्या में हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ; और

(ङ) सरकारी नौकरियों के मामले में अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार ने क्या नये उपाय अपनाये हैं

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर 19 मई, 1968 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया । गृह मन्त्री जी द्वारा बतलाया गया कि सेवाओं में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिये आरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है । आवश्यकता इस बात का पता लगाने की थी कि कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को हानि तो नहीं पहुँचाई जा जा रही है तथा यह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उचित अवसर प्रदान किये जाते हैं । इस पर सहमति प्रकट की गई कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये तथा सम्बन्धित सांविधानिक उपबन्धों का पालन करते हुए सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिये सभी सम्भव उपाय करने चाहिये ।

भारत में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

1854. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं तथा उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं तथा कितने गैर-तकनीकी कार्य करते हैं ;

(ग) क्या इन सभी वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को उपयुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्य पर लगाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुन सेन) : (क) ऐसा अनुमान है कि देश में 5 लाख से ऊपर न्यूनतम डिग्रीधारी वैज्ञानिक हैं और डिग्री अथवा डिप्लोमा धारी इंजीनियरों की संख्या 3 लाख से ऊपर है ।

(ख) 30 जून, 1968 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में न्यूनतम स्नातक डिग्री धारी 32,816 वैज्ञानिक और डिप्लोमा अथवा डिग्री धारी 37,719 इंजीनियर दर्ज थे । गैर-तकनीकी कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ): देश की पांच वर्षीय विकास आयोजनाओं में सभी को और अधिक रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था है, जिनमें वैज्ञानिक तथा शिल्प वैज्ञानिक भी शामिल हैं ।

Administrative Reforms Commission

1855. Shri Ram Charan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has recommended that the distinction between the gazetted and non-gazetted employees should

be removed as has been done in other democratic countries of the world and that there should be various grades only in the services of the Government of India ; and

(b) if so, whether Government do not propose to implement this recommendation due to the pressure from high officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Administartive Reforms Commission has not yet sent to Government its report on personnel administration.

(b) Does not arise.

Assistants and Officers in Central Secretariat Service.

1856. Shri Ram Charan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the ratio between the Gazetted Officers and Assistants of the Gentral Secretariat Service in the Central Secretariat Service in the Central Secretariat as it was in August, 1947 and in August, 1968;

(b) whether Government propose to abolish the gazetted posts going to fall vacant in future and which are at present lying vacant and convert them into non-gazetted posts to bring the present ratio down to the level of 1947, and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Central Secretariat Service in its present form was constituted only in November, 1951 and, therefore, the information can be supplied only from after the date of constitution. This is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Government have no such proposal under consideration.

(c) Posts of gazetted officers and Assistants of the Central Secretariat Services have been created from time to time according to the administrative requirements of the Government. The authorised permanent strength of various grades in the Central Secretariat Service is also reviewed periodically in the light of the requirements of the various Ministries and Departments participating in the Central Secretariat Service Scheme.

Difficulty for Getting Tickets for ravel in U. P. Roadways Buses

1857. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a great inconvenience is caused to the public by the U. P. Roadways as the people have to stand in queue for hours to purchase ticket for travel to Delhi from places like Bulandshahr, where there is no direct Rail link and the people have to depend exclusively on buses ;

(b) if so, whether Government propose to permit plying private buses on all the routes of U. P. Roadways as is being done in Punjab and Haryana; and

(c) if not, the reasons therefor and the action proposed to be taken to remove the inconvenience to the public ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) : The required information is being collected from the concerned State Government and will be laid on the table of the Sabha, when received.

Improvement in Service Conditions of Employees

1858. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that all the persons who participated in the one-day token strike by Government employees on the 19th September, 1968 were taken back on the condition that they would be kept on probation for 5 years and that this condition has provided an opportunity to the officers to harass their staff ; and

(b) if so, whether in order to exercise control over officers, Government propose to impose the condition in regard to writing of confidential or Special reports that only the short-comings of employees should be entered with proof and not the personal views of the officer about the employee ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Work in Hindi in Education Ministry

1859. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the arrangements made by his Ministry, in view of the Official Languages, Act and the relevant orders issued by the Ministry of Home Affairs, for the following purposes :

(i) to publish in Hindi all the publications brought out by the Ministry of Education;

(ii) to maintain the Service Books of Class IV employees in Hindi;

(iii) to seek advance allocation from the Ministry of Finance for additional Translators and Typewriters in view of the increased demand for translation work;

(iv) to teach Hindi to all the officers and employees, under the Hindi Teaching Scheme, whose age was less than 45 years on the 1st January, 1961 ;

(v) to take work in Hindi from Hindi trained persons;

(vi) to remove the anti-Hindi atmosphere in the Ministry of Education and to appoint Hindi Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries in order to run the Hindi implementation scheme and Hindi Teaching Scheme; and

(b) the dates from which arrangements were made for the above and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The various arrangements made by the Ministry of Education in pursuance of the provisions of the Official Languages Act and the relevant orders issued by the Ministry of Home Affairs are :

(i) A Publication Unit with adequate staff had already been act up in the Ministry, which inter-alia arranges for bringing out the publications of the Ministry in Hindi.

(ii) Requisition has been sent to the Manager, Central Government Forms Stores, Calcutta, for the supply of bilingual forms of Service Books, which are awaited. Service Books of Class IV employees will be maintained in Hindi when these forms are received from the Manager.

(iii) The matter has been taken up with the Ministry of Finance for provision of Hindi Translators, Typists and typewriters.

(iv) A phased programme for the purpose is in the last stage of finalisation and the training of the employees of the Ministry will be arranged in accordance with it.

(v) Instructions have since been issued that all members of staff having working knowledge of Hindi may do their work in Hindi and the persons concerned should not be asked to provide the English version thereof.

(vi) There is no anit-Hindi atmosphere in the Ministry. Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary in-charge of the Hindi Teaching Scheme etc. in the Ministry have working knowledge of Hindi.

(b) While, the request for obtaining bilingual forms from the Manager, Central Government Forms Stores, Calcutta, was sent in March, 1968, other arrangements were made subsequent to the issue of Home Ministry orders.

पब्लिक स्कूलों को सहायता

1860. श्री जुगल मंडल : क्या शिक्षा मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों को सहायता के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) नीचे बताये गये प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित दो पब्लिक स्कूलों को वित्तीय सहायता मंजूर की है :—

(1) **कालविन तालुकदार कालेज,** लखनऊ, को "देश में अच्छे आवासी विद्यालयों को सुदृढ़ करने" की योजना के अन्तर्गत छात्रावास तथा शिक्षकों के क्वाटरों के निर्माण के लिए जुलाई, 1965 में 1,34,800/-रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था । जनवरी, 1966 में 30,000/-रुपए का अन्य अनुदान "स्वैच्छिक शिक्षा-संस्थाओं को सहायता" की योजना के अन्तर्गत विज्ञान-प्रयोगशाला के निर्माणार्थ स्वीकृत किया गया था ।

(2) **मेयो कालेज, अजमेर,** को 1870 की पुरानी मांग के भुगतान के रूप में 1966 में 1,70,000/-रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में हिल्टन होटल

1861. श्री र० बरुआ : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की फर्म मेसर्स शिव सागर एस्टेट्स द्वारा अमरीका की हिल्टन होटल कारपोरेशन के सहयोग से बम्बई में एक होटल बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है और यदि कोई निर्णय नहीं किया गया, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): सरकार ने इस पार्टी को सूचित कर दिया था कि उनके द्वारा प्रस्तावित की गयी सहयोग की शर्तें मान्य नहीं थीं। इस पार्टी से एक और पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों का ब्रिटेन को प्रव्रजन

1862. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष लगभग 2,000 वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्ति भारत छोड़ कर ब्रिटेन जा रहे हैं; जैसाकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रव्रजन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) युनाइटेड किंगडम के रोजगार तथा उत्पादकता विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 2,000 वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी प्रत्येक वर्ष युनाइटेड किंगडम में रोजगार की तलाश में जाते हैं। तथापि, वे सभी उच्च योग्यता प्राप्त नहीं हैं।

(ख) देश की रोजगार क्षमता को सुधारने से संबंधित उपाय सरकार के निरन्तर विचाराधीन हैं।

प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल

1863. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 मैसूर, भोपाल, अजमेर तथा भुवनेश्वर स्थित प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूलों में से प्रत्येक स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में कितने छात्र दाखिल किये गये ;

(ख) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र में से कितने छात्रों ने ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा दी ;

(ग) प्रत्येक केन्द्र में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए ;

(घ) क्या परीक्षाफल सन्तोषजनक रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे और परीक्षाफल को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख)	मैसूर		भोपाल		अजमेर		भुवनेश्वर	
	66–67	67–68	66–67	67–68	66–67	67–68	66–67	67–68
	93	72	—	37	96	129	18	51
(ग)	28%	58%	—	29.7%	62.8%	55%	78%	92%

(घ) और (ङ)	असन्तोषजनक	मामूली सन्तोषजनक	सन्तोषजनक
1967–68 के परिणामों से पर्याप्त सुधार प्रतीत होता है। इन प्रयोजन के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : अध्यापकों के लिए वर्कशापों का आयोजन, आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार पिछड़े बच्चों की सुधारात्मक शिक्षा, स्कूल टाइम-टेबिल का सुधार आदि	सुधारात्मक उपायों के रूप में, अध्ययन दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। पाठ्य चर्या संबंधी कार्य का भलीभांति आयोजन करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।	सुधार के लिए पाठ्य-क्रमों का पुनरीक्षण निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न उपाय विचाराधीन हैं।	

प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल, मैसूर

1864. श्री सिद्दय्या : क्या शिक्षा मंत्री प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल, मैसूर के बारे में 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और : (ख) सूचना एकत्र कर ली गई है और अनुपूरक विवरण संख्या 1 के क्रम संख्या 12 के साथ 12 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर रख दी गयी है, जिसमें चौथी लोक सभा, 1968 के पांचवें सत्र के दौरान दिये गये आश्वासन पर की गई कार्रवाई दिखाई गई है ।

महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी संस्मरण लेख

1865. श्री बसुमतारी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी द्वारा महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह के अंग के रूप में रोमें रोलां की डायरी से, जिसमें वर्ष 1920 से लेखक की मृत्यु तक महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी संस्मरण दर्ज हैं, उन संस्मरणों के अंशों का प्रकाशन होना था ;

(ख) क्या यह पुस्तक प्रकाशित हो गई है ; और

(ग) क्या उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । मूल फ्रेंच पुस्तक से अनुदान बंगला तथा हिन्दी संस्मरण प्रकाशित किए जा रहे हैं ।

(ख) बंगला संस्करण प्रेस में है और हिन्दी संस्करण तैयार किया जा रहा है ।

(ग) पुस्तक के प्रकाशित होते ही वह जनता के लिए समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो सकेगी ।

Scientific and Technical Terminology Commission

1866. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to complete the work of prescribing terminology for all subjects and the publication thereof by the Scientific and Technical Terminology Commission by the Ist Januray, 1970;

(b) whether it is also a fact that the new Chairman of the Commission had himself taken over the responsibility of Completing the said work by that date at the time of his taking over the charge of his post as a Chairman;

(c) if so, the number of new words finalised so far since June, 1968; and

(d) whether with this speed the work of prescribing terminology is likely to be completed by the afore-said date ?

The Minister of State for Education (Shri Sher Singh): (a)and(b): Yes, Sir. It has been decided in consultation with the Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology that every endeavour should be made to complete the evolution of terminology by 1.1.1970.

(c) 31, 591 terms have been finalised upto October, 1968.

(d) Every effort is being made to complete the terminological work of the Commission by Ist January, 1970.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टर्की के जरिये पाकिस्तान को अमरीकी पैटन टैंकों का बेचा जाना

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Defence on the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Sale of 100 American Patton Tanks to Pakistan through Turkey and the consequences thereof on Indias' Defence".

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने समाचार पत्रों में यह लिखा हुआ देखा है कि अमरीका सरकार ने तुर्की को यह इजाजत दे दी है कि वह पाकिस्तान को 100 पैटन टैंक बेच सकता है। सरकार को मिली सूचना के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से यह समझौता हो चुका है कि तुर्की अमरीका से आधुनिकतम टैंक प्राप्त करेगा और उसके बदले में तुर्की पाकिस्तान को 100 पैटन टैंक देगा। सरकार ने राजनयिक रूप से यह मामला सम्बन्धित देशों के साथ ले लिया है।

सम्बन्धित देशों को यह बताया गया है कि इस प्रकार के सौदे से हमारी अपनी सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारियां काफी बढ़ जाती हैं और इस उपमहाद्वीप में शान्ति बनाए रखने में काफी कठिनाई आ जाएगी। उन्हें यह भी बताया गया है कि इन टैंकों की सप्लाई से भारत के साथ सामान्य सम्बन्धों को बनाने की दिशा में पाकिस्तान ने जो रवैया अपना रखा है वह और भी खराब हो जाएगा।

सरकार का यह विचार है कि इस प्रकार की गतिविधियों से उपमहाद्वीप में तनाव और बढ़ जाएगा और अपने देश की सुरक्षा सम्बन्धी हमारी जिम्मेवारियां और अधिक बढ़ जाएगी। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम अपनी ओर से पर्याप्त उपाय बनाए रखेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta ; In view of the fact that U.S.A. and U.S.S.R. are giving military aid including arms and tanks to Pakistan and according to the Russian estimate U.S.A. has given Arms to Pakistan of 640 Million Dollars as a result the attacking and striking power of Pakistan will go up. May I know whether Government will tell in clear terms to both military aid giving countries that it is hostile and unfriendly act on their part towards India ? In view of it we should be self dependent in defence matters. In this connection I would like to know whether the target of the production of our Vijayant tanks has been fulfilled. What was the ratio between the number of tanks which Pakistan and India had during Indo-Pak conflict. May I know whether Pakistan is purchasing Patton tanks from Italy, Belgium and Iran. Lastly, I would like to know whether in such a situation Government will reconsider their policy of nuclear deterrent and whether Government will establish diplomatic relations with Israel.

श्री स्वर्ण सिंह : विजयन्त टैंकों का निर्माण कार्यक्रमानुसार चल रहा है और कुछ विजयन्त टैंक हमारी सेवा में क्रियाशील हैं। भारत और पाकिस्तान के पास कितने-कितने टैंक

हैं, इस बात की जानकारी मैं देना नहीं चाहता । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतने टैंक है कि उनसे हम अपनी रक्षा किसी भी आक्रमण के समय कर सकते हैं । यह सच है कि पाकिस्तान इटली और वेलजियम से टैंक लेने का प्रयास कर रहा है परन्तु अभी उसे ये हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं । ईरान से पाकिस्तान द्वारा हथियार लिये जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । जहां तक सरकार की आण्विक शस्त्रास्त्र सम्बन्धी नीति है उस पर अलग से विचार किया जाना चाहिये और उस प्रश्न को टैंकों की किसी देश द्वारा खरीद से न जोड़ा जाना चाहिए ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आत्मनिर्भर होने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : आत्मनिर्भरता से तात्पर्य यह है कि जो हथियार हम अब खरीदते हैं उन्हें अपने ही देश में शीघ्रता से बनाया जाय ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : May I know whether Government have ever asked the U.S. and U.S.S.R. Governments that with what intention they are giving these weapons to Pakistan particularly when there is no danger of attack from any side to Pakistan and whether they want to maintain tention between India and Pakistan by giving military aid to Pakistan ? My second question is whether you are preparing yourselves to meet the combined attack of Pakistan and China, if suddenly they attack us ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहला प्रश्न यह है कि अमरीका और रूस पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई क्यों कर रहे हैं जबकि वह चाहते हैं कि वह भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं । हम उन्हें बता भी चुके हैं कि जब वे चाहते हैं कि दोनों देशों में शान्ति रहे तो शस्त्रों की सप्लाई क्यों की जा रही है क्योंकि इससे शांति भंग हो सकती है । इसके विपरीत वे इस सम्बन्ध में इस औचित्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि शस्त्रों की सप्लाई नहीं की जानी चाहिए । हमने उन्हें कई बार अपना दृष्टिकोण बताया है । परन्तु इन सब के बावजूद भी वे अपनी ही नीति पर अड़े हुए हैं ।

हमें अपने दोनों पड़ौसियों की ओर से खतरा है । चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिक सांठगांठ से हमारी अखंडता संकट में पड़ गयी है । इसलिए हमें अपनी प्रतिरक्षा योजनाओं बनाते समय इन सब पर ध्यान रखना पड़ेगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : शस्त्रास्त्रों के निर्माण में नवीनतम क्रांति हुई है जिसके परिणामस्वरूप पैटन टैंक अप्रचलित हो गये हैं । यूरोप के 'नाटो' देशों के पास करीब 7000 पैटन टैंक फालतू हो गए हैं । और अब वे उच्चकोटि के शस्त्रों से अपने आपको लैस कर रहे हैं । इसके लिए अब वे अपने फालतू पैटन टैंकों को बेच रहे हैं । ऐसी स्थिति में हम इनको पाकिस्तान या अन्य देशों को जाने से कैसे रोक सकते हैं । अतएव यह कहना व्यर्थ है कि पाकिस्तान को दूसरे देश टैंकों की सप्लाई कर रहे हैं ।

महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि अमरिका और रूस, जिनको हम अपना मित्र मानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शस्त्रास्त्रों की होड़ कराना चाहते हैं जिससे भारत कभी भी शक्तिशाली न बन सकें । न रूस और न अमरीका चाहते हैं कि भारत शक्तिशाली बन सके ।

आज पाकिस्तान सब देशों से शस्त्र खरीद रहा है और अपने आपको शक्तिशाली बना रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कहने का क्या तात्पर्य यह है कि हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं ? भारत पाकिस्तान से चार गुना बड़ा है अतएव पाकिस्तान के साथ सैनिक दृष्टि से संतुलन बनाये रखने के लिए भारत को भी हर दृष्टि से अपने आपको शक्तिशाली बनाना चाहिए। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहने का क्या अर्थ है कि हम पर्याप्त तैयारियां कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारी शक्ति उतनी है जितनी कि पाकिस्तान की तो यह कहना ठीक नहीं हैं। इस प्रकार आप अपने आपको और देश को धोखा दे रहे हैं दूसरे, अमरीका और रूस हमारे शत्रु देशों को शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हैं अतएव उन पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि हम दूसरे देशों, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया आदि से शस्त्रों के आयात के लिए क्या कर रहे हैं। ताकि हम अमरीका और रूस पर अधिक निर्भर न रहें।

तीसरे प्रतिरक्षा के प्रश्न पर विचार करते समय विदेशी नीति पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान और चीन मित्र हैं तो हम अपने देश की विदेश नीति के पुनर्निवारण के लिए क्या कर रहे हैं ताकि हमारे कुछ देश मित्र बन सकें और कम से कम विदेश नीति और प्रतिरक्षा में समन्वय हो सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहला प्रश्न यह है कि अगर हमारी सेना, शस्त्रास्त्र और शक्ति पाकिस्तान के बराबर है तो क्या यह हमारी ओर से पर्याप्त तैयारी है ? मैं इसको स्वीकार करता हूं कि चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा होने के कारण हमारी तैयारी पर्याप्त नहीं है। हमारे विदेशी मित्रों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य सैनिक संतुलन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हमें दो ओर से खतरा है। पाकिस्तान भी बार-बार यह कहता है कि भारत के अतिरिक्त उसकी और किसी के साथ शत्रुता नहीं है तो ऐसी स्थिति में सैनिक संतुलन का प्रश्न अवास्तविक सा लगता है। जब मैं कहता हूं कि हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं तो मेरा यह तात्पर्य नहीं होता कि हमारी सैनिक तैयारियां पाकिस्तान के बराबर है। हमें ऐसा वक्तव्य देते समय दूसरे खतरे को भी ध्यान में रखना पड़ता है। विदेशों से शस्त्रों के मंगाने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में किसी विशिष्ट देश पर निर्भर नहीं है, हमारे रास्ते में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो किसी भी देश से शस्त्रों को मंगाने पर सामने आये। इस विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सैनिक सामग्री खरीद सकते हैं।

तीसरा प्रश्न विदेश नीति से सम्बन्धित है। मेरे विचार में यह प्रश्न तब उठाया जाना चाहिए जब विदेश नीति पर चर्चा हो।

श्री बलराज मधोक : क्या रक्षा नीति और विदेशी नीति में कोई समन्वय लाने का विचार किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम प्रतिरक्षा और विदेश नीति में समन्वय बनाए हुए हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं पंजाब स्थानीय प्राधिकार (सहायता प्राप्त स्कूल) संशोधन अध्यादेश, 1968 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 23 अगस्त, 1968 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजाब के राज्यपाल द्वारा 30 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2258/68]**

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : यह अध्यादेश पंजाब स्थानीय प्राधिकार (सहायता प्राप्त स्कूल) से सम्बन्ध रखता है। संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति सितम्बर के महीने में गठित की गई थी। ये अध्यादेश तथा अन्य मामलों को सभा पटल पर रखने से पूर्व समिति के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यह मेरा आक्षेप है।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने के बाद भी यह अध्यादेश पंजाब परामर्शदात्री समिति के सलाहकार समिति के पास ले जाया जा सकता है।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ 60/एल आर ओ/67 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 60/एल० आर० ओ०/67 जो दिनांक 4 जुलाई, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967 का शुद्धि-पत्र दिया गया। **[पुस्कालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1659/68]**

(2) (एक) बंगाल विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां) संशोधन अधिनियम, 1968 राष्ट्रपति का (1968 का अधिनियम संख्या 27) की एक प्रति, जो पश्चिमी बंगाल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक

18 अक्टूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2259/68]**

(दो) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी जांच आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2260/68]**

(तीन) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 26 अक्टूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1881 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2261/68]**

सदस्य की रिहाई (श्री अर्जुन सिंह भदौरिया)

RELEASE OF MEMBER (SHRI ARJUN SINGH BHADORIA)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) इटावा से निम्नलिखित सूचना मिली है कि श्री अर्जुन सिंह भदौरिया को, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 326, 332 और 436 के अन्तर्गत अपराधों के लिये पुलिस स्टेशन, बाकेवार से 12 सितम्बर, 1968 को गिरफ्तार किया गया था, उच्च न्यायालय के दिनांक 19 नवम्बर, 1968 के आदेशों के अन्तर्गत मामला विचाराधीन रहने तक जमानत पर इस शर्त पर रिहा कर दिया गया है कि वह थाना बाकेवार क्षेत्र के किसी गांव में नहीं जायेंगे और यदि उन्हें थाना बाकेवार के क्षेत्राधिकार में पाया गया तो उनके जमानत-बांडों को जब्त कर लिया जायेगा और उन्हें अभिरक्षा में ले लिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह सूचना इतनी देर से क्यों आई है ?

अध्यक्ष महोदय : जमानत 20 तारीख को दी गई थी, माननीय सदस्य इस सभा में है .....

श्री हेम बरुआ : आज 22 तारीख है, और जमानत 20 तारीख को दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना दोपहर को मिली होगी इसलिये मैं इसे आज पढ़ सका हूँ.....

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, 25 नवम्बर 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा ।

(1) भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 के निरनुमोदन के बारे में श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा अन्य सदस्यों के संकल्प पर चर्चा । और भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1968, पर विचार करना और उसे पारित करना ।

(2) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य पर विचार ।

(3) सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा ।

(4) निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना बीमा (संशोधन) विधेयक, 1968 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1967

मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(5) बुधवार, 27 नवम्बर, 1968 को 4 बजे म० प० पर खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाने पर देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, A bill "Mayor in Council" regarding Delhi was to be introduced by the Home Ministry in this House but the same has not been introduced. As such the matter is still hanging.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, you ask your department and Minister of Parliamentary Affairs to stop the convention of discussingon no day yet named motion. The Minister of Parliamentary Affairs had accepted in the committee that 9 motions will be taken for consideration in two weeks. It was also decided that questions regarding the security of India will be taken for consideration. But he is not accepting it neither in the next week nor afterwards.

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इन सब पर चर्चा की है । वहां पहले ही आयोजना, सूखा अकाल आदि पर वादविवाद करने की स्वीकृति दी हुई है, आखिर हम इनको एक एक करके ही ले सकते हैं । आगामी सप्ताह में हमें सूखे पर चर्चा करनी है और उसके अगले सप्ताह किसी दूसरे विषय पर वादविवाद करना है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैंने पहले यह सुझाव दिया था कि सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिए समय दिया जाना चाहिये । मैंने यह भी सुझाव दिया था तूफान ग्रस्त क्षेत्रों पर भी वादविवाद करने दिया जाये, परन्तु कल ही सिंचाई मन्त्री महोदय ने केवल बाढ़ से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दिया था उन्होंने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में किए गए राहत कार्यों

के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । मेरा सुझाव है कि इस पर अलग से वादविवाद करने के बजाय इसको सूखे की स्थिति के साथ लिया जाये ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): The statement made by the Prime Minister on her tour of South America should also be discussed in the house.

श्री म० ला० सोंधी :(नई दिल्ली) ऐसी सम्भावना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पदारुढ़ होने से पूर्व वियतनाम के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हेर-फेर होंगे ऐसे समय वहां पर भारत के विचारों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । मेरा सुझाव है कि इस पर यहां चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार होना चाहिये, ऐसा करना लाभदायक होगा । अभी ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं । अगर हम मन्त्री महोदय से वियतनाम और रोडेशिया के बारे में पूछना शुरु कर दें तो वह इसका उत्तर कैसे देंगे । जहां तक श्री रंगा का सुझाव है, मुझे इस पर कुछ कहना है । कल उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने तूफान के बारे में वाद-विवाद किया । मैंने अगले दिन भी इस पर वाद विवाद होने दिया इस प्रकार निर्धारित समय दुगना हो गया था । अब हम यह देखेंगे कि तूफान के विषय को अकाल के विषय के साथ वाद विवाद के लिए मिलाया जा सकता है ।

संसद् कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : तूफान के विषय को बाढ़ के विषय के साथ वाद विवाद के लिए मिला लिया गया था । परन्तु यह सच है कि श्री रंगा उस समय उपस्थित नहीं थे । मुझे दोनों विषयों को साथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं हैं ।

बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377 RE. MOTION ON FLOOD SITUATION

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं सभा का ध्यान कल हुई घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मेरे विचार में गम्भीर है । डा० राव के प्रस्ताव और साथ ही साथ स्थानापन्न प्रस्तावों पर जब वाद-विवाद समाप्त हुआ तो इस पर मत विभाजन किया गया । श्री समर गुह का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया और यह 26 मतों के विरुद्ध 50 मतों से अस्वीकार कर दिया गया और तब बाकी स्थानापन्न प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिये गये शेष दूसरे स्थानापन्न प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव कांग्रेस दल के श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का था जिसमें सरकार को कुछ सुझाव तथा सिफारिशें की गई थी परन्तु सरकार ने इनको अपने वक्तव्य में समावेश कर दिया । उसमें कहा गया कि यह सभा पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा राहत कार्य देने का समर्थन करती है । यह संशोधन और साथ ही साथ अन्य संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकार कर दिये गये थे ।

मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो शासक दल का कोई सदस्य उसमें संशोधन या फिर उसके बदले में कोई और प्रस्ताव कर देता है और कुछ वाद-विवाद होने के बाद वह पास हो जाता है । इस प्रस्ताव पर भी बड़ी गम्भीरता से 6½ घण्टे वाद-विवाद हुआ

है। क्योंकि वाद विवाद बड़ी देर तक हुआ था अतः मुझे आज पुस्तकालय से कार्यवाही का केवल संक्षिप्त संस्करण ही मिला जिसमें कहा गया है कि बदले में रखा गया प्रस्ताव तथा सभी संशोधन अस्वीकार कर दिये गये। मैं इसे सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव नहीं मानता परन्तु जब सभा श्री पाणिग्रही के संशोधन को अस्वीकार करती हैं तथा संतप्त लोगों की सहायतार्थ किये गये सरकार के कार्य को अस्वीकार करती है, तो यह एक गम्भीर बात हैं। सम्भव है यह केवल विशिष्ट प्रकार की असामान्य स्थिति हो, परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें राजनैतिक तथा संसदीय कठिनाईयां अवश्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ! यदि कोई सदस्य एक प्रस्ताव पर कोई संशोधन अथवा उसके बदले में कोई अन्य प्रस्ताव पेश कर देता है तो इसमें कोई गलती नहीं है।

कार्य–मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो 21 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो 21 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक, 1968
MADRAS STATE (ALTERATION OF NAME) BILL 1968

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव सभा अब आगे विचार करेगी :

"कि मद्रास राज्य के नाम बदलने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडू रखने वाले इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। वास्तव में तो यह विधेयक बहुत पहले पेश किया जाना चाहिये था तथा आन्ध्र प्रदेश के मद्रास से अलग होने पर ही मद्रास का नाम बदल दिया जाना चाहिये था। परन्तु उस समय कांग्रेस सरकार ने इसे एक छोटी बात समझा जिसके कारण द्रविड़ मुनेत्र कजगम दल बना और उसके सदस्य वहां हैं। आन्ध्र राज्य के जन्म के समय श्री पाटस्कर ने कहा था कि मद्रास के एडोसुर, कृष्णागिरि तथा गुडियाट्टम के बारे में एक अलग आयोग बनाने को कहा था। आन्ध्र विधान सभा ने भी केन्द्र सरकार से इसके लिये कहा था कि इस बारे में विचार किया जाये कि मद्रास राज्य में लाखों तेलुगु भाषी रहते है। जब आन्ध्र प्रदेश बना था उस समय तिरुत्तानी में तेलुगु भाषी 49 प्रतिशत थे तथा तमिल भाषी केवल 51 प्रतिशत इस थोड़े से अन्तर को देखते हुए ही केन्द्र सरकार ने कहा था कि यह तमिलनाड में चला जाये। उन्होंने इस बारे में कानून भी बना दिया जबकि उन्हें तेलुगु भाषी लोगों वाले क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश को देने चाहिये थे। मैसूर में भी तो 72 प्रतिशत तेलुगु भाषी हैं परन्तु केन्द्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नही करती।

मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडू रखे जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं जबकि इसका अर्थ यह होगा कि वहां केवल तमिल भाषी रहते हैं। परन्तु मेरी तो यह प्रार्थना है कि वहां के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को वापस आन्ध्र प्रदेश में मिलाया जाये, वरना मद्रास का नाम तमिलनाडू रखकर आप तेलुगु भाषियों को तमिल-भाषी कहेंगे।

जब वहां कांग्रेस सरकार थी तो उसने तेलुगु भाषियों के लिए कभी कोई रुचि नहीं ली। बाद में द्र० मु० क० दल के शासन में तेलुगु भाषी मुख्यमन्त्री श्री अन्नादुराई से कहा तथा उन्होंने कृष्णागिरि में तेलुगु भाषियों के लिए एक तेलुगु अनुभाग खोलने का वचन दिया। परन्तु यह वायदा भी पूरा नहीं हुआ।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जहां तेलुगु भाषियों की संख्या सर्वाधिक हैं उन सीमा क्षेत्रों पर विचार करने तथा उन्हें आन्ध्र में मिलाने के बारे में एक आयोग करे। मुझे मद्रास का कोई भाग आन्ध्र में नहीं चाहिये। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जिन सीमा क्षेत्रों में तमिल भाषी बहुसंख्यक हैं उन्हें आन्ध्र में मिला दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडू को इस विधेयक पर कुछ एक इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिये थीं। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। उस समय मैं आन्ध्र प्रदेश का मुख्यमन्त्री था तथा श्री कामराज तमिलनाडू के मुख्य मन्त्री थे। श्री पाटस्कर ने भी कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया था। जब विधान सभा किसी चीज को स्वीकार कर लेती है तो इस में व्यक्तिगत विचार धारा की कोई बातें नहीं रह जाती। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को आघात पहुँचे। श्री मुकर्जी !

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह अवसर कोई कटु टिप्पणी करने का नहीं है क्योंकि आज लोगों की इच्छानुसार मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडू रखा जा रहा

है। यद्यपि द्रविड़ पुनेतड़ काजगम दल ने इस संदर्भ में मुख्य भूमिका अदा की परन्तु मेरे दल ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया।

स्वतन्त्रता से पूर्व मद्रास कांग्रेस का नाम तमिलनाड कांग्रेस पार्टी था। अब मैं समझता हूं कि "तमिलनाडू" शब्द अधिक ठीक है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair.* }

मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत ने अपने क्षेत्रों के बड़े सुमुधर भारतीय नाम रख कर अन्य भारतीय क्षेत्रों के समक्ष उदाहरण उपस्थित की है। महाराष्ट्र को भी स्वयं को दक्षिण भारत का एक भाग कहलाने में आपति नहीं होनी चाहिए। सम्भव है मैसूर का नाम भी एक दिन कर्नाटक हो जाये। तमिलनाडू तो सचमुच ही बड़ा उपयुक्त नाम है।

दक्षिण भारत भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इतिहास बताता है कि अधिकतम द्वितीय देशों के बारे में सांस्कृतिक विकास दक्षिण की ओर से ही आरम्भ हुआ। तदपरान्त उत्तर को यह विकास बढ़ा। आज भी तमिल सब से पुरानी और जीवित भाषा हैं। कुछ तो यह भी कहते है कि तमिल संस्कृत से भी पुरानी है। अत: दक्षिण का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

दक्षिण में एक सुन्दर किवदन्ती है कि शिव के विवाह के समय सभी देवगण पृथ्वी के एक भाग पर एकत्रित हो गये और दक्षिण भाग खाली रह गया जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का सन्तुलन बिगड़ गया। उसी समय इस असन्तुलन को ठीक करने हेतु अगस्त्यजी उस ओर बढ़े तथा उन्होंने विंध्य को अपने आगे झुकाकर दक्षिण में प्रवेश किया तथा फिर आजीवन वहीं रहे।

इस कहावत से हमें मार्ग दर्शन मिलता है कि यदि सभी कुछ भारत के उत्तर भाग में ही होने लगा तो फिर दक्षिण को कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमारी संसद भी उत्तर भारत में ही है। दक्षिण वाले कब तक यूं ही उपेक्षित रहेंगे। यही कारण है कि दक्षिण में विभिन्न प्रकार की विचार धारायें जन्म लेती हैं।

यह प्रसन्नता की बात है इस प्रक्रिया से भले हो विलम्ब से सही, परन्तु मद्रास का नाम तमिलनाडू तो रखा गया।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार का स्वागत करता हूं कि सभी भारतीय राज्यों के नाम भारतीय हों। हमें अपना इतिहास स्वयं बनाना है। अपनी सभ्यता का स्वयं निर्माण करना है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Narendra Kumar Salve : I support the Bill and hope and believe that others who are well versed and believe in well planned federal system of Governments will also heartily support it.

It is the right of the people of State to select any name for their State. We are here simply to confirm their wishes, Moreover, Tamilnadu is a very appropriate name for the Madras State.

This State has amply contributed to the development in various spheres of the country. History will always remird the coming generation about the Ganga of South. I heartily congratulate the people of Tamil Nadu for adopting this name, and hope that this State will always strive for securing the highest place in the country.

But while we are happy over all this, there is a doubt also. I have a doubt whether by this decision, we are recognising the victory of a power which has caused a great damage to the country during last one or two years ; which has created lawlessness, disorder and also encouraged subversive attitude ?

After the Independence, there occured many unfortunate incidents which obstructed the development of the country and hurt the country's unity. Our decision to creat States on the basis of language was also a factor to it. There was a big politics behind this decision. Today, people from Madras & Kerala do not feel themself safe in Bombay. our cosmopoliton city. It is quite true. This all is due to our having States on the basis of language.

उपाध्यक्ष महोदय : आप असंगत और मतभेद वाली बातें मत कहिये। यह उचित न होगा। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थागित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थागित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the clock.

श्री अजमल खां (पेरिया कुलम) : 'मद्रास' का नाम "तमिलनाडू" रखने वाले इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। यह विधेयक लोगों की 25 वर्ष से चली आ रही मांग को पूरा करता है। पिछली कांग्रेसी सरकारों ने लोगों की इस मांग की परवाह नहीं की तथा इसी कारण वहां हार खाई।

श्री अन्नादुरई ने जुलाई, 1967 में यह प्रस्ताव मद्रास विधान सभा में रखा था तथा वहां के इतिहास में पहली बार उनका प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ क्योंकि उसमें वहां के लोगों की तुष्टि निहित थी।

इस संदर्भ में मैं वहां होने वाली दर्दनाक घटना का वर्णन करना चाहूंगा। विरुदुनगर के एक बूढ़े कांग्रेसी ने, जिनका नाम शंकर लिंग नाडार था मद्रास राज्य के नाम को बदलकर 'तमिल नाडू' रखने के लिये सरकार से अनुरोध किया। परन्तु उस समय की कामराज सरकार ने उसकी प्रार्थना की कोई परवाह नहीं की तथा जब उसने गांधीजी के सिद्धान्तानुसार अपनी

मांग के लिये आमरण भूख हड़ताल की तो भी उस समय की कांग्रेसी सरकार टस से मस न हुई और आखिर में उस वृद्ध ने अपने प्राण भी दे दिये। शायद मद्रास के लोगों ने उस महान वृद्ध की मौत से ही सक्रियता पाई है। मेरे दिल में उस महान वृद्ध के लिये बड़ी श्रद्धा है। मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को इस विधेयक को लाने हेतु बधाई देता हूं।

श्री र० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : मद्रास राज्य का नाम "तमिल नाडू" रखने वाले विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष 1959 से पहले ही कांग्रेस सरकार ने राज्य स्तर पर इस राज्य को "तमिल नाडू" मान लिया था तथा तमिल को वहां की सरकारी भाषा बनाने के लिए कानून भी पास किया था। विधान सभा की सभी कार्यवाहियां तमिल नाडू सरकार के नाम से प्रकाशित होती थी। परन्तु क्योंकि मद्रास शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका था अतः हमारे नेताओं ने केन्द्र के स्तर पर इसे मद्रास राज्य ही मानना उचित समझा था। विधान सभा में कांग्रेसी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया था तथा विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

परन्तु वर्तमान राज्य सरकार ने तमिलनाडू सरकार लिखे सभी बोर्डों को हटा कर 'तमिजागम सरकार" नाम से नये बोर्ड लगाये हैं। हालांकि विधानसभा में "तमिल नाडू" शब्द पास हुआ था परन्तु वर्तमान राज्य सरकार सभी जगह 'तमिजागम' शब्द का प्रयोग कर रही है। राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि वह "तमिजगम" चाहती है अथवा "तमिलनाडू' यह बात साफ होनी चाहिये ताकि कहीं कोई भ्रम उत्पन्न न हो।

जहां तक श्री शंकर लिंग नाडार की बात है, सो उनकी मांगे अनेक थीं जिनमें एक मांग यह भी थी कि चलचित्रों में पार्श्व गायन नहीं होना चाहिये। क्या द्र० मु० क० सरकार यह मांग पूरी कर सकती है ? अतः माननीय सदस्यों को ऐसी बात कहकर इस अवसर को राजनैतिक प्रचार का साधन नहीं बनाना चाहिये। हम सब एक होकर इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करना चाहते हैं।

एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे गर्व है कि स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे दल का नाम तमिलनाड कांग्रेस कमेटी था परन्तु द्रविड़ मुनेत्र काजगम ने आज भी अपने नाम से "द्रविड़" शब्द क्यों नहीं हटाया है। यदि यह अखिल भारतीय दल है तो केवल मुनेत्र काजगम नाम रखे तथा यदि केवल राज्य का ही दल रहना चाहते हैं तो तमिल नाडू मुनेत्र काजगम नाम रखलें। परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई मतभेद नहीं है तथा मुझे आशा है कि यह सर्व सम्मति से पारित होगा।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : I support this Bill. Alteration of the name of Madras to Tamilnaidu is a step in the right direction. The names of many other states were changed from time to time.

It is a matter of concern that the name of our country has not yet been changed to 'Bharat'. The Russia has given correct names of our country in their map. Actually this should have been accomplished by India herself.

A new State by the name of Nagaland came into being after independence. It would have been better if the name of Nagaland should have been (Nagbhoomi) or Nagnadu. It does not look proper to name the Nagaland after to the English convention. It should also be changed, I hope that alteration will be made in the names of States in accordance with the cultum of this country. In Vishnu Puran the name of the country is Bharat. But while making the Constitution, it was named as India i. e. Bharat. It looks really very awakard.

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): मैं मद्रास राज्य का नाम तामिल नाडु रखने के विधेयक का समर्थन करता हूं । इस नाम के अभाव में अतीत में कई विचित्र बातें हुई हैं, अब मुझे प्रसन्नता है कि इसका नाम तामिलनाडु रखा गया है, यह मेरी कामना थी कि भाषा पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन से आपसी कटुता और असंतुलन दूर होगा।

तामिलनाडु तामिल निवासियों की भूमि है परन्तु वहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। माननीय सदस्य जानते होंगे कि तंजौर जिले में 400 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो मराठी बोलने वाले हैं । मेरे पिता और दादा मद्रास राज्य से सम्बन्ध रखते हुए भी कन्नड़ भाषा बोलते थे और मैं जानता हूं कि तामिलनाडु के कोयम्बतूर, सालेत्र, तंजौर आदि में रहने वाले अनेक कन्नड़ निवासी कन्नड़ भाषा बोलते हैं। मेरे मित्र यह भी जानते होंगे कि बहुत से लोग तेलुगु भाषा भी बोलते हैं । उसमें से कई लोग न केवल कांग्रेस में अपितु द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के साथ राजनीति में भाग ले रहे हैं । मदुरै में 700 वर्षों से अधिक समय से एक बुनकर जाति रहती है, जिसकी मातृभाषा अपभ्रंश गुजराती है, क्योंकि वे सौराष्ट्र से वहां गये थे । मेरे मित्र जानते ही होंगे कि मद्रास राज्य में अनेक लोग ऐसे हैं जो सिंधी और हिन्दी भाषाएं बोलते हैं । यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नए तामिलनाडु राज्य में भाषा के नाम में अशोभनीय बातें नहीं होनी चाहिए, जो पहले हुई हैं । तमिल भाषा भारत की गौरवपूर्ण भाषाओं में से एक है । यह एक अति प्राचीन भाषा है और इसका साहित्य विशाल और समृद्ध है । मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि द्र० मु० क० के सदस्यों ने नए नाम को राष्ट्रीय एकता के लिये मुख्य घटना कहा है । अतएव मैं आशा करता हूं कि अब से वे हिंदी को भारतीय भाषाओं में से एक भाषा मानेगें चाहे वे उसको राजभाषा बनाएं या न बनाएं । तामिलनाडु में हिंदी अपना आदरणीय स्थान ग्रहण करेगी ।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) डा० राव ने जो कुछ कहा है, उसे मानते हुए मैं कहूंगा कि रामेश्वरम मन्दिर का पुजारी महाराष्ट्र का ब्राह्मण हैं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापाल्लि) सभा में बहुत समय से यह मांग की जा रही थी कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तामिलनाडु रखा जाय, इसके विरुद्ध कई आक्षेप उठाए गए और यह कहा गया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा । यह प्रसन्नता का विषय है कि डा० राव ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । तामिलनाडु का नाम रखना उचित है और इसके लिए भावनाओं को उभाड़ने तथा आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं है । इस नाम को रखने के कारण कई लोग भ्रम में पड़ गए हैं ; ऐसा होना ठीक नहीं है । डा० राव ने हिंदी का जो प्रश्न उठाया है, मुझे उस पर कुछ कहना है । हम हिंदी के विरुद्ध नहीं है । परन्तु हिंदी को हमारे

ऊपर जबरदस्ती लादने से हमारा विरोध है। अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है, तो उसे कोई मनाही नहीं है। ऐसे अवसर पर हिंदी के प्रश्न को उठाना ठीक नहीं है।

श्री अरु मुगम (टेंकासी) 'तमिलनाड सरकार' का नामपट हटाया नहीं जाना चाहिये था।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : (रायगंज) : तमिल एक गोरवशाली नाम है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे संविधान में इसको उचित स्थान दिया जा रहा है, भारत ने तीन महान साहित्यों को जन्म दिया है और उनमें तमिल साहित्य भी है। तमिल भाषा में वैष्णव दर्शन है जो किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता। तमिल सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को समुद्रपार सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैलाया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तमिल को उसका उचित स्थान देना न्यायोचित है।

उत्तर तथा दक्षिण सांस्कृतिक दृष्टि से पृथक नहीं है। ये एक हैं। जबकि उत्तर ने अवतारों का जन्म दिया तो दक्षिण ने दर्शन शास्त्र के आचार्य हमें दिये, जिन्होनें भारतीय विचार धारा संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि संविधान में तमिल को उचित स्थान दिया गया है।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक तामिलानाडू की जनता का सपना साकार करने वाला है, जिसे वे स्वप्न बहुत पहले संजोए थे। मद्रास की द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की सरकार और मुख्यमन्त्री बधाई के पात्र है, क्योंकि उन्हींकी प्रेरणा से यह विधेयक सामने आया है।

कांग्रेस 21 वर्षों से इस देश में सत्तारुढ़ है, परन्तु उसने इस दिशा में कुछ नहीं किया। दिल्ली इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। यहां सब जगह से लोग आते हैं और वे यहां सड़कों आदि के नाम विदेशियों के नाम पर पाते हैं। यह ठीक नहीं है। मै माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इन नामों को बदलने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

जब हम मद्रास का नाम तामिलनाडु में बदलते हैं तो यह विश्व के सम्मुख घोषणा होती है कि हम तमिल भाषा व संस्कृति के समर्थक हैं। राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मेरे राज्य में मलयालम राजभाषा स्वीकार कर ली गई है और उसको विश्वविद्यालय स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आज देश में सांस्कृतिक पुनरुस्थान की आवश्यकता है। प्रादेशिक भाषाओं का आदर होना चाहिए। पुराने ब्रिटिश शासकों के नामों को हमारी सड़कों आदि से हटा देना चाहिए ताकि लोग यह अनुभव कर सकें कि इस देश में पुनरूत्थान का कार्य हो रहा है। परन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। मद्रास राज्य ने जहां कि तमिल जैसी महान भाषा का विकास हुआ, इस दिशा में कदम उठाया है। माननीय गृह मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वे श्री अन्नादुरे के कार्य का अनुकरण करें।

श्री रा० धो० भंडारे : (बम्बई-मध्य) मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, जिसमें मद्रास का नाम बदलकर तामिलनाडू रखने का प्रस्ताव है, इस विधेयक को सब दलों का समर्थन

प्राप्त है। सभा में इसके पारित हो जाने से तामिलनाडु की जनता की आकाक्षाएं पूरी हो जाएंगी, एक ऐतिहासिक आवश्यकता पूरी हुई। मैं तामिलनाडु की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं।

मुझे आशा है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता आदि द्रविड़ स्थान के साथ मित्रता का व्यवहार रखेंगे। मेरी आदिद्रविड़स्थान से यह प्रार्थना है कि वे आदिद्रविड़स्थान का पुराना नारा छोड़ दें। आदि द्रविड़स्थान को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के राज्य में उनकी उपेक्षा की जा रही है। वे जिस राजनैतिक दल में रहना चाहते हैं उनको उसमें रहने दिया जाये, क्योंकि वे शोषित जाति के लोग हैं। उनको अपने विचारों को किसी भी दल द्वारा व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं अपने द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि वे आदिद्रविड़स्थान को न भूलें और इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I along with my party members support the bill which seeks alternation of the name of Madras State to Tamilnadu. Now the Central authorities feel that the name should be altered to Tamilnadu. When the Congress party was in power in Madras State, they never thought of taking such a step. The non-Congress Government, which is now in power, suggested to the Central Government to alter the name. And every body supported this suggestion. There are many places in India which requires that names to be changed on historical grounds. Many people have also been requesting for the same. As such, I would like that the Central Gevernment should constitute a committee which may find out the solution of controversial names. Take the example of Patna. People wants that this name suould be changed to Patliputra. Patliputra has an important place in the history of India. So the wishes of the people should be fulfilled. Besides, it is a matter of great surprise that even after the independence many places and areas are named after English names such a Nagaland, Nefa, Andaman, Nicobar island, Mount Everest etc.

The people of India want that such controversies or names should be put an end to for ever. So I want that the Central Government should constitute a Committee, which may give its recommendations on this matter. With these words I support the bill and hope that the relation between North and South will be strengthened thereby.

Shri Prakash Vir Shastri: The matter under discussion does not warrant allegations and counter-allegations. In fact the people of one of our States are wiping out of the lost ramnants of slavery and are giving an Indian name to their state. We should congratulate them on this occasion and unanimously support the resolution. I would, however, like to impress one thing, and that is my personal suggestion and should not be taken as instruction. My Tamil brothers should kindly note that prononciation is also important in the matter of names. If Madras is renamed as Tamil-Nad instead of Tamil-Nadu it would not only sound sweeter but would be more graceful also. I may also suggest that it will be all the more better if the word 'नाद' is used instead of 'नाड' because 'नाद' is synonimous to the eternal word 'अनादि'

The suggestion given by Shri Jagannath Rao Joshi to change the name of Nagaland should also be accepted. NEFA should be renamed as Uttar Poorvi Seemanchal' and the name should be abbreviated as (उपूसी).

The initiative shown in the matter of renaming of Madras as Tamilnad shoulds, be carried further in removing other symbols of slavery and giving Indian Names to roads, cities and other places having such names. I hope Shri Chavan would take necessary steps in this direction.

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं इस अवसर पर सरकार की प्रशंसा करता हूँ और श्री चव्हाण सहित केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मद्रास राज्य का नाम बदलकर 'तमिलनाडु' रखने के सम्बन्ध में मद्रास के मुख्य मन्त्री वहां की जनता और हमारे नेता का अनुरोध मान लिया है। यद्यपि ये छोटी छोटी बातें हैं, परन्तु इनसे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध दृढ़ होने में बड़ी सहायता मिलती है। हमारे राज्य का असली नाम मद्रास नहीं है, यह तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हैं। पहले मद्रास शहर का नाम चेन्नैपल्निम था। चूंकि अंग्रेजों को ऐसे नामों का उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसीलिये उन्होंने ऐसे सब स्थानों के नाम बदलकर नये नाम रख दिये थे।

'तमिलनाडु' के सांस्कृतिक महत्व पर पश्चिम बंगाल के एक महान नेता द्वारा पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। अतः इस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। काश हमारे राष्ट्र कवि भरथ्यार जीवित होते तो वे इस नाम परिवर्तन के उपलक्ष में हमारे राज्य के नेताओं और केन्द्रीय सरकार के प्रति हजारों प्रशस्ति गीत लिखते। मैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री सहित सभी अन्य मित्रों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में हमारा समर्थन किया है। मैं गृह मन्त्री को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मद्रास में कुछ नामों को बदला है। इन शब्दों के साथ में सरकार को पुनः धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल श्री श्रीनिवास मिश्र ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। संवैधानिक दृष्टि से वह प्रश्न महत्वपूर्ण था और मैं सरकार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं था। इसलिये मैंने विषय का स्वयं अध्ययन करके उस पर अपना निर्णय आज के लिये स्थगित कर दिया था। इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय यह है :—

विधेयक का उद्देश्य 'मद्रास' राज्य का नाम बदलकर 'तमिलनाडु' रखकर अनुच्छेद 31 क और 290 क में परिवर्तन करना है। इस संशोधन से उक्त उपबन्धों में दिये गये मूल अधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं होता है। यह तो संविधान के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत आनुषंगिक परिणाम है। अतः उच्चत्तम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिया गया निर्णय यहां लागू नहीं होता क्योंकि उसमें मूल अधिकारों के हनन पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं केवल राज्य के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले नाम के परिवर्तन पर नहीं। नागालैंड से सम्बन्धित अनुच्छेद 371 क से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये उपबन्ध तो संविधान के संशोधन के रूप में हैं, किसी नये राज्य के निर्माण के आनुषंगिक परिणाम नहीं हैं जैसा कि श्री मिश्र का कथन था। यह सुझाव भी उचित नहीं है कि सामान्य खंड अधिनियम में संशोधन करने मात्र से ही समस्या हल हो जाती है। इससे उलटे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और वह यह है कि सामान्य खंड अधिनियम में संशोधन करने मात्र से ही संविधान में संशोधन माना जायेगा। इस दृष्टि से मैं इस बात से सहमत हूं कि श्री मिश्र के व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है और मैं उसे अस्वीकार करता हूं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होने इस विधेयक का समर्थन किया है। तामिलनाडु राज्य के लोगों की यह मांग लम्बे समय से चली आ रही थी। हमें अपने आप को राष्ट्रीय नामों या क्षेत्रीय नामों से जोड़ने में गोरान्वित अनुभव करना चाहिये। हमारे देश में राज्यों को भाषायी आधार या नाम देने में सबसे अधिक योगदान गांधीजी का रहा है। उन्होंने मलयालम बोलने वाले लोगों को केरल, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु, तेलगु बोलने वालों को आन्ध्र और मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र नाम दिये थे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 'नाड' या 'नाडु' शब्द का जिक्र किया। 'नाड' शब्द 'नाडु का ही बिगड़ा हुआ रुप है। अपने आप में 'नाड' शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कुछ दिनों में हम सब इनका नाम 'तमिलनाडु' बोलने के अभ्यस्त हो जायेंगे और हमें यह अखरेगा नहीं। यद्यपि मैं तमिल भाषा को समझता नहीं हूं फिर भी उसको सुनने के पश्चात मेरी यह धारणा बनी हुई है कि वह संगीतमय भाषा है। हमें न केवल भाषाओं के स्वर्णिम अतीत पर ध्यान देना चाहिये अपितु उनके स्वर्णिम भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिये। 'तमिल नाडु' नाम के राज्य से भारत के संघात्मक ढांचे में एकता बढ़ेगी। इस नये नाम पर हम गर्व करते हैं। नाम का भी अपना महत्व अवश्य होता है। हम इस नये नाम पर गर्व अनुभव करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे राज्य और देश का एक नया प्रेरणादायक इतिहास शुरू होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मद्रास राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 से 8 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़े गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के 39 वें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE : THIRTY-NINTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

श्री मालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 39 वें प्रतिवेदन से, जो 20 नवम्बर, 1968 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 39वें प्रतिवेदन से, जो 20 नवम्बर, 1968 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

जम्मू और काश्मीर की स्थिति सम्बन्धी संकल्प–जारी

RESOLUTION RE : STATUS OF JAMMU AND KASHMIR-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जम्मू और काश्मीर की स्थिति सम्बन्धी संकल्प पर आगे विचार करेंगे । प्रस्तावक को केवल एक ही मिनट मिला है

परन्तु माननीय सदस्य को यह याद रखना चाहिये कि अगले संकल्प के प्रस्तावक को भी समय देना है ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Other Members will also like to speak. The discussion on it will not conclude today. So I request that time should be extended for it so that Members from all sides may speak on it as has already been decided in consultation with the Hon. Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कई चिट आ गई हैं । इस पर भी विचार किया जायेगा । अब तो कार्यवाही शुरु की जाय ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have just now resolved to rename the state of Madras as Tamil-Nadu, situated in South and the cape of Comerin (Kanya kumari) is a part of that State. I would, however, like to draw the attention of the House towards Kashmir. Any discussion of Tamil Nadu and Kashmir brings the complete map of India before our eyes.

Jammu and Kashmir is an integral part of India, but the state is still having a separate constitution, separate citizenship and a separate flag. I would like to know the reasons therefor. If the constitution is suitable for all the other states of India, why it is not suitable for Jammu and Kashmir ? If the citizenship of India is a matter of respect and pride for 50 crore citizens of India, why it does not have the same sense of pride for the 40 lakh people belonging to the state of Jammu and Kashmir. There is no justification for a separate flag for Jammu and Kashmir when tricolour flag is the flag of the whole of India. Pronouncements are made day in and day out that the state of Jammu and Kashmir is as much a part of our country as any other State, still Jammu and Kashmir is kept on a different footing.

It is strange that our Jawans, who shed their blood for defending the state of Jammu and Kashmir, cannot settle in that state and cannot purchase land in the state. Is it not strange that hard-earned money of the people of India is being spent lavishly in the state of Jammu and Kashmir but this Parliament has no right to go into the accounts of that amount ? Is it not a matter of shame that the President of India cannot purchase land in that state ? A law court of that state has recently decided in a case that since the President of India was not a subject of Jammu and Kashmir, he could not purchase land in the state. The question of ruler and the subjects is still prevelent in the state. The subjects of that state are enjoying those rights, on account of seperate citizenship which are denied to the people of the rest of India.

Article 370 of the constitution forms a part of temporary and transitional provisions of the constitution. It cannot remain a part of our constitution for ever.

While Article 370 was being discussed in the constituent Assembly, Maulana Hasrat Maulavi had asked Dr. Gopalaswamy Iyenger, why Jammu and Kashmir was being discriminated against. I agree with him that this Article does not bestow a privilege on that state. It is rather an act of discrimination against the state of J&K.It does not allow the state to come to the level of other states. To this criticism, Dr. Gopalaswamy Iyengar replied :

> "This discrimination is due to the special conditions in Kashmir. That particular state is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope of everybody here

that in due course even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States".

This declaration by Dr. Iyenger was applauded in the House.

All the Members of the Constituent Assembly wanted Article 370 to be a temporary provision and that this Article should be abrogated as soon as possible.

In reply to a question by Shri Prakash Vir Shastri, the late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru had stated :

"In our opinion Article 370 as laid down in the constitution, is transitional".

Then in reply to the question of an other Member, he said :

"Article 370, as the House will remember, is a part of certain transitional provisional arrangements. It is not a permanent part of the Constitution. It is a part so long as it remains so."

{ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair* }

After presenting our case on Kashmir in U.N.O. very firmly and intelligently the former Minister of External Affairs, Shri M. C. Chagla, had stated that in the present circumstances there was no room for Article 370 in the constitution and the Article should be abrogated.

Shri G. M. Sadiq, the present Chief Minister of the State of Jammu and Kashmir has also been supporting the abrogation of Article 370 In a statement on 28th November, 1963 he said that Article 370 had created barriers between Kashmir and rest of India, and the removal of that wall was necessary to give the integration a real shape. He also supported the abrogation of Article 370, while speaking at the meetings of Congress Parliamentary Party after he became the Chief Minister.

Bakhshi Gulam Mohammed, the former Chief Minister of the state of Jammu and Kashmir had also supported the abrogation of Article 370. I do not know what are his views at present. But any change in any person's views does not change the course of history.

There are certain strange provisions in Article 370. Firstly, it has been stated :

"The provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir."

Article 238 relates to Part 'B' States. Those States have ceased to exist and so also article 238, Dominion of India has been referred to in Article 370. India is no more a dominion. It is a Republic. The Maharaja of Kashmir has also been referred to in that Article. There is no Maharaja in Kashmir now. There is a Governor in the State as in other States That also renders the Article ineffective.

The procedure for abrogation of Article 370 has been given in the same Article. The farmers of the Constitution have laid down :

"Nothwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify."

Article 370 authorises the President to issue a notification that the Article shall cease to be operative or shall operate only in respect of certain matters. It is true that it should be done in consultation with the State Government. The State Government is responsible to the State Assembly and the concurrence of the Assembly would also be necessary.

The purpose of this motion is that the House should declare that the time has come when Article 370 should be made inoperative by an order of the President.

The President has issued a number of orders under this Article because of which Jammu and Kashmir has been brought nearer to the rest of India in administrative, economic and other matters. The Supreme Court has jurisdiction over Jammu and Kashmir now. The Election Commission of India supervises the elections in the State. There has been financial integration also and several other steps have been taken which appreciated. I, however, submit that time has come to do away with the whole Article 370 and not in piecemeal.

To-day there is a psychological barrier between Jammu and Kashmir and the rest of India. It is creating instability in that State, strengthens anti-Indian elements and creats obstacles in it integration. It is high time that this psychological hinderance should be removed and the State of Jammu and Kashmir should find a place of honour in the Indian Republic.

I fail to understand why emphasis should be laid on bestowing special status on the State of Jammu and Kashmir. The circumstances under which the special status was given to the state, exist no longer. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir has finally decided to annex the state to India. The decision of that Assembly cannot be changed merely because a certain person was not present in the Assembly. Once the State has become a part of India, it should be brought on par with other states. But the special status of Kashmir is being emphasized. Does it not senack of communalism ? Those who complain that they are being relegated to a status of second class citizens want the special status to the state of Jammu and Kashmir. We want equal status, equal rights, equal freedom and equal opportunities for all. Equality and special status cannot co-exist.

A Convention was held at Srinagar a few days ago, contradictory statements were made in the convention. However, one good aspect of the convention was that it was made clear that the question of Jammu and Kashmir will have to be settled within the Indian Union. Can this matter be solved out of the Indian Union ? Will this House and this Government allow this ? There is no question of taking Jammu and Kashmir out of Indian Union. No one can take it out of the Indian Union and the Government which shows weakness cannot stay in lower.

The question is whether we do not want to bring out a change in the position of Jammu and Kashmir. Do we want the position as it obtained in 1953. Do we want to make discrimination in the name of special status. It is a challenge and also contrary to the principles of democracy. The persons who are protagonists of secularism are advocates of maintaining a special status for Jammu and Kashmir. I cannot understand this, as it encourages communalism and discrimination against the state.

The situation in Jammu and Kashmir today is quite explosive, There is a full before the storm. Pakistani infiltrations are active in the valley. Sometime back an attempt was made to snatch away the guns belonging to NCC. A class of youngmen is becoming impatient. The teachers who have come from Aligarh are spreading feelings of separatism. Pro-Pakistan elements are openly instigating the people. The photographs of President Ayub Khan can be seen hanging at many places. I consider it my sacred duty to congratulate our Jawans who are performing their duties sincerely under adverse and hazardouns conditions.

In 1965 Mahur post in District Udhampur was attacked by some local people and Pakistani infiltrators. In that attack 13 Jawans of the Punjab police lost their lives. Though many persons were arrested and prosecutions were launched against them, yet none was convicted. During the last five years there were 200 cases of arson as a result of which property worth 10 crores of rupees was destroyed. During the Arab-Isreal conflict two churches were burnt to ashes in Srinagar. That is not all; during the agitation of Kashmiri Pandits many people lost their lives, many others were injured and many houses were put on fire. Yet no-body has been punished. The Government has utterly failed in liquidating the pro-Pakistani elements in Jammu and Kashmir. Almost daily it appears in the Press that a gang of Pakistani spies has been arrested, but it is fantastic that instead of prosecuting them and putting them in Jails, they are kept under detention and treate ! as political prisoners. Is it not surprising to note that an officer of Jammu and Kashmir, who supported Pakistani infiltrators in 1965, is now a Member of Jammu and Kashmir Assembly ? The Officer concerned was a Block Development Officer in Poonchh. At the time of Pakistani invasion that officer disappeared and when Revolutionary council was formed by Pakistan he became a member of that council. Later on when Pakistanis were pushed out by our armed forces, he again appeared on the scene and was taken back in service in J&K. A complaint was registered against him by the Special Commissioner and the matter was investigated but the state Government withdrew that case. Now he is a Member of Jammu and Kashmir Assembly. Seventy five thousand persons went to Pakistan in 1965 and most of them are now returning after getting training in Gureila warfare. Although an assurance was given at that time by the then Home Minister Shri Nanda and the Defence Minister Shri Chavan that no body would be allowed to return without proper screening, but no arrangements for screening were made.

It is surprising to note that the families of border areas of Jammu and Kashmir who were looted and harrased, and who stayed in India despite all adverseres were being given Rs. 120/- per family, but those families who had gone to Pakistan and come back now were being given Rs. 600/- per family. Does it not mean that devotion of India or rationalism is being penalised and anti nationalism is being rewarded ? How long will Government pursue a policy which does not discriminate between friends and foes ?

The financial position of State of the Jammu and Kashmir is very critical and it is deteriorating day by day, So far, Rs. 300 crores have been given by the centre as grant in aid and loan. But the financial position of the State has come to such a pass that neither it is in a position to repay the instalment of the loan or interest thereon. The contribution of the state in the expenditure of Five Year Plans, had been constantly decreasing. During the First Five Year Plan their contribution was 2%, which decreased to 12% in Second Five Year Plan and to 6% in Third Five Year Plan. The situation has deteriorated to such an extent that the state has told that they were not in a position to contribute anything in the Fourth Plan. All expenditure should be incurred by the Centre. We have shed our blood for Jammu and Kashmir and we do not mind spending any amount for Jammu and Kashmir. But at the same time the Parliament should have the

right to know and examine as to whether the amount sanctioned by centre had been properly utilised or not. If there is any restriction which debars us from examining the Genuiness of this expenditure, it should be removed.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

Mr. Speaker, the need of the hour is to have a clean. Strong and efficient administration there, but the present administration is corrupt, weak and most in efficient. The appointments are made not on the basis of ability but on the basis of political consideration, communalism and regionalism. Posts are created not for the administrative needs but for providing jobs to the political workers and their relatives. In Jammu and Kashmir the number of Tehshils is only 32, whereas the number of Tehshildars is 75 and that of Naib Tehshildars 100. It is evident from the fact that there are 2 Tehshildars in one Tehshil. Now I give you an example how appointments are made there. Recently a person, who had gone abroad for studies went to Pakistan after completing his studies and when he could not get a job in Pakistan, he came o Srinagar and was appointed a professor in a Medical College direct ignoring the claim of Assistant Professors. Again, the President has made 25 appointments on the recommendations of the State to the cadre of IAS and IPS from the state of Jammu and Kashmir. In doing so sincereity, ability and efficiency of candidates have been ignored altogether. Some of these officers are not even graduates. I would like to know the justification of these appointments from the Home Minister.

In conclusion, I would suggest that the time has now come when the President in consultation with the State Government, should, by a notification make the whole of Article 370 inoperative and remove the psychological barriers between Jammu and Kashmir and the rest of the country.

My second point is that the constitution of India should be made fully applicable to the State of Jammu and Kashmir and the state of Jammu and Kashmir should be brought at par with other states of the country. We should not deprive the citizens of Jammu and Kashmir from enjoying those fundamental rights which are being enjoyed by the citizens of our country under the Constitution.

My third demand is that an all-party Parliamentary Committee should be consituted to examine the expenditure and the amount given by the centre and to devise ways and means and to see how the future grants would be spent by them for the industrial and economic development of the state.

My fourth demand is that Government should declare in clear and unequivocal terms that they would not talk with Sheikh Abdullah till he and, his associates declare that they are Indians and that Kashmir is an integral part of India and Pakistan is an aggressor.

My fifth demand is that discriminatory attitude towards Jammu and Ladakh areas should be ended. The claims of Jammu and Ladakh are being ignored in the matters of employment and economic and industrial development. Some people are talking about the autonomy of Jammu. I warn the Government, that it will be a dangerous step. It is not proper to talk of reorganisation of Jammu and Kashmir on the basis of language. But at the some time I stress that the claims of Jammu and Ladakh should not be ignored in the matter of employment and other matters.

An attempt must be made for the industrial development of Jammu and Kashmir state in a planned manner. The state has been an integral part of India for 20 years and we had given more than Rs. 300 crores to that state, even then there is not a single central project. A talk had been going on since long that a telephone factory would be established there, but nothing has materialised so far. So attention should be paid to the Industrial Development of the state in a planned manner.

Now the unlawful activities Bill had become an Act and nobody can talk of seceding a part of our country's territory. If any party does so, it is liable for legal action being taken against that party. I fail to understand as to why this Act has not been made applicable to Jammu and Kashmir. I demand that the unlawful Activities Act should be made applicable to Jammu and Kashmir. The people, who wanted to secede a part of our country's territory should be punished under this law.

Mr. Speaker Sir, once Sheikh Abdullah met me and he told me that the writ of Indian democracy runs upto Madhopur post only and not beyond that. Though I had suitably answered his question and I agree that the situation in Jammu and Kashmir has improved a little under Shri Sadiq, yet I request that proper facilities should be given to pro-India parties to educate the people of Jammu and Kashmir about the nature of democracy in India and how the democracy is being butchered in Pakistan. Muslims of Jammu and Kashmir, except a section among them who want to raise a bogey of Pakistan, are against the state going to Pakistan. The need of the hour is to remove psychological barrier by a notification by the President declaring Article 370 in-operative. I hope that the House will support my Motion.

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की वर्तमान असंगत स्थिति का अन्त किया जाना चाहिये, जिसमें यह राज्य भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी इसका अलग संविधान है, अलग राज्याध्यक्ष है और अलग झंडा है और इस राज्य को पूर्ण रूप से भारत के अन्य राज्यों के समान लाया जाना चाहिये और इस प्रयोजनार्थ यह सभा सिफारिश करती है कि सभी आवश्यक कार्रवाइयां जैसे कि अनुच्छेद 370 का निराकरण, तुरन्त आरम्भ की जाये।" उन्हें इस पर संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : में अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): May I know why my amendment has not been admitted, its notice was given by me in time on 19th November, 1968.

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar) : While I am in full agreement with Shri Vajpayee on most of the points raised by him, but his argument that. I hade once supported abrogation of Article 370, is wrong. I have always been supporting the retention of Article 370. At the same time I have always been making efforts for closer integration and specially emotional integration of Jammu and Kashmir with the rest of India and in future also I will do so.

Shri Vajpayee's contention that even the President of India has no right to own any property in Jammu and Kashmir, is not based on facts, because the President to India

owns property in Kashmir. A number of rest houses, guest houses and other buildings where post and telegraph offices are located, belong to the President of India.

So far as the question of flag is concerned, the people of Jammu and Kashmir have every respect for them tri-colour flag. They have always been making sacrifices to uphold its honour and in future also they will not hesitate to do so.

Shri Vajpayee wants to abrogate the constitution of Jammu and Kashmir which opens thus :

"The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of india."

Again it says :-

"The territory of the State shall comprise of all the territories which on the fifteenth day of August, 1947 were under the sovereignity or suzeranity of the ruler of the State."

Honestly speaking, the constitution of Jammu and Kashmir brings us closer. It contains nothing otherwise. The question of abrogation of Article 370 has been discussed here a number of times in the past. The farmers of the Constitution of India, who were all eminent leaders had embodied this Article after giving full thought to all aspects of this question and they had appreciated its necessity and even now there is no change in the circumstances, which existed at the time of framing it. If it is abrogated, the same will be exploited by Pakistan because they have always been carrying on this propaganda that India will put an end to the separate entity of Kashmir and we have been counteracting it by saying that Kashmir has been given a status which it had been enjoying for the last twenty years and there has been no change in its position. Thus the special status being enjoyed by Kashmir in the democratic frame-work of India is a good stick to beat Pakistan with, which has finished the separate entity of States like Kalat and Bahawalpur and also of Sindh and North-West Frontier.

It would not be worthwhile at this stage to ask what I had done or what Sheikh Saheb had done or what Shri Sadiq is now doing ? If we want full integration of Kashmir, all necessary steps will have to be taken by the Government of India in this regard. It has been said that not a single central project has been started there. In this regard, the Planning Department have made a survey of the River Chanab and they are of the opinion that 5 million K.W. electricity can be generated. This will meet the power shortage of Northern India including Rajasthan and Western U.P. A proposal for the setting up of a telephone industry there is also under consideration of the Government of India for the a very long time. It is not known when it will be set up. If we want to ameliorate the conditions of Kashmiris, we will have to have a national approach to this question rising above the party politics. There is no doubt about it that the Kashmir of to-day is not the same as it was in 1947; but still much more is required to be done in this direction as the people there are semi-employed and therefore they are poor. The officers belonging to IAS and IPS cadres posted there have become a headache for Kashmir. Again, we invited Election Commission to supervise the elections there but what happened in 1967 elections is known to all of us. Even the recent by elections have been rigged. The Chief Election Commissioner, Shri Sen Varma, who had himseef gone there to supervise the elections, was not available at the place where the votes were being counted. It was understood that he had gone to Pahalgam and Khirbhawani when the votes were being counted. 27 ballot boxes had been deposited in the treasury in the evening Over-night they had become 38. We meet the Chief Election Commissioner later on and related the whole

story of the irregularities and malpractices indulged in while counting the votes. He had no answer but to say that "I have seen everything but Delhis' prestige is involved." It is not known as to how the prestige of Delhi is involved in free and fair elections. In reply to a letter of mine. Shri Chavan had, no doubt, pointed out that he had written to the Chief Minister that these should be free and fair elections. But what happened there, is well known to everybody.

The Judge has clearly criticized the conduct of Shri Kumar I. A. S. officer in his judgement and stated that he has committed the forgery.

Despite this fact that Mohammad Amin was involved in conspiracy case which dragged for nine years, his name was placed on top in the I.A.S's list. In the same way the names of Shri Hamidullah and Shri Sharma were also included by the Government. They were simply matriculate and their academic qualifications were not enough. So I request the Government to mend all these things.

Although it is a fact that large contingents of Police, Army, Border Security force are there, but the borders are still unsafe. The Government should create a kind of atmosphere in which the people may be brought nearer. The people of Kashmir think that what is happening here, it is all due to the Central Government. Shri Vajpayee has asked about the money which was earmarked for the development of Kashmir. I agree with him that there should be enquiry into this whole affairs. In the last Budget session I had suggested that a committee of this House be constituted to go into the matter, I request the Government to create such atmosphere where honesty may prevail. The Medical colleges announce that the admission will be on merits. But students with 310 marks were not given admission whereas students with 232 marks were given admission. These things happen there. The Government have opened Engineering College, Medical College etc. and thousands of Graduates come out every year. But many of them could not get any employment.

It is not correct to say that muslim population favour Pakistan. It is had been true then people would never have elected me for the Parliament seat. The people of Kashmir know my stand. But actually the problem of Kashmir is different... It want clear and honest administration.

Kashmir is just a part of India like any other State. No one should boast that Kashmir is separate. The people of Kashmir decided to remain with India in 1947 while the two nation theory was raised. No force or power could separate Kashmir from India. They were looking for India because here is secularism. They were not prepared to go to Pakistan where the Muslim are in majority. The jawans of India Army sacrificed their life to save the Kashmir. The people of Kashmir regard them for their great sacrifice.

Now the question about emotional and closer integration come. I will state the conditions of Kashmir before you. Why you do not withdraw the case which is lying in the Security Council. I will request that the article 370 should not be removed otherwise the people will think in different way that the Government are taking away something from them. Presidents Powers should be used properly. The Election Commission should also function properly. An atmosphere of goodwill should be created there so that the people may give up thinking that the Government are responsible for all the evils in the Kashmir.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं श्री वाजपेयी और श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी के वक्तव्यों को ध्यान से सुनता रहा हूँ परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें कुछ मौलिक तथ्यों को छोड़ दिया गया है ।

संविधान सभा में अनुच्छेद 370 को लागू करते समय तीन बातें प्रधान थी। पहला यह कि जम्मू एवं काश्मीर में युद्ध चल रहा था। दूसरा, राज्य का कुछ भाग शत्रुओं के अधीन था और तीसरा कि यह देश काश्मीर के मामले में राष्ट्र संघ से उलझा हुआ था। जैसा कि गुलाम मुहम्मद बख्शी ने ठीक कहा है कि उस समय ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी और संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि काश्मीर राज्य के लिए संविधान में विशेष उपबन्ध रखे जाने चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन बीस वर्षों में परिस्थितियां कितनी बदली हैं।

सन् 1964 और 1966 में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने एक विधेयक अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिए प्रस्तुत किया था। दोनों ही समय श्रीनन्दा और श्री हाथी, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने कई तर्क प्रस्तुत किये और यह बताया कि अनुच्छेद 370 द्वारा पिछले वर्षों में क्या-क्या कार्य किये। उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि अनुच्छेद 370 को कायम रखा जाये। उस समय दोनों गृह मंत्रियों ने यह वचन दिया था कि स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जायेगा और यह देखा जायेगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से राज्य में संवैधानिक और कानूनी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरी शिकायत यह है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि चूंकि यह मामला सभा में फिर से आया है अतएव केन्द्रीय सरकार इस पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करे। अगर इस अनुच्छेद की समाप्ति से न केवल जम्मू और काश्मीर के अपितु सारे देश को लाभ पहुंचता है तो इसको समाप्त कर देना चाहिए परन्तु अगर इसको हटाने से और अधिक उलझनें पैदा होती हैं तो मैं सभा और सारे देश को यह अनुरोध करूंगा कि इस अनुच्छेद को हटाया नहीं जाय।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair}

श्री बाजपेयी के मन में यह शंका है कि जम्मू और काश्मीर तथा शेष भारत के मध्य एक दीवार है। इस पर मैं उनसे भिन्न विचार रखता हूँ। श्री बाजपेयी ने कहा है कि 1965 में पुंछ क्षेत्र के 70,000 परिवार सीमा के पार चले गए थे। परन्तु ये परिवार तब ही वहां गए जब पुंछ क्षेत्र में घुसपैठिए आ गए थे। उन्होंने यह कदम मजबूरी में उठाया। जब ये भारतीय वापिस आना चाहते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। श्री बाजपेयी ने कहा है कि एक बी० डी० ओ०, जिसने घुसपैठियों को सहयोग दिया और पाकिस्तान को चला गया था, आज विधान सभा का सदस्य बना हुआ है। इस प्रकार की अफवाहें ठीक नहीं है और इससे काम बिगड़ता है।

1965 में पुंछ और राजोरी क्षेत्र के लोगों ने, जिसमें अधिकांश मुसलमान थे, घुसपैठियों का सामना किया और सेना के जवानों को सहयोग दिया। अगर हम उनकी राजभक्ति और राष्ट्रीयता पर सन्देह करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि श्री वाजपेयी स्थिति को सुधारने के बजाए बिगाड़ ही रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I am prepared to prove everything. He was nominated for the membership of Revolutionary Council and now he is a member of Legislative Assembly. His name is Shri Mohammad Hussain.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मुझे आशा है कि गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अपने वक्तव्य में उस व्यक्ति का वर्णन नहीं किया था । सम्बन्धित व्यक्ति का नाम चौधरी मुहम्मद हुसैन है । मैं स्वतंत्र जांच कराने के लिए कहता हूँ और समस्त तथ्यों को जांच समिति के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूँ ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : जहां तक इन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, 1965 में राज्य सरकार ने जांच कराई थी और इन दो व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं पाया गया ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : भारतीय सेना के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी थी । आप सेना के अधिकारियों के साथ जांच करवाइये और वे यहां आकर गवाही देंगे । मैं श्री मल्होत्रा को इसके लिए चुनौती देता हूं, वे मजबूरी में ही यह सब कुछ कह रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं कुछ बातों में श्री वाजपेयी से सहमत हूँ । जम्मू तथा काश्मीर में शिक्षित युवकों में बेकारी बहुत फैली हुई है और इसने गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है । केन्द्रीय सरकार ने कोई औद्योगिक परियोजना आरम्भ नहीं की है इससे भी स्थिति और बिगड़ी है ।

मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ । पूर्ण भावात्मक एकता के लिए यह आवश्यक है कि जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराया जाये । राज्य सरकार को चाहिए कि वह उनको रोजगार दे । यह सच है कि ऐसा करना भी सीमित मात्रा में हो सकता है अतएव उनको देश के अन्य भागों में रोजगार प्रदान किये जायें । अगर भारत के अन्य भागों में उन्हें रोजगार मिलेगा तो इससे भावात्मक एकता दृढ़ होगी और वे सारे देश को अपना समझेंगे । इसी प्रकार जम्मू तथा काश्मीर का शेष भारत से पूर्ण एकीकरण सम्भव हो सकता है । अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें दो विचार नहीं है कि संवैधानिक असमानता को दूर कर देना चाहिए । परन्तु मैं सरकार से यह आश्वासन लेना चाहूंगा कि इस प्रकार व्यवस्था करने से कहीं संवैधानिक अथवा कानूनी रिक्तता पैदा न हो जाये । मेरी सरकार को यह सलाह है कि वह कानूनी तथा संवैधानिक विशेषज्ञों का एक दल बनाए जो यह देखे कि अनुच्छेद 370 के बनाए रखने से देश को लाभ पहुँचेगा अथवा इसको हटाने से लाभ पहुंचेगा ।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : श्री वाजपेयी की इस इच्छा से सभी सहमत हैं कि काश्मीर का देश के साथ पूर्ण विलय कर दिया जाये । परन्तु जम्मू तथा काश्मीर को जो यह विशेष दर्जा मिला हुआ है, इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर ऐसा हुआ है ।

यह देश विशाल है और इसमें कई जटिलताएं हैं । अतएव विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग संविधान तथा दर्जे निर्धारित करना असाधारण तथा असम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए हमारी सरकार भूमिगत नागाओं के साथ बातचीत कर रही है और यह सम्भव है कि अन्त में इसका समाधान मिल जायेगा जिससे हो सकता है कि नागाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुसार विशेष दर्जा दिया जाये । इसी प्रकार मिजो समस्या तथा अन्य पहाड़ी जनजातियों

के साथ हो सकता है। इस प्रकार कई समस्याएं हैं और पूर्ण समानता न आवश्यक है और न सम्भव है।

इस विशेष मामले का एक इतिहास है जिसके कारण जम्मू और काश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। देश के सभी राज्यों का विलय 15 अगस्त, 1947 से पहले हो चुका था परन्तु जम्मू तथा काश्मीर का विलय बाद में संघर्ष के उपरान्त हुआ। उस समय हमारे नेताओं पण्डित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बल्लभभाई पटेल ने जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को यह वचन दिया कि उनको विशेष दर्जा दिया जायेगा और विलय तभी किया जायेगा जब वहां के लोग इसके लिए राजी हों।

मैं श्री वाजपेयी से सहमत हूं कि विलय करना वांछनीय है और मुझे आशा है कि आज नहीं तो कल यह कार्य पूरा हो जायेगा, परन्तु यहां बार-बार प्रस्ताव लाने से विलय करने की प्रक्रिया को लाभ नहीं पहुँचेगा अपितु इससे उल्टा हानि होने की आशंका है। हम इस बारे में जितना कम चर्चा करें उतना अच्छा है। विलय करने की प्रवृत्ति जम्मू तथा काश्मीर के लोगों में से उठनी चाहिए न कि उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाये।

अतएव मेरे विचार में विलय करने की प्रक्रिया को संसद द्वारा थोपा नहीं जाये अपितु यह भावना वहां के लोगों में से ही उठनी चाहिए तभी हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं वहां के लोगों में अभी भी भारतीय प्रशासन और कानून के प्रति असंतोष है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उनसे विलय के लिए कहें। हम यही कह सकते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर में अच्छी सरकार होनी चाहिए। और वहां स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। एक स्थायी प्रतिनिधि सरकार के स्थापना के पश्चात ही आगे विलय का काम किया जा सकता है और यह कार्य विधान सभा अथवा संविधान सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए। विधान सभा तथा संविधान सभा में पारित करने तथा जम्मू तथा काश्मीर के लोगों द्वारा स्वीकार करने के बाद ही संसद में इसको लाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करके विलय की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।

देश में एक कानून प्रत्येक के लिए नहीं है उदाहरण के लिए एक पत्नी विवाह समाज में मुसलमानों को छोड़कर सब पर लागू होता है कहने का तात्पर्य यह है कि देश में विविधताओं के बीच हमें एकता लानी है। हमने जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को वचन दिया हुआ है और इसको पूरा करना हमारा कर्त्तव्य है।

यह भी सुनने में आया है कि कई कांग्रेसी और अन्य लोग चाहते हैं कि राजाओं को दी जाने वाली निजी थैलियों को समाप्त किया जाना चाहिए। देश के शासकों ने राजाओं के साथ हुए समझौते में इन निजी थैलियों को देने का वचन दिया था। संविधान बनाते समय नेताओं ने जो वचन दिये अथवा समझौते किये; उनका मान करना चाहिए चाहे वे काश्मीर के सम्बन्ध में हो या किसी अन्य के।

मैं इस बात का पूर्णतया समर्थन करता हूं कि काश्मीर का भारत के साथ विलय किया जाये। मेरा केवल निवेदन यह है कि हमें राज्य के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना

चाहिए । अगर वे चाहते हैं कि शेष भारत के साथ उनका विलय किया जाये तो तब ही यह कदम उठाया जाना चाहिए । यह भी आवश्यक है कि वहां का प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर सके कि संविधान में निहित धर्म निरपेक्ष के सिद्धान्तों पर शासन चलाया जायेगा । सरकार को चाहिए कि वह जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को विलय के लिए प्रोत्साहित करे और यह तभी हो सकता है जब वहां लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There has been discussion here on the Kashmir situation a number of times during last twenty years. Now the situation is more serious. Such a situation never arose in the past Our Government has been committing mistake after mistake in respect of Kashmir question. First of all the State of Jammu and Kashmir was made a subject of the Ministry of Foreign Affairs while other States are affiliated to the Ministry of Home Affairs. It is due to the fact that the policies in our country are guided more by individual personalities than by the principles. As regards the article 370 of the Constitution, which gives special status to Jammu and Kashmir, I would like to say that the then Home Minister, Shri Govind Ballabh Pant, Shri Jawaharlal Nehru and later on Shri Nanda all had been in favour of abrogation of the said article, but it is still there, though its provisions have become infructuous. In my opinion it should be abrogated forthwith.

As regards the question of plebicite in the State, I am of the opinion that at that time Shri Jawaharlal Nehru expressed his opinion in his individual capacity that the plebicite will be held in Jammu and Kashmir. That is why such a provision had not been made in the Constitution of India that integration of Jammu and Kashmir into the Union of India will be subject to the plebiscite. It acceeded to India in the same way as the other princely states like Jaipur and Jodhpur. If some people are firm on the demand of plebiscite then the plebiscite should be held, but in the way I suggest. The opinions of all the people of the whole country (undivided country extending from Kashmir to Cape Comorin and Assam to Dwarika) should be asked to express their opinion; whether they want division of the country or not. It will fulfill the desires of Khan Abdul Gaffar Khan and his associates also

I would like to know why Government is silent over the activities of Sheikh Abdullah who is openly threatening a revolt in the Kashmir Valley. Moreover, Congress Government at Centre should not think that there is Congress Government in the Jammu and Kashmir State. There a public meeting could not be held in honour of Congress President Shri Nijlingappa. Even Sadiq Sahib, the Chief Minister of the State is not in a position to organize the public meeting in Srinagar. In the Legislature of the State those people are gaining majority who have pro-Pakistan or anti-Indian views. Government should pay due attention to this situation. In the matter of Kashmir Government should not adopt the policy of putting off the problems.

{ श्री हेम बरुआ पीठासीन हुए । / **Shri Hem Barua** *in the Chair.* }

During the discussion on No-Confidence Motion I gave a suggestion that the retired military officers should be settled in the border areas in order to check the infiltration and minor attacks from Pakistan's side. I am sorry to mention it that Shri Afzal Beg and Shri Sadiq smell the communalism in my suggestion. I did not give this suggestion with the intention that Hindus should be settled in the State.

I doubt very much that Shri Sadiq is following the foot steps of Bakshi Gulam Mohammad. Last year telephone and the trunk calls bill of Shri Sadiq amounted to 2 lakhs of rupees. I think the money is misappropriated on large scale there. Moreover instead of giving cash financial aid to the State, Government should make such projects as will help the people of the State to be self-relient. Central Government should see that the financial aid given to Jammu and Kashmir State is properly utilized. Another suggestion which I would like to give is that employment to the educated youths of the outside States i-e. from Maharashtra and Uttar Pradesh etc. be given so that a feeling of oneness may be created among them.

Government should take such steps as will inculcate in the people of the State the feeling of security for their future. It is also not happy state of affairs that the candidates on 22 of 42 seates in the State Legislative Assembly were declared elected uncontested. May I know the reason why Government is afraid of having full fledged election in the State ? Moreover, now Government appear to have forgotten a part of the State, which is now called as Azad Kashmir. Government should keep this thing in mind that we will have to take back that portion from Pakistan. A very important suggestion I would like to make is that the area of Jammu and Kashmir State should be enlarged by merging the area of Himachal Pradesh and Punjab into it. If possible the area of Rajasthan should also be merged into this new State. It will be good from security point of view within this new State there should be exchange of trade activities from one place to another from Jullundher to Srinagar and vice versa. If necessary this new State should be put under the Presidents Rule for the time being. I hope Government will commit no more mistakes in respect of Jammu and Kashmir and will mend those committed earlier taking my suggestion into consideration.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, अनुच्छेद 370 के बारे में निर्णय एक विशेष समय और विशेष परिस्थितियों में लिया गया था। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और यह संक्रमकाल के लिये है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये परिस्थितियों के अनुरुप एक विशेष व्यवस्था की गई थी। इस उपबन्ध के द्वारा संसद को बड़ी ही लचीली शक्तियां प्रदान की गई है, अर्थात् संसद किसी भी समय जम्मू तथा काश्मीर के हितों की सुरक्षा के लिये किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है।

इसमें कोई शक नहीं कि जब जम्मू और काश्मीर का भारत में विलय हुआ था तब सम्पूर्ण रूप से हुआ था, और वह राज्य भारत का अभिन्न अंग है परन्तु साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले जाने के लिये हम भी जिम्मेदार हैं। अब इस मामले को वहां से उठाया नहीं जा सकता। अब यह मामला सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्पत्ति है। इस संदर्भ में हमें यह मानना होगा कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति वह नहीं है जो अन्य राज्यों की है।

संसद द्वारा पारित कानून अन्य राज्यों पर स्वतः लागू हो जाते हैं परन्तु जम्मू और काश्मीर पर वे तभी लागू होते हैं जबकि राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा उन कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करता है और राष्ट्रपति को ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 370 ही देता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यदि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया तो राष्ट्रपति की यह शक्ति भी समाप्त हो जायेगी और फिर संसद के कानूनों का इस राज्य पर कैसे लागू किया जायेगा। यह तर्क भी गलत है कि अनुच्छेद 370 के हटा दिये जाने पर उस

राज्य में कोई भी भारतीय सम्पत्ति आदि खरीद सकेगा । क्योंकि अनुच्छेद 35(क) के अनुसार ऐसा अधिकार केवल जम्मू और काश्मीर के स्थायी निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया है । जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाता तब तक उपरोक्त अनुच्छेद के हटा लेने पर भी सम्पत्ति सम्बन्धी विशेष अधिकार वहां के स्थायी निवासियों के लिये बना रहेगा और अन्य भारतीय वहां सम्पत्ति आदि न खरीद सकेंगे । मूल अधिकारों में संसद वर्तमान परिस्थिति में संशोधन कर नहीं सकती । इस प्रकार केवल अनुच्छेद 370 को हटाने मात्र से काम नहीं चलेगा बल्कि संविधान के मूल अधिकारों वाले अध्याय में भी संशोधन करना होगा । अनुच्छेद 370 संसद को उक्त राज्य पर यदा कदा देखने का अधिकार देता है । किसी अन्य राज्य में केन्द्रीय सरकार वहां की सरकार से अनुमति लेने के पश्चात् ही सेना भेज सकती है परन्तु जम्मू और काश्मीर में किसी समय किसी भी स्थान पर सेना भेजी जा सकती है । इस दृष्टि से भी जम्मू और काश्मीर राज्य को एक विशेष श्रेणी में रखा गया है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : आप संसद के इस अनुच्छेद को समाप्त करने के अधिकार को चुनौती दे रही हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दे रही हूँ । मेरा कहना केवल यह है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में जो परिस्थितियां अब विद्यमान है वे देश के अन्य राज्यों में विद्यमान परिस्थितियों से भिन्न हैं । इन सब दृष्टियों से मेरा कहना यह है कि इस समय अनुच्छेद 370 का रहना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में जो केन्द्रीय कानून अब वहां लागू किये जा रहे हैं, उन्हें वहां लागू न किया जा सकेगा । मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि अनुच्छेद 370 की विद्यमानता भावनात्मक एकीकरण में कैसे बाधक है । इस उपबन्ध के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ अधिकार जम्मू और काश्मीर के राज्य पर कुछ केन्द्रीय कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में दिये गये हैं। एकीकरण के मामले में यदि कोई चीज बाधक है तो वह है हमारा जम्मू और काश्मीर राज्य की समस्या पर अत्यधिक चर्चा करना । इस समस्या की आवश्यकता से अधिक चिन्ता करने पर हमें स्वयं ही इस बारे में शंका होने लगती है कि क्या काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है । अच्छा यह होगा कि हम इस शंकालु प्रकृति को त्याग दें । यदि हम यह मान लेते हैं कि जम्मू और काश्मीर का राज्य भारत का एक संघटक राज्य है और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उसे संविधान के अनुसार विशेष स्थिति प्रदान कर दी गई है, तो हमारी हर प्रकार की गलतफहमी दूर हो जाती है ।

इसके अतिरिक्त जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों को कुछ विशेष अधिकार देने का एक मुख्य कारण यह भी है कि काश्मीर घाटी के लोग बहुत ही निर्धन हैं । देश के किसी भी अन्य भाग में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम नहीं है जितनी इन लोगों की है । मैं श्रीनगर या जम्मू के निवासियों की बात नहीं कह रही हूं, जहां लोग खुशहाल है मैं उन लोगों की बात कह रही हूँ जो काश्मीर घाटी में रहते हैं और जो 12 महीने में चार या पांच महीने ही रोजी कमा सकते हैं । इस दृष्टि से यह व्यवस्था भी ठीक हो है कि कोई समृद्ध व्यक्ति उनकी सम्पत्ति खरीदकर उन्हें बिल्कुल ही बेसहारा न बनाये । इस व्यवस्था से जम्मू तथा काश्मीर राज्य के गरीब लोगों के हितों की रक्षा होती है । जहां तक भावनात्मक एकता स्थापित करने की बात है, वह काश्मीर के लोगों का दिल जीतने से ही सम्भव है । किसी प्रकार के कानून बनाने या

किसी अनुच्छेद को हटाने से भावनात्मक एकता न उत्पन्न की जा सकेगी। उन लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनका समाधान करने से ही हम उनका दिल जीत सकेंगे। क्या आप कानून बनाकर या अनुच्छेद 370 को हटाकर भावनात्मक एकता ला सकते हैं? कभी नहीं। इसके लिये हमें उन लोगों को जीतना है, सहनशीलता के आधार पर, सहानुभूति और समझ-बूझ के आधार पर।

अन्त में, मैं सभी विपक्ष के सदस्यों से यह अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लें। दलगत नीति के आधार पर यह प्रश्न नहीं सुलझाया जाना चाहिये। एक दल द्वारा दूसरे राजनीतिक दल पर छींटाकशी करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करना है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह कोई कानूनी प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध पिछले कई वर्षों में उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं से है। दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा परन्तु राष्ट्रीय एकता की बढ़ चढ़ कर बातें की जाती हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। अब सभा में आधे घंटे की चर्चा होगी।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतनक्रम

** PAY SCALES OF DELHI TEACHERS

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is a very unfortunate that during twenty-three years after independence the grade of Delhi teachers has not been revised even once whereas the grades of the lecturers and professors in the colleges of Delhi have been revised twice during this period. In 1959 their dearness allowance was merged with pay. The grades of the teachers in Haryana and Punjab are more than those of Delhi teachers.

The Minister of Education has been a teacher himself and I am happy to say that he is sympathetic towards the teachers. So far as the report of Kothari Commission is concerned, a controversy has arisen on the question whether the pay of teachers recommended by the Commission includes dearness allowance or not. The view of Punjab Government is that the pay of teachers recommended by the Commission does not include the dearness allowance. The Central Government, on the other hand, has taken the view that it includes the dearness allowance. On that basis, the Central Government has opined that whatever they have given to the teachers of Delhi is much more than what they should get.

---

* आधे घंटे की चर्चा

** Half-an-hour-Discussion

{ श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumala Rao *in the Chair* }

Sir, I would like to submit that only five hundred teachers out of a total of three thousand have benefited by the raise given by the Government. Delhi Teachers are working in different conditions than those prevailing in other State. The percentage of trained teachers in the middle and higher secondary schools in Delhi is much higher than the average percentage in the country. The number of working days for Delhi teachers are now more than those in 1947. They have also to meet the high cost of living in Delhi It is just and proper in those circumstances that the Government should accept their demands for higher pay.

The Central Government has made lack of funds on plea for not accepting the demand of higher scales of pay for the teachers. But Delhi Administration has already made an offer to provide Rs. 25 lakhs for the purpose and therefore the argument of lack of finances does not hold ground. It appears that the Central Government is discriminating against Delhi because its administration is now in the hands of Jan Sangh. All the proposals of Delhi Administration were rejected by the Central Government. The Central Government is also interfering even in transferred subjects. For example, it interfered in the setting up of the Board of Higher Secondary Education in Delhi. It is very unfortunate.

I want the Central Government to reconsider this question. If they do not want to give the grades recommended by the Kothari Commission, it should accept atleast the grades recommended by Delhi Administration. It is understood that the Government is thinking of granting one advance increment to the teachers. They should be granted atleast two advance increments. Medical, housing and other facilities available to Government employees should also be provided to the teachers

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : Mr. Chairman, Sir, this matter has been discussed in this House on a number of occasions. Shri Kanwar Lal Gupta has just now stated that the pay-scales of Delhi teachers have not been revised since independence. It is a wrong statement and he has himself admitted that dearness allowance was merged with pay. The pay scales were again raised recently.

I would like to make it clear that all of us are in favour of raising the pay-scales of teachers. It has been said that the pay-scales recommended by Delhi Administration have not been granted to the teachers, while recently revising the pay scales of teachers, all these proposals were considered and maximum possible grades were given to the teachers when the scales of teachers of Delhi are compared with those of teachers of Calcutta, Bombay and Madras, it will be observed that the grades in Delhi are higher. It is not that only the grades of primary teachers have been raised. The grades of other categories of teachers have also been raised.

While referring to the recommendations of the Commission the hon. Member has said that the teachers had themselves asked Dr. Sen to interpret the recommendation of kothari Commission. Even according to the interpretation of Dr. Sen, the teachers in Delhi are getting more that those recommended by the Commission. With the exception of Haryana, Punjab and Assam, the pay scale prevailing in Delhi are highest in the country.

The hon. Member has also said that the attitude of Central Government towards Delhi Administration has changed after Jan Sangh came into power. This allegation is unfounded. Rather, the scales have been revised only during the Jan Sangh administration. The Central Government has all the sympathies towards Delhi teachers and whatever has been done, was done in accordance with its sympathetic attitude towards them.

The Municipal Corporation of Delhi has already passed a resolution to the effect that education should be brought under Delhi Administration. The Administration has accordingly prepared a Scheme that will cost Rs. 75 lakhs. When the subject of education is transferred to the Administration, other problems will be considered.

It has been repeated a number of times that Delhi Administration is willing to meet the increased financial liability to the tune of Rs. 25 lakhs to meet the financial liability of teachers. It is not a correct way of presenting the matter because as much as 95 per cent of the budget of Delhi budget is met from the consolidated fund of India and therefore this offer has no meaning.

So far as the question of threat of strike is concerned, the teachers have come to realise the extent of sympathy these people have with them. They have also understood that the Central Government has sympathies with them. The Central Government is considering the question of increment.

Prakash Vir Shastri (Hapur) Dr. Triguna Sen had said that other facilities will be provided to the teachers including residential accommodation, medical facilities and free education. I would like to know the steps taken in this direction. I would also like to know the steps taken for implementation in Delhi of the decisions of National Integration Council regarding Public Schools. I would also request the Minister to give certain facilities to the teachers of Uttar Pradesh pending the decision to be taken by the new elected Government of Uttar Pradesh.

Shri Bhagwat Jha Azad : The facilities being given to the Government servants in general pool are also being given to the teachers. A provision of Rs. 1 crore is sought to be made for residential accommodation for the teachers in Delhi during fourth five year plan. A medical scheme has been sent to the Ministry of Health. The question of education has been forwarded to University Grants Commission. The question of teachers of Uttar Pradesh will have to be decided by the new Government of Uttar Pradesh.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : May I know whether there is any difference in the pay scales of male teachers and female teachers in Delhi. If so, to what extent and the steps being taken to remove the differences. I would also like to know the difference of scales given to Indian teachers and visiting teachers from abroad. May I Also know the number of unemployed teachers in Delhi and unemployment benefits proposed to be provided to them.

Shri Bhagwat Jha Azad : There is no difference of pay scales of female and male teachers in Delhi. The pay of visiting teachers is given by the Government of their own countries. The question of unemployment benefits is beyond our competence at present.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : May I know whether the recommendations of Kothari Commission with regard to Delhi have been implemented or not. In view of high expenses in Delhi do Government propose to give special allowances for people working in Delhi. May I know whether any steps are being taken to meet the demands of the teachers of Himachal Pradesh.

Shri Bhagwat Jha Azad : The employees in Delhi get house rent allowance and city compensatory allowance. The recommendations of Kothari Commission are being fully implemented in Delhi. The question of teachers of Himachal Pradesh is under consideration.

Shri Balraj Madhok (Delhi-South) : I would like to know the reasons for the scales in Punjab and Haryana not being given to the teachers in Delhi. Delhi Administration has made efforts to increase the resources but the budget of Delhi is in the hands of Centre. If those resources are given in the hands of administration, we can meet the demands of teachers. I would like to know when the question of transfer of middle schools to the Administration will be decided. The residential quarters of teachers should be built alongwith new School buildings.

Shri Bhagwat Jha Azad : The Ministry of Education is not concerned with the question of resources. The question of taking over middle schools is being considered by Delhi Administration. The question of giving more land for the schools for building residential quarters will be considered by the relevant ministry.

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 25 नवम्बर, 1968/4 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 25th November 1968/4 Agrahayana, 1890 (Saka).